खण्ड-246, अंक-7
बुधवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(4 मार्च, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 246 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५८९–५९२
प्रश्नोत्तर	५९३–६४५
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन की मेज पर रखे गये)	६४५
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	६४६
श्री सुखलाल द्वारा अपने पत्र के उत्तर न पाने के सम्बन्ध में जानकारी ..	६४६
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	६४६–६४७
लखनऊ में गल्ला व्यापारियों का जब्त किया गया गल्ला आदि विभागीय अधिकारियों द्वारा छोड़ देने से चोर बाजारी होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (स्थगित)	६४७
जिला बस्ती के एक ग्राम में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा आतंक के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	६४७–६४८
बलिया तहसील के अन्तर्गत ग्रामों में बिहार के किसानों द्वारा फसल लूटने और दोनों राज्यों के किसानों में मारपीट के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	६४८
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाने वाले पर्चे बांटने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	६४८
श्री गयाप्रसाद एम० एल० ए० के नाम धमकी के गुमनाम पत्रों की सूचना ..	६४८–६४९
हरगांव शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में सरायन नदी का पुल बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६४९–६५१
प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति ..	६५१–६५२
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	६५२–६७८
अनुदान संख्या २५ —नियोजन और समन्वय (जारी)	६७८–७००
नत्थियां	७०१–७०७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३३५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)।

कल्याण राय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री

देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरवेर्वसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री

बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेन्द्रप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कँथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलाल, श्री

रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुन्दर श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रगल्भ', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिकिशनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ४ मार्च, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद क्षेत्र में ग्राम सेवकों व पंचायत मंत्रियों की पदोन्नति

*१—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा), श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा), श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा) तथा श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार तुरन्त इस बात की जांच करायेगी कि फैजाबाद डिवीजन में १९६१ से आज तक जी० ओ० नं० ३०८४, XXXV-A-129 NES/59, dated 14/15 June, 1961 के अनुसार पंचायत, कृषि तथा सहकारिता विभाग में अपने निर्धारित संख्यानुसार प्रत्येक जिले में विकास विभाग द्वारा कितने ग्राम सेवकों और पंचायत मन्त्रियों को पदोन्नति दी गई है ?

*२—क्या सरकार इस बात की भी जांच करायेगी तथा बताने की कृपा करेगी कि १९६१ के बाद पंचायत विभाग के क्लर्कों को सहायक विकास अधिकारी पंचायत या पंचायत राज निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देकर और ग्राम सेवकों (फील्ड वर्कर्स) को इस पदोन्नति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

*३—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि फैजाबाद मण्डल के कृषि विभाग में सहायक विकास अधिकारी के पद पर नये-नये लोग कुछ मास पूर्व रखे गये हैं ? उसमें किसी ग्राम सेवक को पदोन्नति नहीं दी गई और जिनको पदोन्नति दी भी गई थी उन्हें रिवर्ट कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बी०डी० ओ०, देरापुर के खिलाफ शिकायत

*४—श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत विकास क्षेत्र, देरापुर के कुछ गांव पंचायत के प्रधानों ने माह दिसम्बर, १९६३ के द्वितीय सप्ताह में बी० डी० ओ०, देरापुर के खिलाफ कोई शिकायती पत्र जिला नियोजन अधिकारी को प्रेषित किया है और उसकी प्रतिलिपि मुख्य मन्त्री तथा विकास आयुक्त को भी प्रेषित की है ? यदि हां, तो पत्र में किन शिकायतों का उल्लेख किया गया है और उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला स्तर से जांच हो रही है जो अभी अपूर्ण है।

सहकारी संघ नर्वल के सुपरवाइजर के खिलाफ जांच

*५—श्री ज्वालाप्रसाद कुरील—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ अक्तूबर, १९६३ को जनता द्वारा बी० डी० ओ०, सरसौल, जिला कानपुर के सहकारी संघ, नर्वल के सुपरवाइजर के अनियमित कार्य पर तात्कालिक जांच और कार्यवाही करने की मांग जनता द्वारा की गई थी तथा जांच न करने पर यह सूचना टेलीग्राम द्वारा डी० पी० ओ०, कानपुर को भी दी गई थी ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा और कब कराई गई और अब उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

जिला नियोजन अधिकारी, कानपुर, को सम्बोधित, सहकारी संघ नर्वल (सैमर झाल) के अध्यक्ष का एक तार १५-१०-६३ को प्राप्त हुआ था। इस तार में कहा गया था कि "एक ट्रक गल्ला सीड स्टोर नर्वल पर बाहर जाने के लिये लदा हुआ खड़ा है, शीघ्र ही जांच अनिवार्य है"।

मामले की जांच उसी दिन (१५–१०–६३) सहकारी निरीक्षक मुख्यावास, कानपुर, द्वारा की गई। इससे पूर्व खन्ड विकास अधिकारी, सरसौल, के आदेश पर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) ने भी इस शिकायत की जांच १५–१०–६३ को ही की थी।

जांच से ज्ञात हुआ कि ट्रक पर लदा गल्ला व खाद साधन सहकारी समिति पारा व पाल्हेपुर के सदस्यों का था और इन समितियों में जाने के लिये लदा था, जो आवश्यक जांच के बाद भेज दिया गया।

गाजीपुर जिले में अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*६—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार जिला गाजीपुर के मरदह ब्लाक के ग्राम बरही, खजूर गांव, बिरनो ब्लाक के ग्राम बिरनों, बद्धूपुर व धनेशपुर तथा जखनिया ब्लाक के ग्राम बुल्हपुर में अस्पताल खोलने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

शिक्षा उप मन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी नहीं। सरकार का इन ग्रामों में अस्पताल खोलने का कोई विचार नहीं है। सरकार का विश्वास है कि मरदह व बिरनों विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल जाने पर इन ग्रामों में उपचार सम्बन्धी सुविधा यथेष्ट रूप से सुलभ हो जायगी।

श्री झिलमिटराम—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बिरनों ब्लाक के बारे में पिछली साल उत्तर मिला था कि डिसपेंसरी खोलना चाहते हैं, लेकिन डिसपेंसरी न खुलने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, ब्लाक की स्थापना के साथ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते हैं, वह खुलते जा रहे हैं।

श्री झिलमिटराम—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने कहा कि डिसपेंसरी नहीं खुलेगी, तो सरकार के सामने वह कौन-सी दिक्कत है कि उन स्थानों पर खोलने की नहीं सोच सकती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, स्थिति यह है कि अभी तक हम अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचे हैं कि प्रत्येक ५ मील पर एक डिसपेंसरी दे सकें। जब वह पूरा हो जाय और यदि साधन होंगे और माननीय सदस्य आदेश देंगे तो प्रत्येक गांव में डिसपेंसरी हो, यह तो बहुत अच्छी बात है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह देखते हुए कि सरकार की योजना है कि ब्लाक के हेड क्वार्टर पर डिसपेंसरी खोली जाय जिसके लिये रुपया भी एलाट हो चुका है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि बिरनो ब्लाक के बिरनों गांव में डिसपेंसरी कायम कर दी जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, वह तो बिरनो ग्राम में खुलनी है और उससे दूसरे गाँवों की भी समस्या हल हो जाती है।

प्लानिंग आफिस, गाजीपुर का आडिट

*७—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में प्लानिंग आफिस की १९६२–६३ में आडिट कराई गई? यदि हां, तो कितने रुपयों का गबन पाया गया और जिन कर्मचारियों के खिलाफ गबन पकड़ा गया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

१९६२–६३ में प्लानिंग आफिस, गाजीपुर, का आडिट सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, द्वारा ८ मई से ३० जून, १९६२ तक का आडिट किया गया। जिला विकास कोष में, जो प्लानिंग आफिस का एक अंग है, १६० रुपया का अस्थाई गबन पाया गया। यह धनराशि कोषागार में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा जमा कर दी गई है। जांच में सम्बन्धित कर्मचारी दोषी पाया गया, जिसके फलस्वरूप उसकी वार्षिक बढ़ोत्तरी चार वर्ष के लिये रोक दी गई और उसकी चरित्र पुस्तिका में भी तत्सम्बन्धी एडवर्स इंट्री (adverse entry) कर दी गई।

श्री रघुवीर राम—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उस कर्मचारी का नाम क्या है जिन्होंने १६० रुपये का गबन किया और उस कर्मचारी को सेवा कार्य से मुक्त क्यों नहीं कर दिया गया?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, उस कर्मचारी का नाम श्री जगदीशनारायण श्रीवास्तव है। वह जूनियर क्लर्क है। उसने रुपया जमा कर दिया और यह उसकी पहली गलती थी, इसलिये चार साल का इंक्रीमेंट रोक कर, बैड एन्ट्री कर दी गई और यह काफी सजा समझी गई।

कटेहर क्षेत्र में "श्रम सुरक्षा बैंक" "दि फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन" की जमींदारी

*८—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायतों को जो २१ वर्ष से ४५ वर्ष की अवस्था के पुरुषों से वर्ष में ९६ घंटे का काम लेने या श्रम का मूल्य वसूल करने का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का उपयोग वाराणसी जिले के कटेहर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में किया गया और इस श्रम की उपलब्धि के रूप में सब से उल्लेखनीय निर्माण-कार्य किस पंचायत ने किया और कौन-सा?

श्री बंशीधर पांडेय—

कटेहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल १९५ गांव सभायें हैं जिनमें से वर्ष १९६२–६३ में कुल मिलाकर १४७ गांव सभाओं ने सुरक्षा श्रम बैंक के स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया और योजना के कार्यान्वयन हेतु रजिस्टर तैयार किया। प्रस्तावानुसार उक्त सभी कार्य वर्ष १९६३–६४ में सम्पादित किये जाने का निश्चय किया था। अतएव वर्ष १९६२–६३ में कटेहर विधान सभा क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत किसी भी गांव सभा ने कोई कार्य नहीं किया है।

*९—श्री रघुनाथसिंह—

उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र की कितनी गांव पंचायतों ने गांव सम्पत्ति की रक्षा के लिये भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना नहीं की है ? उन गांव पंचायतों में इस समिति की स्थापना कराने के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी ने क्या कार्यवाहियां कीं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—]

विधान सभा क्षेत्र, कटेहर की एक गांव पंचायत को छोड़कर शेष सभी गांव पंचायतों ने भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना कर ली है। चूंकि उक्त गांव सभा में "दी फाउन्डेशन फार न्यू एजुकेशन" संस्था की जमींदारी है, अतएव उक्त गांव पंचायत में भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना करने के लिये जिला पंचायत अधिकारी द्वारा कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जब १४७ गांव सभाओं ने ९६ घंटे श्रमदान देने या श्रमदान का मूल्य चुकाने का प्रस्ताव पास किया तो क्या कारण है कि उसका संपादन उसी साल नहीं हुआ, पूरी-पूरी १४७ गांव सभाओं ने एक साल के बाद संपादन का कार्य किया और क्या मंत्री जी को इस उत्तर में अविश्वास का आभास नहीं मिलता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यद्यपि पंचायत राज अधिनियम में यह व्यवस्था बहुत पहले से थी लेकिन जब संकटकालीन परिस्थिति आयी तो भारत सरकार ने सारे देश में एक विलेज वालंटियर फोर्स का एक आर्गेनाइजेशन पैदा करने की स्कीम बनायी, उस समय यह बात आयी कि कुछ श्रमदान के कार्यक्रम किये जांय। इस प्रदेश में गांव पंचायतों ने अपने प्रस्ताव १९६२-६३ में पास किये, जिसको १९६३-६४ में कार्यान्वित करने की बात थी। मैंने स्पष्ट कह दिया कि वह प्रस्ताव पास हुए लेकिन उनको कार्यान्वित करना था १९६३-६४ के वर्ष में। इसलिए वह कार्य इस वर्ष हुए होंगे।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या १४७ गांव सभाओं ने उस वर्ष के अंतिम महीने में ही प्रस्ताव पास किया और किसी गांव सभा को उस साल श्रमदान करने या श्रमदान का मूल्य चुकाने का अवसर नहीं मिला ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने आपसे निवेदन किया, मुझे निश्चित सूचना तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है, जनवरी २६, १९६३ को सारे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश की पंचायतों ने उस दिन अपनी बैठक की और उस दिन सारे प्रदेश की पंचायतों ने यह निश्चय किया कि हम अगले वर्ष सुरक्षा श्रम बैंक की स्थापना के लिए श्रमदान के कार्यों की योजना बनायेंगे। यह सही बात है कि जो आर्थिक वर्ष था उसके अन्त में यह पड़ता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि गत वर्ष २६ जनवरी के पावन अवसर पर राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार इस प्रदेश की प्रत्येक गांव सभा में अनजाने प्रस्ताव लिखवा लिये गये और सुरक्षा श्रम बैंक का प्रस्ताव पास हुआ जिसके कारण सुरक्षा श्रम बैंक का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रदेश की पंचायतों को एक अवसर देंगे कि वह उसके संबंध में समझबूझ कर कोई निर्णय ले सकें ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में ७२ हजार गांव सभाएं हैं। जैसा कि माननीय मैनेजरसिंह ने फरमाया है, यह हो सकता है कि कुछ गांव सभाओं में लोग न इकट्ठा हुए हों, खाली सेक्रेटरी ने रेजोल्युशन पास करवा लिया होगा, क्योंकि इतनी सारी जमातें हैं, परन्तु यह समझने की बात है कि यह तो कामन आब्जेक्ट की बात है, जितनी ही सहृदयता और सहानुभूति के साथ लोग हिस्सा लेंगे उतना ही उस गांव सभा का कल्याण होगा। हमारी यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा गांव सभाएं इस काम को करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि कटेहर विधान सभा क्षेत्र में केवल एक गांव सभा है जिसमें भूमि प्रबंधक समिति का निर्माण नहीं हो पाया है इसलिए "दि फाउन्डेशन फार न्यू एजुकेशन" संस्था की वहां जमींदारी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जमींदारी कैसे पड़ी हुई है, उसका उन्मूलन क्यों नहीं किया गया ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, जमींदारी का मतलब यह है कि यह सारी जमीन उस ट्रस्ट के पास है। उसमें कोई काश्तकार नहीं है। केवल ढाई या तीन एकड़ जमीन बचती है। बाकी जमीन उसके काम आती है। तो उसके उन्मूलन का सवाल कहां पैदा होता है ? वह तो एक जमीन है जो कि उस ट्रस्ट के पास है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में श्रम योजना के अनुसार जो काम करने की स्कीम बनायी जायगी उसमें सरकार किस अंश में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत या इस सेवा श्रम बैंक के अन्तर्गत जो श्रमदान के कार्यक्रम होंगे वह कच्चे कार्यक्रम होंगे। उसमें सहायता का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, वह तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन की स्कीम है। उसमें कहीं पक्का कार्यक्रम होगा तो सरकार उस पर विचार करती है।

श्री रघुनाथसिंह—

जब जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् शिक्षा संस्थाओं को अनावर्तक अनुदान के रूप में धन देकर आप उनकी क्षतिपूर्ति करते हैं और इस प्रकार इस वर्ष भी सात लाख से अधिक अनुदान आपने शिक्षा संस्थाओं को दिया है जहां कि शिक्षा संस्थाओं की जमींदारी टूटी है तो क्या कारण है कि "दि फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन" संस्था की ही जमींदारी आपने नहीं तोड़ी और उसकी क्षतिपूर्ति आपने नहीं की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, इसमें माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया और यह जमींदारी क्यों नहीं टूटी; यह तो एक ऐसा विषय है कि इस वक्त इसकी सूचना नहीं है, उसमें बहुत-सी बातें हो सकती हैं, जैसे कि एक मंत्री जी ने कहा कि ढाई एकड़ को छोड़कर सारी जमीन उनके स्कूल या कालेज के काम में आती है, तो उनकी जमींदारी तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—

देखिए.....(व्यवधान).....मैं तो आपकी दिक्कत को दूर करना चाहता हूं, लेकिन आप नहीं सोचते हैं तो जाने दीजिए। प्र० सं० १०–११ ....

श्री रघुनाथसिंह—

मेरी गलती को आप क्षमा कीजिये और उत्तर दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे अफसोस है कि जब मैं पूछने लगता हूं तो आप बोलने लगते हैं । माननीय माल मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इनकी जो दिक्कत है और प्रश्न जो बार-बार पूछे गये हैं वह हल नहीं हो रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन है गांव में दि फाउन्डेशन फार न्यू एजूकेशन, उसके अधिकार में वहां की सारी जमीन है सिवाय दो ढाई एकड़ के। तो प्रश्न यह कर रहे हैं कि वहां की जमींदारी क्यों नहीं टूटी, क्या कारण है । इसका कोई एक्सप्लेनेशन है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हम पता कर लेंगे । इस वक्त तो मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

हां, आप मंगा लें क्योंकि यह प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है और माननीय विकास मंत्री ने कहा कि जमींदारी तोड़ने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि एक ही काश्तकार है, यह बात कुछ समझ में नहीं आती ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं पता कर लूंगा ।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात अर्ज करूं ? डाक्टर रघुनाथ सिंह जी इस बात को जानते होंगे कि जो जमींदार अपनी जमीन पर काबिज हैं और जिनके काश्तकार नहीं हैं कोई, वह तो वैसे ही उसकी जमीन साकिनुलमिलकियत हो जाती है और जमींदारी का सवाल ही नहीं रहता ।

श्री अध्यक्ष—

देखिए, यह कानून की बात है । वह साकिनुलमिलकियत का प्रश्न जमींदारी एबालीशन में नहीं उठता । या तो वह भूमिधर हो गया या सीरदार हो गया । (व्यवधान) तो वह भूमिधर है या क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि इस तरह इसमें कन्फ्यूजन हो जायगा ।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, आपकी सहायता के लिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं ।

जहांगीरगंज विकास खंड में प्रांतीय रक्षक दल की ट्रेनिंग

*१०—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहांगीरगंज विकास खंड, जिला फैजाबाद, में अगस्त सन् १९६३ में प्रांतीय रक्षक दल के ग्राम लोडरों को प्रथम ट्रेनिंग हुई थी ? यदि हां, तो उस ट्रेनिंग में कितने व्यक्ति शामिल थे ? कुल कितना खर्च हुआ और उसमें सरकार ने कितना दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां । कुल ६७ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गयी । कुल ९०० रुपये व्यय हुआ और यह धन सरकार ने दिया ।

*११—श्री दौलतलाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रेनिंग से संबंधित अधिकारियों ने ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या फर्जी ढंग से अधिक दिखाई है और इस बात की शिकायत नियोजन अधिकारी को ब्लाक प्रमुख ने की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार की एक शिकायत ब्लाक प्रमुख से जिला नियोजन अधिकारी को प्राप्त हुई है जिसकी विधिवत जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री दौलतलाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच की कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह शीघ्र ही समाप्त हो जायगी।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

जो शिकायत थी वह क्या थी और किस बात की थी और किसके द्वारा वह जांच कराई जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

शिकायत यह है कि ट्रेनिंग कैंप हुआ है जिसमें ६७ शिक्षार्थी आये। उसमें ९०० रुपया खर्च हुआ। उसमें शिकायत इस बात की है कि ६७ शिक्षार्थी नहीं आये और यहां रुपया ज्यादा खर्च कर दिया गया। इसकी जांच कराई गई तो प्राइमाफेसी केस नहीं बना। अब रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव से इसकी जांच के लिये कहा गया है कि वह डिटेल में मालूम करें कि इतने आदमी आये या नहीं।

ग्रामीण जन-शक्ति योजनान्तर्गत आजमगढ़ जिले में कार्य

*१२—श्री दौलतलाल—

क्या विकास मंत्री दिनांक ११ दिसम्बर सन् १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सन्दर्भ में निम्नलिखित बातें सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

(अ) फूलपुर विकास खंड में किये जाने वाले कार्यों की सूची में मिर्जापुर तथा मार्टिनगंज विकास खंडों में किये जाने वाले कार्यों की सूची भी शामिल कर दी गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन कार्य ?

(ब) सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सूचना जो विकास खंडों द्वारा भेजी गई है कब से प्रारम्भ की जायगी और उनको प्राथमिकता कैसे दी जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिला की फूलपुर, मिर्जापुर तथा मार्टिनगंज विकास खंडों की सूची अलग-अलग बनाई गई है। इनमें किये जाने वाले कार्यों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। विभिन्न खंडों द्वारा भेजे गये सभी कार्य एक साथ एक ही चरण में लेना संभव नहीं। अस्तु, उन्हें अलग-अलग कार्यक्रमों में लिया जायगा। संलग्न तालिका में दिये गये कार्यों को

जनशक्ति योजना के चतुर्थ चरण में लेने का प्रस्ताव है और योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होते ही काम शुरू हो जायगा ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०१ पर)

श्री दौलतलाल—

क्या विकास मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ११ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न सं० ११० में पूछे गये उत्तर के संदर्भ में उन्होंने यह बतलाया था कि फूलपुर विकास खंड में जो कार्य किये गये थे उनमें फूलपुर-माहोल रोड ४ मील भी दी हुई थी तो इसमें वह क्यों छोड़ दी गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

छोड़ने का प्रश्न नहीं है । मैंने आपसे निवेदन किया कि जो काम वहां होना है उसको फर्स्ट सीरिज में, सेकिंड सीरिज में और थर्ड सीरिज में लिया जायगा । जो और बचेंगे उनको चौथे में लिया जायगा । चूंकि ये सारी योजना पिछड़े हुये पूर्वी जिलों की हैं, वह किसी सीरिज में आयेंगी ही ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो मुझे नियोजन मंत्री के द्वारा उत्तर मिला है पूर्वी प्रदेश के बारे में उसमें आजमगढ़ जिले का भी जिक्र है तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें कुछ उसका जिक्र नहीं है तो इन दोनों बातों में कौन-सी बात सही है ?

श्री राममूर्ति—

दोनों बात ठीक है इसलिये कि सरकार की बड़ी हमदर्दी आजमगढ़ जिले के साथ भी है । जो स्कीम नहीं आ पाई है, जैसा कि इसमें जिक्र है, बैकवर्ड एरिया की सारी स्कीम एक-एक करके आती रहती है । यह हो सकता है कि देर हो जाय लेकिन वह सब स्कीम ली जायगी ।

श्री दौलतलाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि फूलपुर-माहोल रोड के लिए स्वयं सरकार ने आदेश दिया था और ११ दिसम्बर, १९६३ को उत्तर में कहा था कि फूलपुर-माहोल रोड भी इसमें शामिल है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं इसको पढ़कर सुना देता हूं । फूलपुर सिकरौल मार्टिनगंज रोड २ लाख ९३ हजार । फूलपुर सिकरौल मार्टिनगंज रोड ८ मील ५ लाख २० हजार की योजना है और मिर्जापुर ब्लाक में भी ४ गांव ऊंचा करने की योजना है । इसके अलावा आजमगढ़ जिले की बहुत-सी योजनायें हैं, वह भी उसमें जरूर होंगी ।

डाक्टरों की कमी

*१३—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां कोई डाक्टर नहीं हैं और उन अस्पतालों में मरीजों का इलाज किस प्रकार से किया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां —

इस प्रश्न के एक हिस्से का उत्तर तो मंत्री जी आसानी से दे सकते थे ।

श्री अध्यक्ष—

उससे भी आपको संतोष न होता, इसलिये वे पूरा जवाब देंगे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो हाई पावर कमेटी डाक्टरों की जांच के लिये बनायी गयी थी उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में डाक्टरों की कमी की बात भी कही गयी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उस समय कर लीजियेगा जब इसका उत्तर यहां आयेगा ।

बाराबंकी जिले में विकास क्षेत्र

*१४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में कौन-कौन ब्लाक हैं और हर ब्लाक में कौन-कौन बी० डी० ओ० और ए० डी० ओज० कब से काम कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बाराबंकी जिले में, त्रिवेदीगंज, निन्दूरा, मसौली, सिद्धौरा, मवई देवा, रामनगर, फतेहपुर, दरियाबाद, बनीकोडर, पूरे डलई, हरख , सूरतगंज, बंकी, हैदरगढ़ और रुदौली विकास क्षेत्र हैं जिनमें नियुक्त क्षेत्र विकास अधिकारियों और सहायक विकास अधिकारियों के नाम तथा संबंधित क्षेत्र में उनके योगदान की तिथि संलग्न †सूची 'क' में अंकित है ।

*१५—श्री द्विजेन्द्र नारायण—

हर ब्लाक में हरिजन सहायता फंड में कितना-कितना रुपया गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अलग-अलग दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गत तीन वर्षों में प्रत्येक विकास क्षेत्र में हरिजन सहायता फंड में दी गई सहायता का विवरण संलग्न सूची †'ख' में अंकित है ।

*१६—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ ब्लाक में बी० एल० डब्लू० और पंचायत सेक्रेटरी में से कौन-कौन लोग किन-किन अदालत पंचायतों में काम कर रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों को एक ही स्थान पर काम करते करते चार या पांच साल हो गये उनके ट्रांसफर क्यों नहीं किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विकास क्षेत्र में कार्य कर रहे ग्राम सेवकों एवं पंचायत मंत्रियों के नाम तथा संबंधित क्षेत्र एवं अदालत पंचायत में उनके कार्य करने की सूचना संलग्न† सूची 'ग' में अंकित है । इन कर्मचारियों को एक विकास क्षेत्र में नियुक्त रखने की कोई अवधि निश्चित नहीं है । अतः साधारणतः तीन वर्ष के बाद उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

---

†छापी नहीं गई ।

गोरखपुर जिल में जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*१७—श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कैलाश (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्दर कुछ सड़कों को बनाने का प्रस्ताव उसके पास हाल में जिले से आया था ? यदि हां, तो उसमें से कौन-कौन सड़कें योजनान्तर्गत ली गईं, और यदि नहीं ली गईं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

केवल एक सड़क (घुघली–सीकरपुर) के निर्माण का प्रस्ताव जिला परिषद्, गोरखपुर, से प्राप्त हुआ था जिसे जन-शक्ति योजना के तृतीय चरण के एडिशनल प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह —

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि गोरखपुर जिले से अन्य श्रोतों से भी कौन-कौन सी मांगें आयी थीं कि यह-यह सड़कें बना दी जायं और इस प्रस्ताव के पूर्व वह कौन-सा प्रस्ताव है जिला परिषद् का जिसके द्वारा गोरखपुर जिले में जनशक्ति उपयोग के अन्तर्गत सड़कें बनायी जायेंगी ?

श्री बंशीधर पांडेय —

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र —

क्या मन्त्री जी को पता है कि जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत जितनी योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार को होती है और जिनका रेफरेंस जिले के अधिकारियों के पास होता है उनको पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी यह लिख कर लौटा देते हैं कि इस योजना के अन्तर्गत इन सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता ? यह एक आम शिकायत है और क्या मन्त्री जी इसकी व्यापक जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय —

किसी खास योजना के सम्बन्ध में शिकायत होगी तो जरूर जांच करायी जायेगी।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर के जिलाधीश ने भी सरकार को लिख कर भेजा है कि जनशक्ति योजना इसलिये पूरी नहीं की जा सकती कि उनके पास ओवरसियर्स की कमी है और पी० डब्ल्यू० डी० ओवरसियर्स नहीं दे पा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय —

जनशक्ति योजना का कार्यक्रम पी० डब्ल्यू० डी०, सिंचाई आदि विभागों को दिया जाता है। आपका कहना सही हो सकता है कि ओवरसियर्स की कमी है इसलिये कभी-कभी काम करने में देरी होती है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या यह सही है कि जिला नियोजन अधिकारी, गोरखपुर, ने लगभग ३० सड़कों के बारे में जून, १९६३ में एक पत्र सरकार को लिखा कि यह हमारी लिस्ट है और इसके मुताबिक सड़कों को लिया जाय, लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० के टेक्निकल अधिकारियों ने उसको किसी न किसी बहाने टाल दिया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उस लिस्ट का पुनरीक्षण करा कर इस जनशक्ति योजना के अन्तर्गत काम शुरू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति —

जैसा नरसिंह नारायण जी ने कहा ओवरसियर्स की कमी है वह बात सही है और इसी वजह से काम में रुकावट है और काम पूरा नहीं हो पा रहा है। वैसे उस लिस्ट को देखा जायगा और यह कोशिश की जायगी कि ज्यादा से ज्यादा ओवरसियर्स को भरती किया जाय और काम कराया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी को यह सूचना है कि गोरखपुर में ८४ लाख, देवरिया में ८४ या ८३ लाख, बस्ती में ८७ लाख की जनशक्ति योजना के अन्तर्गत तमाम योजनायें बना कर सरकार को भेजी गयी हैं।

३–४ लाख रुपया भी खर्च हुआ है। काम इसी लिये नहीं हुआ है कि ओवरसियर्स भर्ती नहीं हुये हैं बल्कि इसमें कुछ ऐसा ढीला काम है कि काम नहीं बढ़ रहा है। तो क्या इसका पता लगायेंगे कि इतना रुपया पूर्वी जिलों को दिया गया, यह किस अफसर की जिम्मेदारी है कि फिर भी इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिये था और जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय —

यह सही है कि जितना रुपया अलाटमेंट हुआ था उस हिसाब से काम नहीं हुआ। उसके कई कारण हैं। एक तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर उनका ही वर्क लोड इतना अधिक है कि उन्हें इस काम को लेने में कठिनाई है। दूसरे यह भी है, कि ग्रामीण जनशक्ति उपयोगी योजना के अन्तर्गत जो नियम हैं उनके अनुसार कोई इंटरमीजियरी नहीं होगा और वहां पर टीम लीडर और गांव की सभायें ही अपने सारे कार्यों को लेंगी, तो बहुत सी गांव सभाओं ने कार्य लेना स्वीकार नहीं किया। अब कोशिश की जा रही है कि यह कार्य तेजी से बढ़े।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न है कि मन्त्री जी ने कहा कि ओवरसियरों की कमी के कारण इसमें विलम्ब हो रहा होगा, उग्रसेन जी का सजेशन है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण हैं जिसके सम्बन्ध में आप इन्क्वायरी करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर वह बतायेंगे कोई स्पेसिफिक केस, तो मैं देखूंगा।

श्री कल्पनार्थसिंह —

क्या मन्त्री जी जानकारी करायेंगे कि यह योजना इसीलिये सफल नहीं हो रही है क्योंकि इसमें ठेकेदार नहीं हैं और जहां कहीं ठेकेदार हैं वहीं काम चलाया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति —

अगर यह बात सही है तो बड़े अफसोस की बात है और खास तौर से जो बड़े अफसरान हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सब काम को कराने की उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीजें दूर हों ताकि काम आगे चले।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई) —

पूर्वी उत्तर प्रदेश पर स्टेट बजट का बहुत बड़ा हिस्सा और भारत सरकार का पैसा भी पानी की तरह बहाया जा रहा है तो जो पैसा बढ़ रहा है उसे हरदोई, उन्नाव, सीतापुर में लगाने की दया करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

अंग्रेजी सरकार ने उनको निगलेक्ट किया तो हम सब का और आपका फर्ज है और खास तौर से पश्चिमी जिले के लोगों का जिनको कुछ ज्यादा सुविधा प्राप्त हुई कि उनकी तरफ ज्यादा तवज्जह दी जाय। जहां तक सीतापुर हरदोई का ताल्लुक है, हमें मिश्र जी के प्रश्न से हमदर्दी है, उनके यहां भी वाटर-लागिंग की समस्या है। हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को भी दूर करें और सारे प्रान्त की उन्नति हो।

मुरादाबाद जिले में कोआपरेटिव सुपरवाइजर

*१८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कौन-कौन कोआपरेटिव सुपरवाइजर हैं जो कि ६ साल से ज्यादा से इस जिले में काम कर रहे हैं?

श्री बंशीधर पांडेय —

एक सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०२ पर)

*१९—श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी कृपया यह बतायेंगे कि इन लोगों के खिलाफ शिकायती दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब तथा इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त सुपरवाइजरों के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रियासत हुसैन—

सरकारी आदेश के मुताबिक कोई भी सुपरवाइजर एक जिले में ५ साल से अधिक नहीं रह सकता। उसको देखते हुये क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में यह १९ सुपरवाइजर्स, जिनकी सूची दी गयी है, ६ साल से ज्यादा समय से क्यों काम कर रहे हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

कोआपरेटिव यूनियन के जो नियम हैं उसके अनुसार वे जरूरत पड़ने पर किसी कर्मचारी को ७ साल तक रख सकते हैं। इस में दो तीन सुपरवाइजर ऐसे हैं जो क्रय-विक्रय समिति में काम कर रहे हैं। बहुत आवश्यकता पड़ने पर उनको रखा जाता है। अब इनके लिये भी अगले वर्ष ट्रान्सफर के प्रश्न पर विचार हो सकता है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, पिछले दिसम्बर में कुछ सुपरवाइजरों का तबादला इन रिमार्क्स के साथ किया गया था कि उनको वहां पर काम करते हुये ५ साल से ज्यादा हो गये हैं। तो क्या इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपका मंशा यह है कि ६ साल तक वे क्यों वहीं पर हैं?

श्री रियासत हुसैन —

जी हां, श्रीमन् १९ सुपरवाइजरों के अलावा भी कुछ ऐसे है जो ६ साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ शिकायतें भी हैं। तो मं यह जानना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोगों के नाम मैं माननीय मन्त्रीजी के पास भेजूं तो क्या वे उस पर विचार कर फौरन कार्यवाही करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

जरूर की जायगी।

ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत बाढ़ निरोधक कार्य

*२०—श्री कल्पनार्थसिह तथा श्री कैलाश—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि मैनपावर यूटिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से काम किस-किस जिले में बाढ़ निरोधक योजनाओं के अन्तर्गत चलाने का निश्चय किया गया है और इस पर कुल कितना रुपया व्यय करने की योजना है ?

श्री बंशीधर पांडेय —

ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिन बाढ़ निरोधक योजनाओं के चलाने का निश्चय किया गया है उनका जिलेवार एवं चरणवार विवरण संलग्न सूची† में दिया हुआ है। इन कामों पर अभी तक कुल २१०.४० लाख रुपये व्यय करने की योजना है।

श्री कल्पनाथ सिंह —

मैं यह जानना चाहूंगा कि इस धनराशि में से इस योजना पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री बंशीधर पांडेय —

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन—

जिस योजना में आप २ करोड़ १० लाख ४० हजार रुपया खर्च करने जा रहे हैं उस योजना के अन्तर्गत अब तक कितना काम हो चुका है ?

श्री बंशीधर पांडेय —

इसमें बहुत सी योजनायें चल रही हैं। किन्तु यह अभी हाल ही में तो शुरू हुई है। कार्य होगा अब।

श्री उग्रसेन —

क्या मन्त्री जी का मतलब यह है कि २ करोड़ १० लाख की योजना वही है जो जनशक्ति श्रम उपयोग योजना में चल रही है या उसके अलावा कोई बाढ़ की योजना है ?

श्री बंशीधर पांडेय —

यह जनशक्ति योजना के अन्तर्गत ही प्रश्न है और यह बाढ़ निरोधक कार्यों की ही सूची है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री कल्पनाथसिंह ---

दौलतपुर सोहराओं और दूसरे बांधों पर काम क्यों नहीं शुरू किया गया जबकि इसमें उनका जिक्र है ? गोरखपुर की फ्लड एडवाइजरी कमेटी ने एक योजना सरकार के पास भेजी थी कि ये बांध उसमें शामिल कर लिये जायें उन्हें शामिल करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष---

आखिर का जवाब दीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय ---

दौलतपुर बांध निर्माण, जनहारी विश्कोप गांव तक बांध निर्माण, ७५ गांवों को ऊंचा करना, मलौनी बांध, ये सब बांध ही बांध हैं। गांवों को ऊंचा करने का काम भी तो बाढ़ निरोधक योजना में शामिल है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय ---

मन्त्री जी की तालिका में बहुत से ऐसे बांध हैं जिनके लिये रुपया ४ साल हुये सैंक्शन हुआ था, जैसे दौलतपुर बांध के लिये ४।। लाख रुपया है, और इसी सदन में मन्त्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उसे हाई पावर कमेटी के सामने रखा जायगा। ३ साल से वह रखा जा रहा है। तो अभी तक उस योजना के कार्यान्वित न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष---

जैसा माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा था, प्रिंसिपल की बात होनी चाहिये। अगर डिटेल्स आप पूछेंगे कि अमुक जगह क्यों नहीं हो रहा है, तो दिक्कत होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) ---

क्या मन्त्री जी इस योजना में आजमगढ़ के गांवों को ऊंचा करने और ड्रेन्स की योजना को भी शामिल करने की कृपा करेंगे, जिनसे वहां बहुत हानि होती है ? इस तालिका में आजमगढ़ में केवल ४, ५ ही कार्य हैं।

श्री राममूर्ति ---

पहली पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में काम पूरब के जिलों में बड़ी तेजी से किये गये और उनमें कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी यहां बहुत चर्चा हुई थी। अब सरकार इस मामले में सचेत है। हम यह नहीं चाहते कि जल्दी में कोई काम किया जाय जिसके लिये स्टाफ भी न हो और मिट्टी की नपाई वगैरह गलत हो। जैसे-जैसे स्टाफ मिलता जाता है हम काम बढ़ाते जाते हैं। पूर्वी जिलों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़) ---

क्या सरकार को पता है कि गत वर्ष घाघरा नदी के जोरों के कटाव के कारण आजमगढ़ दो भागों में विभाजित हो रहा था, तो क्या सरकार इस कार्य को लेने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति ---

वह कटाव बन्द हो कर अब नार्मल कन्डीशन्स हो गई हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा) ---

मैन-पावर यूटीलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत केवल पूर्वी जिले ही लिये गये हैं या यह सारे प्रदेश के लिये योजना है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही है।

श्री ऊदल --

इस योजना में ८०, ८५ लाख रुपया बनारस के लिये भी स्वीकृत हुआ है परन्तु अभी तक एक भी काम शुरू नहीं किया गया है। ऐसा क्यों है ?

श्री राममूर्ति---

बनारस का जिला तो पूर्वी जिलों में प्रमुख है। उनका काम तो वैसे ही बाद में होना चाहिये।

लखनऊ में टूरियागंज अस्पताल के इंचार्ज के खिलाफ शिकायत

*२१---श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इंगलिश अस्पताल टूरियागंज, लखनऊ के मेडिकल इंचार्ज ने कर्मचारियों से लिखवाया है कि किसी भी राजनैतिक कार्यकर्त्ता से बातचीत नहीं कर सकते, इसकी उक्त अधिकारी को भी धमकी दी है क्या उनके अन्दर असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर उचित कार्यवही करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी नहीं। कर्मचारियों से यह नहीं लिखवाया गया है कि वह राजनैतिक कार्य कर्त्ताओं से बातचीत न करें। जांच कराने पर आरोप निराधार सिद्ध हुये।

*२२---श्री सुखदेवप्रसाद --

क्या उक्त इंचार्ज महोदय के प्रति जनता में एवं कर्मचारियों में लगातार अव्यावहारिकता अर्थात् बुरा भला कहने के कारण असन्तोष फैल रहा है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के प्रति जांच कराकर कार्यवाही करने की कृपा सरकार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय ---

कुछ व्यक्तियों ने अव्यावहारिकता की शिकायत की थी। जांच कराई गई। आरोप निराधार सिद्ध हुये।

*२३---श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या यह भी सत्य है कि उक्त अधिकारी के भ्रष्ट होने से जनता को न तो उचित दवायें मिलती हैं न मरीजों के साथ उचित व्यवहार होता है ? यदि हां, तो सरकार क्या करने जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

जी नहीं, किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखदेवप्रसाद --

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतें क्या हैं और कितने लोगों ने शिकायतें की हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

डाक्टर चौधरी समय पर अस्पताल में मरीजों को नहीं देखते हैं, अस्पताल से दवा नहीं दिलाते हैं, अपने पक्ष बारबार बदल देते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों से अव्यवहार करते हैं, अस्पताल में भर्ती मरीजों की खुराक कम कर दी है, दूध वितरण बिलकुल बन्द कर दिया है, आवश्यक दवा और इन्जेक्शन जो अन्य डाक्टर लिखते हैं वे स्टाक में नहीं मिलते हैं, मरीजों को यह कह कर

तुम स्वस्थ हो, अस्पताल से निकाल देते हैं, सैयद अकबर तूफानी ने यह आरोप लगाया कि दिनांक १७ अक्तूबर, १९६३ की प्रात: ११ बजे उनके बच्चों को यह कहकर नहीं देखा कि उन्हें बराबर के कमरे में बैठे हुये अपने मेहमानों से मिलना है। इस तरह की हैं।

श्री रघुवीर --

इन डाक्टर के विरुद्ध प्रार्थना-पत्रों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

पहले सिविल सर्जन के द्वारा, फिर डिप्टी डाइरेक्टर से ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़) --

जांच के समय शिकायत करने वालों के बयान लिये गये या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

उन्हें बुलाया गया और उन्होंने कहा कि हमें इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है। आने से ही उन्होंने इन्कार कर दिया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

इस अस्पताल की डाइरेक्टर आफ आयुर्वेद द्वारा देख-रेख होती है या डाइरेक्टर आफ मेडिकल व हेल्थ से होती है, क्योंकि सिविल सर्जन से जांच कराई गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

वह हमारे डी० एम० ओ० एच० ने की है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि सिविल सर्जन की जांच में ऐसी कौनसी बात थी जो असन्तोष का कारण थी, जिसके कारण डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा दुबारा जांच करायी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

क्योंकि इस प्रकार की शिकायतों का तांता लग गया था, विभिन्न तारीखों में जब बहुत सी शिकायतें आयीं तो यही उचित समझा गया ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जिन लोगों ने शिकायतें की थीं, जब वे लोग नहीं आये तो क्या उनका बयान लेने के लिये कोई आफीसर उनके पास गया था ?

श्री अध्यक्ष--

वे कहते हैं कि उनको बुलाया गया था लेकिन उन्होंने कह दिया कि इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ कहना नहीं है।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर) --

क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इन्हीं डाक्टर के खिलाफ किसी राजनैतिक कार्यकर्त्ता ने, जो लखनऊ के ही रहने वाले हैं, अनशन भी किया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

एक अखबार में ऐसा जरूर आया था लेकिन उसके बाद न तो उन कार्यकर्त्ता महोदय का ही पता लगा और न कोई मामला ही आगे समझ में आया।

विकास क्षेत्र अधिकारी, सौरों को भत्ता

*२४--श्री बेदराम (जिला एटा) --

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० डी० ओ०, सोरों, जिला एटा, को १ जनवरी, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ तक कितना व्यय यात्रिक भत्ता नाइट हाल्ट के रूप में सरकार द्वारा दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय --

विकास क्षेत्र अधिकारी, सोरों, जिला एटा, को १ जनवरी, १९६३ से ३१ मई, सन् १९६३ तक यात्रिक भत्ता एवं दैनिक भत्ता के रूप में रुपये ४१७·३० नये पैसे का भुगतान किया गया है। जून, १९६३ से सितम्बर, सन् १९६३ तक की अवधि के उनके यात्रा बिल अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

श्री बेदराम--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब उनको साइकिल दी गयी है तो फिर यात्रा भत्ता क्यों दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय --

साइकिल तो ब्लाक के प्रयोग के लिये दी गयी थी, यद्यपि ये भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। यात्रा भत्ता जो दिया गया है वह रेल अथवा बस से जो यात्रा की है उसके लिये दिया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार --

उन्होंने जो नाइट हाल्ट्स की सूची दी है उनमें कितने नाइट हाल्ट्स हैं और कहां-कहां के हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप उनकी लिस्ट में देख लीजिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) --

क्या उन्होंने जो भत्ते के रूप में धन चार्ज किया है वह साइकिलों के प्रयोग के समय का भी चार्ज किया है ?

श्री बंशीधर पांडेय --

वह साइकिल का नहीं है। जो चार्ज उन्होंने किया है उसमें १४३ रु० माइलेज का है, रेल से ८२ रुपया और साढ़े ६९ रु० तथा १९१.१२ रु० डी० ए० का है।

श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब बी० डी० ओ० को जीप दी जाती है तो यह साइकिल क्या प्राइवेट होती है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

वैक्सीनेशन एसोशियेशन

*२५--श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मन्त्री, वैक्सीनेशन एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश, ने कार्यवाही कार्यकारिणी समिति २६ सितम्बर, १९६३ को उनके अतिरिक्त स्वायत्त शासन मन्त्री, संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं उप-संचालक के पास कार्यवाही हेतु प्रेषित की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

सूचना सम्बन्धित विभागों से एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ में वैक्सीनेटरों की बरखास्तगी

*२६--श्री बेदराम --

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की चेचक उन्मूलन योजना समाप्त हो गई और सभी टीका लगाने वाले कार्यकर्त्ता गोरखपुर कार्य करने हेतु भेजे गये हैं, जिनमें से एक ही दिन, ७५ से ऊपर कार्यकर्त्ता मुख्य अधिकारी द्वारा अभी हाल में निकाले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां, परन्तु एक ही दिन में ७५ कार्यकर्त्ता नहीं निकाले गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि उनको निकाला गया तो क्यों निकाला गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय --

इन लोगों के खिलाफ कई तरह की शिकायतें थीं। एक तो यह कि कुछ लोग बिना परमिशन के गायब रहे और कुछ बुरे काम करने के सिलसिले में निकाले गये। इस तरह से २० आदमी निकाले गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ७५ आदमी कब नियुक्त किये गये और कब निकाले गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, उनकी नियुक्ति इस प्रकार की नहीं है। उनका वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया था तो १६८ व्यक्तियों में से ११ ने तो ज्वायन ही नहीं किया और बाकी १५७ व्यक्तियों में से २० आदमियों का कार्य खराब होने के कारण उनको निकाल दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ से गोरखपुर जाने पर विभिन्न अपराधों में उनको निकाला गया है, तो कितने दिन काम करने के बाद और किस तारीख को उनको निकाला गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

३० जून तक इन्होंने काम किया आजमगढ़ में और पहली जुलाई को इन्हें गोरखपुर भेज दिया गया। पहली जुलाई के पहले वे आजमगढ़ में काम कर रहे थे। इसलिये इनकी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--

वे पूछ रहे हैं कि ३० जून तक वे आजमगढ़ में रहे और पहली जुलाई को गोरखपुर में गये, तो गोरखपुर में कितने दिन काम करने के बाद उनको निकाला गया।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इनमें से ७ को जुलाई ६३ में निकाला गया, ५ को अगस्त में, ३ को सितम्बर में, ४ को अक्टूबर में और १ को नवम्बर में निकाला गया । बाकी नहीं निकाले गये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी फिर दोबारा इसकी इंक्ववायरी अपने किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे कि आफिस के हेड क्लर्क ने जान बूझ कर घूस न पाने के कारण विभिन्न अपराधों में उनको निकाला ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अगर आप कोई स्पेसिफिक चार्ज लिख कर दें तो मैं जरूर इसको देख लूंगा ।

श्री कल्पनाथसिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्रीजी, जैसा कि माननीय रामसुन्दर पांडेयजी ने कहा, इस बात को जांच कराने की कृपा करेंगे कि न केवल आजमगढ़ से बल्कि बलिया से भी जो वैक्सिनेटर ट्रांसफर होकर गोरखपुर गये उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और गोरखपुर डी०एम० एच०ओ० के हेड क्लर्क ने इंस्पेक्टर लोगों से क्लीक बना कर उनके जरिये उन लोगों की शिकायत करायी जिससे मजबूर होकर उन लोगों को अपनी-अपनी नौकरी छोड़ कर भागना पड़ा ? यदि हां, तो क्या इस तरह की शिकायतें माननीय मंत्री जी के पास आयी हैं ? यदि आयी हैं, तो माननीय मंत्री जी उसे बतलाने की कृपा करें और साथ ही साथ यह भी बतलाने की कृपा करें कि उस हेड क्लर्क का ट्रान्सफर गोरखपुर से हो गया था या नहीं ? यदि हुआ था तो उसे क्यों रोक दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो सूचना उनके पास है, उसके अनुसार उनके ऊपर कुछ विशेष आरोप थे जिसके कारण वे निकाले गये । अब आप एक दूसरी बात कह रहे हैं कि उनके निकालने का कारण यह नहीं है कि उनकी कोई गलती थी बल्कि वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी । वे कहते हैं कि अगर आप सूचना देंगे तो इस शिकायत को भी वे देख लेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में ही बुरा काम करने के फल-स्वरूप उनको निकाला गया या गोरखपुर में जाकर बुरा काम करने पर उनको निकाला गया ? क्योंकि वे जाते ही निकाल दिये गये, तो माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्होंने कहां पर बुरा काम किया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सम्भवतः यही है कि आजमगढ़ की शिकायतों के कारण ही वे निकाले गये ।

श्री मैनेजरसिंह--

मंत्री जी ने अभी कहा कि सम्भवतः वह आजमगढ़ की शिकायतों के कारण निकाले गये। तो आजमगढ़ के अधिकारी ने जब इन गरीब कर्मचारियों को गोरखपुर में सेवा करने के लिये भेजा था तो क्या उनको उनके विरुद्ध शिकायतों के कारण ही भेजा था ? क्या इस की जांच करायेंगे कि ऐसा था या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय–

जब किसी को दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसके साथ उस की पूरी पर्सनल फाइल भी जाती है ।

श्री रामायणराय––

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गोरखपुर में जब यह योजना हाथ में ली गई उसके पूर्व ही वहां वैक्सीनेटर्स हेड क्लर्क द्वारा ट्रेन किये गये थे और वैसे तो अन्य जगह भी ऐसा हुआ है लेकिन विशेषकर गोरखपुर में जैसी कि अफवाह है कि इन ट्रेन्ड लोगों को एडजस्ट करने के लिये पैसा लिया गया और उन्हीं के कारण इन लोगों को निकाला गया या उन के खिलाफ कोई स्पेसिफिक चार्जेज थे ? यदि हां, तो वे क्या थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय––

जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया यदि माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो पूरी जांच हो जायगी और तब मैं यहां पूरे फैक्ट्स पेश कर सकूंगा ।

मैनपुरी में पोस्टमार्टम

*२७––श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जनवरी, १९६० से अब तक कितने मृत व्यक्तियों के पोस्टमार्टम किये गये, उनमें से कितने ऐसे पोस्टमार्टम हैं जिनमें मृत व्यक्तियों के मरने के कारण पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट के कारण से भिन्न दिखलाये गये हैं और इस प्रकार के पोस्टमार्टम किन-किन अधिकारियों द्वारा किये गये थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय––

४९६ । प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने के लिये अभी सामग्री एकत्रित की जा रही है ।

*२८––श्री सूबेदारसिंह––

क्या सरकार की जानकारी में है कि गत वर्ष उक्त जिले के बेवर थाने के अन्तर्गत धुबिया नामक ग्राम के एक ब्राह्मण की हत्या दिन में गोली मार कर कर दी गई थी, किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे भाले से मारा दिखाया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त मामले में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब उक्त मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने तथा उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय––

यह सही नहीं है कि स्वर्गीय श्री राज बहादुर की मृत्यु गोली के कारण हुयी थी । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि मृत्यु सीने में स्टैब ऊन्ड (छुरा या भाले की चोट) के कारण हुये शाक एवं रक्तप्रवाह से हुयी थी । शेष प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सूबेदारसिंह––

इस प्रश्न के द्वारा मेरा यह एलिगेशन था कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट गलत है और गलत पोस्ट मार्टम किया गया । तो क्या, यह सही है कि मंत्री जी अपना उत्तर उसी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर दे रहे हैं या कोई और तरीका जांच का उन्होंने अपनाया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय––

यह सच है कि इस समय उत्तर पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से ही दिया गया है, उस पर १६ फरवरी को सेशन जज का फैसला हो चुका है और उसकी कापी मंगवाने का हमने प्रयत्न किया है ताकि पूरी बात स्पष्ट हो जाय और साथ ही हमने पुलिस रिपोर्ट भी मंगवाई है, इनके आने पर ही जो एक्शन मुनासिब होगा लिया जायगा ।

ग्राम सेवक

*२९---श्री कैलाश---

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेवकों की ग्रेडेशन लिस्ट राज्य स्तर पर किस कारण से नहीं बन रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

अब ग्राम सेवकों के नियुक्ति प्राधिकारी जिला नियोजन अधिकारी हैं, अतः राज्य स्तर पर उनकी ज्येष्ठता सूची बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कैलाश---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब प्लानिंग आफिसर नियक्ति करते हैं तो वह लिस्टें डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां क्यों आती हैं ?

श्री राममूर्ति---

लिस्टें इसलिये आती हैं कि जब प्रोमोशन का सवाल आता है तो उससे एक कम्पेरेटिव स्टडी हो जाती है कि किसका कैरेक्टर रोल ठीक है, कौन कब नियुक्त हुआ था।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि ग्राम सेवकों का चुनाव सब से पहले जिलों में होता है और क्रम के अनुसार जिले से एक लिस्ट हेडक्वार्टर पर आती है और वहां पर उनका चुनाव होता है और फिर वह प्रशिक्षण में भेजे जाते हैं और उसके बाद यहां से उनकी पोस्टिंग व नियुक्ति होती है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

सिफारिश कोई नहीं आती बल्कि जिला लेविल पर अप्वाइंटिंग अथारिटी सन् ५३ के पत्र के अनुसार यह अधिकार जिला नियोजन अधिकारियों को दिया गया है लेकिन वहां ३ आदमियों की एक कमेटी है और एक सूची ग्रेडेशन की आती है; तो यहां पर उस लिस्ट में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । जितनी नम्बर आफ वैकेन्सीज हैं उसी हिसाब से ऊपर से ले लिये जाते हैं।

श्री उग्रसेन---

क्या मंत्री जी को सूचना है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में जब ग्राम सेवकों का चुनाव होता है प्रशिक्षण के लिये एक लम्बी सूची यहां आती है । एक बात बता दूं कि दिल्ली सरकार मांगती है कि हमको इतने ग्राम सेवक चाहियें, तब यह सरकार नियुक्त करती है । तो दिल्ली से भी ग्राम सेवकों का तासा जुटा हुआ है । तो इतना होते हुये उनकी ग्रेडेशन लिस्ट क्यों नहीं बनती है ? यह कहना गलत है कि नियोजन अधिकारी नियुक्त करता है । वह चपरासी ही नियुक्त करता है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

यह बात सही है कि ग्राम सेवकों का सम्बन्ध सी० डी० स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार तक है । सरकार इस बात पर विचार जरूर कर रही है कि ग्राम सेवकों को राज्य स्तर पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में ए० डी० ओज० के पद पर प्रोमोशन किया जाता है तो ऐसी कोई ग्रेडेशन लिस्ट हो ताकि जब कभी ए० डी० ओज० की जगहें हों उन पर उनको उस लिस्ट के अनुसार प्रोमोट कर सकें। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

नोट---तारांकित प्रश्न २९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गांव सभा रघुनाथपुर का चार्ज तथा न्याय पंचायत भगतपुर का स्थान

*३०—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड रानी की सराय, जिला आजमगढ़, के अन्तर्गत कौन-कौन गांव सभायें हैं जिनके भूतपूर्व प्रधानों में वर्तमान प्रधानों को चुनाव के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अब तक चार्ज नहीं दिया है और क्यों ?

श्री राममूर्ति—

विकास खण्ड रानी की सराय, आजमगढ़, के अन्तर्गत केवल एक गांव सभा अनन्त रघुनाथपुर का चार्ज भूतपूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान को नहीं दिया है। उस गांव सभा की डाकखाने की पास-बुक वर्तमान प्रधान को प्राप्त हो गई है। किन्तु और अभिलेख प्राप्त नहीं हुये हैं। जब कभी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), अथवा खण्ड विकास अधिकारी उनके यहां चार्ज दिलाने के लिये गये तो वे वहां से हट गये और चार्ज नहीं दिया।

*३१—श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय पंचायत भगतपुर विकास खण्ड विलरियागंज, जिला आजमगढ़, ने २२ अक्तूबर, १९६२ की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत कर बैठक के स्थान को बदलने की मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही हुई और न्याय पंचायत के सरपंच को क्या और कब सूचना दी गई ?

श्री राममूर्ति—

न्याय पंचायत भगतपुर में दिनांक २२ अक्तूबर, १९६२ की बैठक में यह प्रस्ताव किया था कि दिनांक १२ अक्तूबर, १९६२ की न्याय पंचायत के लिये स्थान नियुक्त करने के लिये अधिकारी-गण की जो दरख्वास्त दी गई है उस पर जब तक जांच हो कर स्थान नियुक्त न हो जाय तब तक न्याय पंचायत की बैठक स्थगित रहेगी। उक्त प्रस्ताव के विषय में जिला पंचायत कार्यालय द्वारा दिनांक २६ जुलाई, १९६३ द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये गये जिसको इन्चार्ज सरपंच ने लेने से इनकार कर दिया। न्याय पंचायत का यह प्रस्ताव पंचायत राज नियमों के विरुद्ध था।

*३२—श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निदेशक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को भगतपुर न्याय पंचायत के सरपंच ने दिनांक १२ अक्तूबर, १९६२, २१ नवम्बर, १९६२, २८ दिसम्बर, १९६२ और २१ मार्च १९६३ को पत्र लिखकर पंचायत बैठक का स्थान नियत करने एवं किसी के मुअत्तल करने के कारणों की जांच करने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही हुई और विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। उक्त पत्रों पर सहायक जिला पंचायत अधिकारी द्वारा जांच की गई। उक्त पत्रों में न्याय पंचायत भगतपुर के केन्द्र के बदलने के विषय में अनुरोध किया था तथा चार्ज में दरी लोटा, बाल्टी आदि सामान न मिलने तथा पंचायत मंत्री तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं जो निराधार पाई गईं। न्याय पंचायत केन्द्र को न बदलने के विषय में पहले ही सहायक पंचायत अधिकारी आदेश दे चुके थे।

मिर्जापुर जिले में मेडिकल अफसरों का त्याग-पत्र

*३३—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इमर्जेन्सी से एक माह पूर्व मिर्जापुर जिले में कितने मेडिकल आफिसर्स ने त्याग-पत्र दिया और कितनों का मन्जूर हुआ तथा जिनका मन्जूर हुआ उन्हें मन्जूरी का पत्र कब गया ? यदि नहीं गया, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नियोजन विभाग में क्लर्क

*३४---श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग में कुछ लिपिक कलेक्टरेट तथा प्रदेशीय सरकार के अन्य विभागों से डेपुटेशन पर लिये गये हैं ? यदि हां, तो उनके डेपुटेशन की क्या अवधि है ?

*३५---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग में कितने लिपिक डेपुटेशन पर लिये गये और कितने दिनों के बाद वापस किये गये और जो वापस किये गये वे किस आधार पर वापस किये गये और जिनको नहीं किया गया वे किस आधार पर वापस नहीं किये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

बी० डी० ओ०, नरखोरिया के विरुद्ध शिकायतें

*३६---श्री उग्रसेन---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० डी० ओ०, नरखोरिया, जिला बस्ती, के विरुद्ध कौन-कौन-सी शिकायतें अप्रैल, मई और जून, १९६३ में सरकार को प्राप्त हुईं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

बी० डी० ओ० नरखोरिया, जिला बस्ती, के विरुद्ध मास अप्रैल, मई एवं जून, १९६३ में निम्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं---

१---श्री गम्भीर सिंह द्वारा तकावी ग्रहीताओं से सुरक्षा कोष के नाम पर रुपया लेकर स्वयं हड़प लेने तथा विकास कार्यों में रुचि न लेने और ग्रुप लीडरों को वर्दी न देने की शिकायतें ।

२---श्री कालिन्दी प्रसाद द्वारा विकास कार्यों में व्यय हुये रुपये का सदुपयोग न होने के कारण अधूरे पड़े रहने की शिकायतें ।

३---श्री सत्य नारायण सिंह द्वारा १०० रुपये सुरक्षा कोष में देकर रसीद न पाने की शिकायत ।

४---श्री करम हुसैन द्वारा ६५ रुपये सुरक्षा कोष में देकर रसीद न पाने की शिकायत ।

५---श्री रामकृपाल चौधरी द्वारा उनके मकान को अवैध रूप से पाठशाला बनाने के सम्बन्ध में शिकायत ।

६---श्री काशी सिंह को ४० रुपये न देने के कारण १४० रु० की तकावी न देने की शिकायत ।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बस्ती तथा परगनाधीश, डुमरियागंज, बस्ती के द्वारा उपरोक्त शिकायतों की जांच कराई गई, शिकायतों में कोई यथार्थ प्रमाण प्राप्त न होने के कारण जिलाधीश ने इन शिकायती पत्रों को निक्षेप कर दिया ।

*३७---श्री उग्रसेन---

क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मई, १९६३ से पूर्व डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती, में अल्प बचत योजना बांड उपलब्ध नहीं थे तथा मई, १९६३ में कितने किसानों को जिन्होंने तकावी दिसम्बर, १९६२ से फरवरी मार्च, १९६३ तक ली थी, अल्प बचत योजना बाण्ड दिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

डुमरियागंज तहसील, जिला बस्ती, के डुमरियागंज डाकखाने पर अल्प बचत योजना बांड मार्च, १९६३ में उपलब्ध हुये तथा दिसम्बर, ६२ से मार्च, ६३ तक २३ व्यक्तियों में से जिन्होंने तकावी ली थी ९ मई, को ६३ में तथा १४ को जून, ६३ में अल्प बचत योजना बांड दिये गये ।

*३८—श्री उग्रसेन—

क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला बस्ती के नरखोरिया ब्लाक के श्री करमुल्लाह तथा करम हुसैन ने नियोजन अधिकारी बस्ती को मई, १९६३ में कोई प्रार्थना-पत्र बी० डी० ओ०, नरखोरिया के खिलाफ दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस जिले के नरखोरिया ब्लाक के श्री करमुल्लाह का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है । श्री करम हुसैन ग्राम चौकनियां ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक २–५–६३ को तकावी से काटी हुई धनराशि की रसीद न मिलने के सम्बन्ध में दिया था जिसका अल्प बचत योजना बाण्ड उन्हें ६–६–६३ को दे दिया गया है ।

देवरिया जिले में नलकूप

*३९—श्री कैलाश—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में देवरिया जिले के भटनी, भाटपार रानी तथा बनकटा ब्लाक में कितने नलकूप कहां-कहां बनने की योजना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जैतपुर ब्लाक में परशियन व्हील के लिये तकावी एवं सीमेंट का वितरण

*४०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हमीरपुर जिले के जैतपुर ब्लाक में जो परशियन ह्वील (रहट) के लिए तकावी दी जाती है वह किसी को ६०० रुपया और किसी को ७५० रुपया और किसी को ५०० रुपया एक ही प्रकार के व एक ही फर्म के रहट के लिए दी जाती है ? यदि हां, तो इस प्रकार की विषमता का क्या कारण है, जबकि वहां के क्षेत्र के कुओं की गहराई बराबर है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला हमीरपुर के जैतपुर ब्लाक में एक ही प्रकार के व एक ही फर्म के रहट के लिये तकाबी नहीं दी गई है बल्कि रहट व वाडर रहट-दो प्रकार के रहट के लिये, जिनके मूल्य अलग-अलग हैं दी गई है। यहां के सभी कुओं की गहराई प्रायः एक समान नहीं है ।

*४१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जैतपुर ब्लाक हमीरपुर में जो कोटा सीमेंट का प्लानिंग के लिए दिया जाता है उसमें क्या बी० डी० ओ०, जैतपुर किसी टेक्निकल अधिकारी से जांच कराने के उपरान्त परमिट ईश्यू करते हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी जिन को दिनांक १ अप्रैल, १९६२ से दिनांक ३१ मार्च, १९६३ तक सीमेंट टेक्निकल वेरीफिकेशन के बाद दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। सीमेंट का कोटा ग्राम सेवक तथा सहायक विकास अधिकारी बी० डी० ओ० से जो अपने विषय में टेक्निकल अधिकारी उनको पाते हैं, जांच कराने के उपरान्त दिया जाता है। १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक सीमेन्ट के वितरण की †सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

बी०डी०ओ०, देरापुर के खिलाफ शिकायतें

*४२---श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र देरापुर (जिला कानपुर) की कुछ ग्राम लक्ष्मियों ने बी० डी० ओ०, देरापुर के खिलाफ माह दिसम्बर, १९६३ के प्रारम्भ में जिला नियोजन अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया है और उसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री तथा विकास आयुक्त को भी प्रेषित की है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। शिकायतें निम्न प्रकार हैं :---

१---वेतन उनको छः मास बाद मिलता है तथा वेतन खजाने से कैश हो जाने के बाद भी बड़ी कठिनाई से भुगतान किया जाता है।

२---वेतन लेते समय क्षेत्र विकास अधिकारी उन्हें बुरी दृष्टि से देखते हैं तथा उनसे अश्लील बातें करते हैं।

३---क्षेत्र विकास अधिकारी की वाणी, हाव भाव और वासनायुक्त मनोवृत्ति से उनको अपना सतीत्व सुरक्षित न रहने का भय लगता है।

शिकायतों की जांच जिला नियोजन अधिकारी द्वारा की गई। जांच से प्रतीत हुआ कि ग्राम लक्ष्मियों के आनरेरिया के भुगतान में अवश्य विलम्ब हुआ जिसका कारण सहायक विकास अधिकारी (महिला) द्वारा उनका बिल समय से न प्रस्तुत करना था। सहायक विकास अधिकारी (महिला) को भविष्य में विलम्ब न करने के सम्बन्ध में सचेत कर दिया गया है। क्षेत्र विकास अधिकारी श्री के० एन० सोनी के विरुद्ध आचरण सम्बन्धी शिकायतें जांच के समय झूठी सिद्ध हुईं। अतः अन्य कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

कोलअसला परगना में नाद नदी पर पुल न होना

*४३---श्री ऊदल---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के परगना कोलअसला में नाद नदी में गांव सभा सराय व उत्तर तरफ धरसौना के सामने जो कच्ची सड़क जाती है वहां आवागमन को देखते हुए एक पुल बनवाने पर सरकार विचार कर रही है या करेगी ? क्या सरकार को पता है कि बरसात के ४-५ महीनों में पुल न होने से आम जनता को काफी कठिनाई होती है ?

श्री राममूर्ति---

वाराणसी जिले के परगना कोलअसला में नाद नदी में गांव सभा सराय व उत्तर तरफ धरसौना के सामने जो कच्ची सड़क जाती है उस पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार या जिला परिषद् के विचाराधीन नहीं है।

---

†छापी नहीं गई।

गुरसहायगंज के डाक्टर के विरुद्ध शिकायत

*४४--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३ को गुरसहायगंज, जिला फर्रुखाबाद, में ठेला से घायल किसी बालिका की प्राथमिक चिकित्सा करने से गुरसहायगंज के डाक्टर ने इन्कार कर दिया, तत्पश्चात् जिला सिविल अस्पताल में भी उसकी प्राथमिक चिकित्सा का कोई प्रबन्ध न हो सका और बालिका की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारी निरीक्षकों की नियुक्ति

*४५--श्री कन्हैयालाल तथा श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)--

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों ने अपने कार्यकाल में अपनी पावर से कितने सी० ओज० की नियुक्तियां कीं ? क्या उन नामों की सूची मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

वर्तमान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, ने अपने कार्य-काल में कुल १७४ सी० ओज० (सहकारी निरीक्षक ग्रुप २) कीं नियुक्तियां कीं जिनके नामों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०५-७०६ पर)

*४६--श्री कन्हैयालाल तथा श्री केदारनाथ भार्गव--

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि न नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से कितनों की राज्य सेवा आयोग द्वारा पुष्टि की गयी ?

श्री बनारसीदास--

इन नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से १८ की पुष्टि लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त हो चुकी हैं तथा ६१ व्यक्तियों को आयोग ने भिन्न-भिन्न वर्षों में अपने विज्ञापन के पश्चात् चुन लिया है।

सहकारी समिति, पटियाली

*४७--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पटियाली, जिला एटा, क सहकारी गोदाम से १९६३ ई० में खाद की ८०० बोरी चोरबाजारी से बेची गयीं जिनको बी० डी० ओ०, पटियाली ने भी पकड़ा और जिला अधिकारियों को भी सूचना दी ? यदि हां, तो इस चोरबाजारी के कांड में कौन-कौन कर्मचारी तथा असरकारी व्यक्ति दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

जिला एटा के पटियाली सहकारी गोदाम से कोई खाद चोर बाजारी में नहीं बेची गई, और न बी० डी० ओ० पटियाली ने इस प्रकार का कोई मामला ही पकड़ा। अतः अन्य सम्बन्धित प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

*४८---श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या सहकारिता मंत्री इस बात की भी जांच कराके सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति पटियाली के चीनी कोटा में काफी चोर बाजारी हुई है ? यदि हां, तो उसमें किस-किस कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसीदास---

सहकारी समिति पटियाली के चीनी कोटा में कोई चोर बाजारी नहीं हुई है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*४९---श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६३ में पटियाली सहकारिता के डाइरेक्टरों का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद ए० डी० ओ०, कोआपरेटिव विकास क्षेत्र, पटियाली डाक्टर लक्षमन प्रसाद कार्यवाही रजिस्टर छीन कर भाग गये, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में भी कर दी गयी है ? यदि हां, तो डाक्टर लक्षमन प्रसाद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि अभी तक पटियाली सहकारिता के एम० डी० के चुनाव की तारीख निश्चित नहीं की गयी है जबकि डाइरेक्टरों का चुनाव हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार एम० डी० का चुनाव शीघ्र ही कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास---

यह सही है कि पटियाली क्षेत्रीय सहकारी समिति के डायरेक्टरों का चुनाव १५ दिसम्बर, १९६३ को हुआ और चुनाव के बाद समिति के अध्यक्ष श्री लक्षमण प्रसाद ने कार्यवाही रजिस्टर अपने कब्जे में कर लिया जिसकी रिपोर्ट बिरोधी पार्टी ने पुलिस में की थी। ए० डी० ओ० कोआपरेटिव का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। समिति के अध्यक्ष होने के कारण श्री लक्षमण प्रसाद को समिति के कार्यवाही रजिस्टर अपने कब्जे में रखने का अधिकार था, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जबकि समिति का मंत्री, व्यवस्थापक उस दिन उपस्थित नहीं था और अध्यक्ष को चुनाव की वैधानिकता पर सन्देह था। अतः अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

समिति के उक्त अधिवेशन की कार्यवाही सालिस द्वारा अवैधानिक घोषित कर दी गई है, अतः समिति के अध्यक्ष का चुनाव करने का अभी प्रश्न नहीं उठता है।

मुजफ्फरनगर जिला नियोजन आफिस के खिलाफ शिकायत

*५०---श्री अहमद बख्श---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जिले के जिला नियोजन आफिस में फरवरी, मार्च सन् १९६२ में जो जिला विकास क्षेत्रों के लिए फर्नीचर बने थे उसकी शिकायत उस जिले के कुछ विधायकों ने की थी, उसकी जांच डेवलपमेंट कमिश्नर ने करायी थी या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। शिकायत मिली थी जिसकी जांच हो रही है।

*५१---श्री अहमद बख्श---

यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस जांच की रिपोर्ट की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जांच अभी जारी है। पूर्ण हो जाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायगी।

रधौली ग्राम में कूप निर्माण

*५२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रधौली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, में वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में सरकारी सहायता एवं ऋण से किन-किन व्यक्तियों द्वारा कूप निर्माण कराये गये तथा सम्बन्धित व्यक्तियों ने दिनांक १९ सितम्बर, १९६३ को जिलाधीश, आजमगढ़ को इस आशय का पत्र लिखा है कि पूरी धनराशि सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई और उसकी वसूली हो रही है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खंड जामो में प्रधान द्वारा सीमेंट बेचना

*५३—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार को विदित है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जामो के प्रधान, ग्राम कटारी को पाठशाला के भवन निर्माण हेतु सीमेन्ट प्रदान की गई थी जिसे उन्होंने उसी समय बेच लिया है? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, सहायक जिला पंचायत अधिकारी, सुल्तानपुर की जांच से पता चला कि सीमेंट नष्ट हो जाने के भय से सम्बन्धित प्रधान ने १२ बोरी सीमेंट प्रधान गौरा के हाथ तथा ११ बोरी सीमेंट श्री सुखमंडल निवासी ग्राम कटारी के हाथ बेच दिया जो क्रमशः प्राइमरी पाठशाला तथा पेय जल कूप निर्माण के कार्य में लगाया गया। इसके अतिरिक्त दो बोरी सीमेंट जो बची हुई थीं, प्राइमरी पाठशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर उसी कार्य में लगा दिया गया।

*५४—कुंवर रुद्रप्रताप सिंह—

क्या सरकार को विदित है कि सीमेंट बेचने के पश्चात उपरोक्त प्रधान ने अपनी सुरक्षा हेतु ग्राम सभा की बैठक में सीमेंट को बेचने का प्रस्ताव भी अपने प्रभाव से स्वीकृत कराया है जिसमें विकास खण्ड के सम्बन्धित अधिकारियों ने उन्हें सहायता प्रदान की है? यदि हां, तो क्या इस प्रकार का प्रस्ताव उनके जुर्म पर परदा डाल सकता है? यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्यवाही की जायगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*५५—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

क्या सरकार को यह भी विदित है कि सीमेंट बिकने के पश्चात उस रुपये को ग्राम सभा की कैश बुक में दर्ज करके पास बुक में जमा होना चाहिये था जो नहीं हुआ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रधान पर गबन का मुकदमा तथा मुअत्तली की कार्यवाही की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उस समय निर्माण कार्य प्रगति पर था जिसके कारण वह धनराशि सम्बन्धित ग्राम सभा के सेविंग्स बैंक एकाउन्ट्स में जमा नहीं की गई और उस धनराशि का उपभोग दूसरे मास में कर लिया गया।

छिबरामऊ जनाना अस्पताल

*५६--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ जनाना अस्पताल में कितने दिनों से लेडी डाक्टर काम कर रही है और उस दिन से कितने मरीज इस अस्पताल में दाखिल हुये?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास क्षेत्र अधिकारी, हसेरन, के विरुद्ध शिकायत

*५७--श्री होरीलाल यादव तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र अधिकारी, हसेरन, जिला फर्रुखाबाद, के विरुद्ध सुरक्षा कोष का रुपया लेकर रसीद न देने के शिकायती-पत्र जिला अधिकारी को १७ सितम्बर, १९६३ को मिले हैं? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

डाक्टरों की कमी

*५८--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे हैं जिनमें केवल कम्पाउन्डर कार्य कर रहे हैं और डाक्टर नहीं हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५९--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त कम्पाउन्डर मर्ज को देखकर पर्चा लिखने का कार्य कर रहे हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

सरकार ने जो हाई पावर कमेटी उक्त समस्या के हल करने के लिए बैठायी थी समिति ने क्या कोई रिपोर्ट दी है? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो क्या?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

चूंकि हाई पावर कमेटी इस समस्या पर अभी विचार विमर्श कर रही है, उनकी रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

क्षेत्रीय सहकारी समिति, परेवा वैश्य, में कथित अनियमिततायें

*६१--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि क्षेत्रीय सहकारी समिति लि०, परेवा वैश्य, जिला पीलीभीत, की वार्षिक मीटिंग दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ को हुई, जिसमें ए० डी० ओ०, सहकारिता, बी० डी० ओ०, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, आदि सरकारी अधिकारियों ने उपस्थित रहकर निम्नलिखित अनियमिततायें करायीं :--

(अ) सभापति की अनुपस्थिति में, उप सभापति के रहते हुए ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाया जो समिति का सदस्य भी नहीं था ;

(ब) कार्यवाही रजिस्टर में उन लोगों को भी उपस्थित दिखाया गया, जो सदस्य नहीं थे, तथा उनके भी मत लिये गये जो बकायादार थे ;

(स) नियम विरुद्ध, अन्य विषय में, उप सभापति को अचानक सदस्यता से खारिज किया और मतदान में रजिस्टर की उपस्थिति से भी अधिक व्यक्तियों से मतदान कराया जो सदस्य नहीं थे ?

यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में पूरी जांच करके जनहित में कार्यवाही करेगी ?

श्री बनारसीदास--

यह सही है कि क्षेत्रीय सहकारी समिति लि० परेवा वैश्य, जिला पीलीभीत, का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक जलसा दिनांक ४-१२-६२ को हुआ जिसमें ए० डी० ओ० सहकारिता अमरिया, बी० डी० ओ०, अमरिया तथा अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, पीलीभीत, ने भाग लिया परन्तु यह सत्य नहीं है कि इन अधिकारियों ने कोई भी अनियमितता कराई।

(अ) समिति की नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि पिछले संचालक मंडल द्वारा चुना हुआ सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति ही साधारण सभाओं की बैठकों का सभापतित्व करेगा। अतः उपस्थित सदस्यों ने जिस व्यक्ति को वार्षिक अधिवेशन का सभापति चुना, उसे अवैधानिक नहीं कहा जा सकता। यह सही नहीं है कि सदस्यों ने जिस व्यक्ति को सभापति चुना था वह सदस्य नहीं था। २५-१०-६२ को संचालक मंडल ने उस व्यक्ति को सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया था जो ४-१२-६२ को जलसा धाम का सभापति चुना गया यदि इस सम्बन्ध में किसी के आपत्ति थी तो वह रजिस्ट्रेशन के लिये आरबिट्रेशन के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता था परन्तु कोई आरबिट्रेशन इस विषय पर दायर नहीं हुआ।

(ब) यह सही नहीं है कि कार्यवाही रजिस्टर में उन लोगों को भी उपस्थिति दिखाई गई है जो समिति के सदस्य नहीं थे। उस वार्षिक अधिवेशन में २९८ सदस्यों ने भाग लिया था और उन्हीं के नाम कार्यवाही रजिस्टर में हैं।

२९८ उपस्थित सदस्यों में से २६ सदस्यों ने अपने एक हिस्से की पूरी कीमत जमा नहीं की थी और एक सदस्य ऋण का बकायादार था। अतः इन २७ सदस्यों को अलग बिठाया गया था और उन लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया।

(स) अन्य विषय में सभापति की अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। उक्त वार्षिक अधिवेशन के सभापति की अनुमति प्राप्त करने पर श्री किशन लाल वैश्य, भूतपूर्व उप सभापति, को समिति की सदस्यता से पृथक करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो कि बहुमत से पास हुआ। यह सही नहीं है कि रजिस्टर में उपस्थित व्यक्तियों से भी अधिक ने मतदान किया।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि समिति के वार्षिक जलसे में कोई अनियमितता नहीं हुई। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के पी० आर० डी० में छटनी

*६२--श्री ऊदल --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० आर० डी० के ५२ व्यक्तियों को वाराणसी जिले में १६ दिसम्बर, १६६२ से रेलवे लाइन तथा तार की हिफाजत के लिये रखा गया था और उन्हें १ दिसम्बर, १६६३ को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इन लोगों को पुलिस विभाग में और दूसरे विभागों में सर्विस देने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इन व्यक्तियों को विविध कार्य करने के हेतु रख लिया गया था, परन्तु जब इनको सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही तो उनको कार्यमुक्त कर दिया गया । जहां तक पुलिस तथा अन्य विभागों में नौकरी में रखने का प्रश्न है, अगर ये व्यक्ति उन पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा दूसरी योग्यतायें रखते हों, तो नियुक्ति अधिकारियों द्वारा इनके मामले में अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जा सकता है ।

विकास खंड ऊंचागांव से जल निकासी

*६३--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार को ज्ञात है कि काचरौठ, भडकऊ, कमालपुर, नरसैना, ऊंचागांव, भगवंतपुर परगना अहार, तहसील अनूपशहर जिला, बुलन्दशहर, में अनूपशहर ब्रांच गंगनहर के नीचे एक बरसाती नाले के निर्माण का प्रयास विकास खंड, ऊंचागांव की ओर से लगभग चार पांच साल हुये किया गया था, जिसमें कि हजारों आदमियों ने श्रमदान किया था और किन्हीं कारणों से योजना सफल न हो सकी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, विकास क्षेत्र ऊंचागांव में गत ५ वर्ष पूर्व ग्राम काचरौठ से मड़कऊ तथा नरसेना कमालपुर तक एक बरसाती नाले को श्रमदान के द्वारा निर्माण करने का प्रयास किया गया था और श्रमदान द्वारा काचरौठ से भड़कऊ तक इस नाले को खोदने का कार्य भी किया गया था । काचरौठ से भगवंतपुर तक इस नाले की लंबाई लगभग ११ मील पड़ती है । श्रमदान द्वारा इतने लम्बे कार्य का होना कठिन था परन्तु अन्य ग्रामों का सहयोग न मिलने के कारण कार्य बीच में ही छोड़ देना पड़ा ।

*६४--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि काचरौठ, भड़कऊ, कमालपुर, बरसेनापुर, ऊंचागांव ग्रामों में से भगवंतपुर तक एक नाले का निर्माण कराया जावे, जिससे कि वर्षा में जो इन ग्रामों में बरसाती पानी जमा हो जाता है उसका निकास हो सके ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक कराया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

भगवन्तपुर एवं कमालपुर नाले निर्माण की योजनाओं को ग्रामीण जन-शक्ति योजना के तृतीय चरण में लेने के लिये शामिल किया गया था । परन्तु इसी बीच में योजना आयोग भारत सरकार के यह आदेश आये कि संकट कालीन स्थिति के कारण ग्रामीण जन-शक्ति योजना को केवल अत्यधिक पिछड़े हुये जिलों में लागू किया जाय । तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिलों के विभाजन के अनुसार बुलन्दशहर पिछड़े हुये जिलों में नहीं शामिल किया गया है । अतः उपरोक्त आदेशानुसार उक्त जिले की प्रस्तावित योजनाओं को निकालना पड़ा ।

सहारनपुर जिले में खेती के औजार

*६५--श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले में पिछले दो साल में ब्लाक-वाइज कितने-कितने खेती के औजार सरकारी हिसाब में खरीद कर या छूट (Subsidy) देकर किसानों को दिये गये और वह किन-किन दुकानदारों के लिये होते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

†सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

*६६--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि ऊपर कहे खेती के औजार खरीद कराने के लिये ब्लाक दफ्तरों से सरकारी नौकर स्वयं साथ जाकर माल खरीद करते हैं और किसानों की मरजी के विरुद्ध उन्हें यह औजार दिलाये जाते हैं जो वह ठीक नहीं समझते ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

†सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

*६७--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरसवा ब्लाक में Disc Harrows खरीदने के संबंध में लोगों को मजबूर किया कि वे खास जगह की Harrows खरीदें और वे सब अब बेकार उन किसानों के पास पड़ी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं ।

जिला सहकारी संघ, बलिया

*६८--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बलिया डी० सी० एफ० ३ वर्ष से जो खाद पर कमीशन होता है संबंधित यूनियनों तथा ब्लाकों को नहीं दे रहा है ? यदि हां, तो क्यों, क्या सरकार जांच कर इसकी एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--

जिला सहकारी संघ, बलिया द्वारा सहकारी यूनियनों के गत ३ वर्ष के खाद के कमीशन की धनराशि को यूनियनों के खातों में संबंधित वर्ष में ही जमा कर दिया गया है । इसलिये इस विषय पर किसी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

महाराजगंज विकास क्षेत्र में कूप निर्माण सहायता का दुरुपयोग

*६९--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या विकास मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड महाराजगंज के अन्तर्गत ग्राम हरखपुरा खास में सरकारी सहायता से कितने कुयें बने हैं ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*७०--श्री उमाशंकर--

क्या यह सच है कि उन लोगों ने कुएं की रकम घर बनवाने में खर्च की और एक भी कुआं मौजूदा समय में नहीं बना है ? क्या सरकार उनसे सहायता की गई रकम वसूल करन का प्रबंध कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पीलीभीत जिले में ए०डी०ओ०

*७१--श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह--

क्या नियोजन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कोई जी० ओ० नं० ३०८-३५-१२६ ए० ई० एस०-५८, दिनांक १५ जून, १९६१ विकास आयुक्त के यहां से सब जिलाधीशों को भेजा गया कि २/३ ए० डी० ओज० ग्राम सेवक में से लिये जायेंगे ? यदि हां, तो सूबे में ऐसे कितने ए० डी० ओज० उक्त आदेश के बाद लिये गये ?

*७२--क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि जिला पीलीभीत में कितने ग्राम सेवक तरक्की पाकर ए० डी० ओज० हुये, वे कौन-कौन हैं ?

*७३--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में कितने सेनेट्री इन्सपेक्टर बहैसियत ए० डी० ओ० पब्लिक हेल्थ हैं जो प्लानिंग विभाग में काम कर रहे हैं और उनमें कौन-कौन स्थाई किये गये हैं तथा कौन-कौन अस्थाई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कृपाशंकर अवस्थी, सहायक विकास अधिकारी, इकौना की मृत्यु

*७४--श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कृपाशंकर अवस्थी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्षेत्र, इकौना, जिला बहराइच, की आकस्मिक मृत्यु दिनांक २२ नवम्बर, १९६३ को इस कारण से हुई कि जिले के अधिकारी इस पर निराधार आरोप लगाकर उसे मुअत्तल किये थे और ६-६ महीने तक उसको जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं दिया, जिससे अपने बाल-बच्चों के दुख को सहन नहीं कर सका और उसका हार्ट फेल हो गया ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं । श्री कृपाशंकर अवस्थी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), की मृत्यु दिनांक २१ नवम्बर, १९६३ की रात्रि को अचानक हृदय-गति रुकने के कारण हुई थी ।

*७५--श्री रामआधार कनौजिया--

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी पर कौन से आरोप थे, वे कब मुअत्तल किये गये थे, जीवन निर्वाह भत्ता के लिये कब प्रार्थना-पत्र दिये गये थे ? क्या मंत्री जी प्रार्थना-पत्र सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--

श्री कृपाशंकर अवस्थी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), को दिनांक १ जून, १९६३ से मुअत्तल किया गया था और उन पर ४२ आरोप लगाये गये थे। ये आरोप मुख्यतया फर्जी डायरी भरने, ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों के फर्जी निरीक्षण डायरी में दिखलाने, पंचायत मंत्रियों से धन प्राप्त कर उसे अपहरण करने, प्रधान वर्गी वर्गा से अनुदान की धनराशि से १६० रु० अपने पास रख लेने, क्षेत्र विकास अधिकारी, इकौना के नाम से आये मनीआर्डर को प्राप्त करके उसे शासकीय कोष में समय पर जमा न करके अपने पास रखने, क्षेत्र विकास अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करने तथा अपने कार्यालय को अव्यस्थित रखने आदि से संबंधित थे। श्री अवस्थी ने जीवन निर्वाह भत्ते के लिए दिनांक ९ जुलाई, १९६३, १६ अगस्त, १९६३, १ सितम्बर, १९६३, १९ सितम्बर, १९६३ तथा १६ अक्तूबर, १९६३ को प्रार्थना-पत्र दिये गये जिनकी प्रतिलिपियां† सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

निदेशक पंचायत राज के विचाराधीन अपीलें

*७६--श्री रामआधार कनौजिया--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में जिला बहराइच के कितने तथा किन गांव पंचायत मंत्रियों की अपील ६-६ महीने से पड़ी हैं और निर्णय नहीं हुआ, इसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति--

निदेशक, पंचयायत राज के कार्यालय में केवल एक भूतपूर्व पंचायत मंत्री, श्री शालीग्राम शरण पांडेय, का पुनरावलोकन प्रार्थना-पत्र ६ महीने से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़ा है। जिले से प्राप्त रिपोर्ट अस्पष्ट होने तथा पूर्ण पत्रादि प्राप्त न होने के कारण इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका।

आजमगढ़ सदर अस्पताल की लेडी डाक्टर

*७७--श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री ११ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४ तथा ५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान लेडी डाक्टर के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*७८--श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि उक्त लेडी डाक्टर का अनुभव ऐसा नहीं है कि वे सदर अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल की इंचार्ज रहे ? यदि हां, तो क्या उनका शीघ्र तबादला सरकार करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

चूंकि आजमगढ़ के सदर अस्पताल की वर्तमान लेडी डाक्टर का अनुभव अच्छा है तथा वे परिश्रम और लगन से कार्य कर रही हैं, अतएव उनका वहां से तबादला करना आवश्यक नहीं है।

---

†छापी नहीं गई।

आगरा जोन्स मिलों में श्रमिकों का फंड एवं भत्ता

*७९—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जोन्स कारोनेशन स्पिनिंग मिल नं० ३ में से सन् १९५६ में श्रमिकों से जो फंड काटा गया था, उसका क्या हुआ और फंड का रुपया कितना था ?

श्री बनारसीदास—

इस मिल के श्रमिकों के वेतन से १९५६ में प्राविडेंट फंड का कोई पैसा काटा नहीं गया था।

*८०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जोन्स मिलों में महंगाई सूचक अंकों के अनुसार महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री बनारसीदास—

इस संबंध में जारी की गई राजाज्ञा सं० ३७५४/एलएल/१८, ८९४/एल/१९४८, दिनांक ६ दिसम्बर, १९४८, कानपुर के बाहर की सूती मिलों पर लागू नहीं है और वस्त्रोद्योग वेतन मंडल की सिफारिशों के प्रकाशन के समय ये मिलें बन्द थीं अतएव सूचक अंकों के अनुसार इन मिलों में महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता।

*८१—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जोन्स मिलों के मजदूरों को प्राविडेंट फंड योजना की सुविधा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

इन मिलों के मजदूरों पर प्राविडेंट फंड योजना लागू है। अतः इसके कार्यान्वित करने के लिये उचित कदम उठाए गये परन्तु मिल मालिकों ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। यह मुकदमा अभी १३ फरवरी, १९६४ को निर्णीत हो गया है और योजना को कार्यान्वित करने के लिये उचित कार्यवाही की गई है।

काश्मीर मेडिकल कालेज के छात्र का स्थानान्तरण

*८२—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनहित में कोई आदेश पिछले दो वर्षों के भीतर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को एक मेडिकल कालेज के छात्रों का स्थानान्तरण किसी दूसरे मेडिकल कालेज को कर देने का किया गया है ? यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रति सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं, ऐसा कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है।

*८३—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या यह सही है कि एक छात्र का स्थानान्तरण इसी अवधि में काश्मीर मेडिकल कालेज से आगरा मेडिकल कालेज को हुआ है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां।

*८४—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, से इसी अवधि के अन्तर्गत किसी छात्र का स्थानान्तरण कानपुर मेडिकल कालेज या राज्य के अन्य किसी मेडिकल कालेज को किया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं।

[४ फरवरी, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[१८ फरवरी १९६४ के लिए स्थगित किये गये]

बाराबंकी जिले में ग्राम शक्ति योजनान्तर्गत सड़कें

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कौन-कौन-सी सड़कों का मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत कितनी-कितनी दूरी और लागत का एस्टीमेट बनवाया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०३ पर।)

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बाराबंकी जिला भी गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर जिलों की श्रेणी में है और उत्तरी सीमा से काफी निकट है और राजधानी से भी काफी निकट है, ऐसी दशा में क्या सरकार यातायात की सुविधायें सुलभ करने हेतु अन्य १९ जिलों की भांति बाराबंकी जिले को भी जनशक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राज्य के प्लान विभाजन के अनुसार गोंडा, बहराइच तथा सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जिले हैं परन्तु बाराबंकी का जिला इसके अनुसार पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी में नहीं आता। वह जिला राजधानी के निकट अवश्य है, परन्तु भारत की उत्तरी सीमा से काफी निकट नहीं है। इस प्रोग्राम के तीसरे चरण (सीरिज) की योजना बनाते समय चूंकि भारत सरकार के आदेश आ गए कि संकटकालीन परिस्थिति के कारण फिलहाल ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले काम प्रदेश के केवल पिछड़े हुए क्षेत्रों तक ही सीमित रहें अस्तु बाराबंकी जिले को ग्रामीण शक्ति उपयोग योजना के तीसरे चरण के कार्यों के अन्तर्गत शामिल करना संभव नहीं हुआ। दूसरे चरण की स्कीमों के अन्तर्गत इस जिले में एक ही योजना स्वीकृति की गई है।

*५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन से जिले लिये गये हैं और उन जिलों में कितना धन सड़क निर्माण पर व्यय करने की योजना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित २१ जिले लिये गये हैं :--

मथुरा, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इटावा, झांसी, जालौन, आगरा, अलीगढ़ ।

अभी तक इस योजना के अन्तर्गत इन जिलों में सड़क निर्माण पर कुल १४६.९९ लाख रुपया व्यय करने का अनुमान है ।

*६-८--श्री भोखालाल--

[५ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ६८-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*९-१०--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१८ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

सहकारी खेती

*११--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने एकड़ भूमि में सहकारी कृषि करने के लिये किसान प्रेरित किये जायेंगे ? क्या इसका कोई लक्ष्य सरकार ने बनाया है ?

श्री बनारसीदास--

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ९०० सहकारी समितियों के संगठन का लक्ष्य है । इन समितियों के अन्तर्गत कितनी भूमि होगी, इसका कोई निर्धारित लक्ष्य तो नहीं है परन्तु फार्मों का क्षेत्रफल २७,००० एकड़ से कम नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक कृषि समिति के निबन्धन के लिये कम से कम ३० एकड़ भूमि आवश्यक है ।

*१२--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६२-६३ में प्रदेश में कुल कितने एकड़ भूमि में सहकारी कृषि की गई और इसमें कुल कितनी आय हुई ?

श्री बनारसीदास--

वर्ष १९६२-६३ में ४९,३७६ एकड़ भूमि पर सहकारी कृषि समितियों में कृषि की गई और उपज से समितियों में कुल ६४.१७ लाख रुपये की आय हुई ।

गांव सभा, हाजीपुर के पंचायत भवन का ठेका

*१३--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मंत्री दिनांक २० मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा हाजीपुर के पंचायत भवन का ठेका किसने कितने रुपये में दिया और कब तक ठेकेदार को रुपया दिया जा सकेगा ?

श्री राममूर्ति--

दिनांक २० मार्च, १९६३ को प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर में सदस्य महोदय को सूचित किया गया था कि गांव सभा हाजीपुर के पंचायत भवन निर्माण सम्बन्धी धन का भुगतान धनाभाव के कारण नहीं किया जा सका । परन्तु अब जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त पंचायत भवन का निर्माण तत्कालीन प्रधान श्री जगदीश नारायण सिंह ने अपनी देखरेख में कराया था । किसी को ठेका नहीं दिया गया था । अतएव ठेकेदार को भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

*१४--श्री मंगलदेव--

[१८ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में खाद में मिलावट

*१५—श्री होरीलाल यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में मार्केटिंग सोसाइटी लिजीगंज में माह नवम्बर या दिसम्बर, १९६३ के महीनों में खाद के बोरों की जगह पर नमक के बोरे पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

सिन्द्री खाद के ५१ बोरों में मिलावट होने की आशंका पर फर्टीलाइजर इन्सपेक्टर ने जिला कृषि अधिकारी व सहायक निबन्धक सहकारी समितियों के सामने सेम्पिल निकाल कर तथा सील करके डिप्टी डायरेक्टर फर्टीलाइजर, लखनऊ को जांच हेतु भेजा । रासायनिक जांच रिपोर्ट के अनुसार इन सभी ५१ खाद के बोरों में नाइट्रोजन का प्रतिशत शून्य पाया गया ।

जिलाधीश फर्रुखाबाद ने यह मामला पुलिस को दे दिया है ।

वाराणसी में सब-रीजनल एम्प्लायमेंट आफिस की आवश्यकता तथा आई० टी० आई० की मांग

*१६—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में सब-रीजनल एम्प्लायमेंट आफिस अब तक न बनाने का कारण क्या है जबकि कानपुर में रीजनल तथा आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, लखनऊ, बरेली, झांसी, गोरखपुर में सब-रीजनल आफिस पहले से ही खोल दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या वाराणसी में जल्द से जल्द सब-रीजनल आफिस खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बनारसीदास—

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

*१७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम विभाग की तरफ से आई० टी० आई० की ६ माह की ट्रेनिंग आजमगढ़, जौनपुर व वाराणसी के छात्रों को वाराणसी में दी गयी और वह ३१ जुलाई सन् १९६३ को समाप्त हो गयी ? यदि हां, तो कितने छात्रों ने ट्रेनिंग पायी और ट्रेनिंग के बाद उनको कहां-कहां अपरेन्टिस में भेजा गया है या भेजा जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । ३०३ छात्रों ने ट्रेनिंग प्राप्त की । अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत ऐसे ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्तियों को अपरेंटिस में भेजने की कोई व्यवस्था न थी । चूंकि भारत सरकार ने उक्त योजना लागू की थी उनसे इस प्रकार की व्यवस्था करने को लिखा गया है ।

*१८—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छात्रों से एक बांड भरवाया गया था कि ट्रेनिंग काल में कहीं नहीं जायेंगे और ट्रेनिंग के बाद सरकार की सेवा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

जी हां ।

सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा का मुर्दा चीरफाड़ गृह

*१९---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा हास्पिटल रोड के निवासियों का सरोजिनी नायडू अस्पताल में स्थित, मुर्दा चीर-फाड़ गृह (मोरच्यूरी) को हटाने सम्बन्धी, आवेदन-पत्र सन् १९६३ में सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जी हां । समस्या पर विचार करने के हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने, स्वयं आगरा जाकर परिस्थिति का निरीक्षण किया । उनकी राय में मेडिकल कालेज में मोरच्यूरी (mortuary) का होना नितान्त आवश्यक है कारण कि वहां केवल पुलिस के पोस्ट-मार्टम ही नहीं वरन् कालेज के स्नातकों के अध्ययनार्थ पैथोलोजी पोस्ट-मार्टम भी होते हैं ।

*२०---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा अस्पताल सलाहकार समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उनमें कोई जिले के एम० एल० ए० हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

आगरा में अस्पताल सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

*२१-२२---श्री नेकराम शर्मा---

[१२ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में हरिजनों को रोजगार

*२३---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

३० अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सन्दभ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ के वर्ष में फतेहपुर जिले के सभी विभागों में एम्प्लायमेंट कार्यालय, फतेहपुर द्वारा १४० चपरासियों व पंखा-कुलियों आदि में से केवल १६ ही हरिजन रखवाने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास---

अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित स्थानों के प्रति अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही, यदि प्राप्य हों, सेवायोजन कार्यालय द्वारा सम्प्रेषित किये जाते हैं । अन्य स्थानों के प्रति उन्हें मुख्यता नहीं दी जाती है । उनमें तो वे अपनी बारी से ही साधारण व्यक्तियों के साथ सम्प्रेषण प्राप्त करते हैं । नियुक्ति में नियोजक स्वाधीन है और सेवा-योजन कार्यालय का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं ।

मेडिकल कालेज, कानपुर में क्षय रोगी रामआसरे के संबंध में जांच

*२४---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

३० अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न ७३ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक ११ फरवरी, १९६३ के पत्र में कौन-कौन आरोप थे, उस पर जांच के लिये भूतपूर्व मंत्री जी के क्या आदेश थे और किस अधिकारी द्वारा किसको उपस्थिति में जांच करायी गयी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

प्रश्नकर्ता के दिनांक ११ फरवरी, १९६३ के पत्र में मुख्य आरोप ये थे कि शासन का आदेश होने पर भी श्री राम आसरे, क्षय रोगी, को मुख्य टी०बी० अस्पताल में न रख कर बहुत समय तक किदवई नगर के आइसोलेशन अस्पताल में रक्खा गया तथा उनके भोजन, इलाज व दवा आदि का अस्पताल से समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया और उनके साथ अस्पताल में व्योवहार भी अच्छा नहीं हुआ । इन आरोपों पर भूतपूर्व मंत्री जी ने आदेश दिये थे कि मामले की अच्छी तरह जांच कराई जाये । यह जांच संयुक्त निदेशक, स्वास्थ विभाग, द्वारा मेडिकल कालेज, कानपुर के अस्पतालों के अधीक्षक की उपस्थिति में की गई ।

*२५--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

उक्त तिथि के प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काफी क्षय रोग से बढ़े हुये असाध्य कितने रोगी टी० बी० आइसोलेशन अस्पताल, किदवई-नगर, कानपुर, में अप्रैल, १९६२ से सितम्बर, १९६३ तक भेजे गये ? और उनमें कितने अच्छे हुये तथा कितने मरे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

टी० बी० आइसोलेशन अस्पताल, किदवाईनगर, कानपुर, में अप्रैल १९६२ से सितम्बर १९६३ तक ७८ रोगी भर्ती हुये, जिसमें से ५२ रोगी अच्छी हालत में डिस्चार्ज हुये और १३ की मृत्यु हो गई ।

बहराइच ट्रेजरी में क्लर्कों का वेतन

*२६--श्री रामअधार कनौजिया--

११ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न १५५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल सन् १९६० को सरकार द्वारा कोई ऐसा शासकीय आदेश दिया गया है जिसके पैरा ४ में यह आदेश दिया गया है कि बिल पासिंग का कार्य जितने भी क्लर्क करेंगे उनका वेतन क्रम ८५-६-१४५ होगा ? यदि हां, तो बहराइच जनपद में जो पांच क्लर्क पेमेंट का कार्य करते हैं, क्या उनको सरकार वही ग्रेड देती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

यह सच है कि प्रश्न में उल्लिखित राजाज्ञा के अनुसार बिल पास करने वाले क्लर्कों को ८५-६-१४५ के वेतन-क्रम में वेतन मिलना चाहिये किन्तु ११-१२-६३ के तारांकित प्रश्न सं० १५५ के उत्तर में जिन ५ पेमेंट क्लर्कों का प्रसंग आया है वह सब बिल नहीं पास करते । उनमें से तीन तो पर्सनल वेयर, पेन्शन तथा जे० डी० सी० का काम करते हैं और एक आंशिक रूप से बिल पास करता है । इस प्रकार केवल एक क्लर्क पूर्णतया बिल पास करने का काम करता है और उसको ८५-१४५ के वेतन-क्रम में वेतन दिया जाता है । अन्य क्लर्कों को उपरोक्त वेतन क्रम में वेतन देय ही नहीं है अतः उन्हें यह वेतन नहीं मिलता ।

*२७--श्री रामअधार कनौजिया--

सन् १९६१-६२ में बहराइच के ट्रेजरी में कितने बिल पास हुये, कितने एतराज के साथ बापस हुये और कितने बिल को रिवैलिडेट किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सन् १९६१-६२ में बहराइच ट्रेजरी में कुल २,५६९ बिल पास किये गये । ऐतराज के बिलों का कोई हिसाब नहीं है क्योंकि ये बिल किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं किये जाते हैं । कुल १,१३६ बिल इस सन् में रिवैलिडेट किये गये ।

*२८-३०--- श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजर सिंह--

[१६ मार्च, १९६४ के लिये प्रश्न ४३-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जिला परिषद् कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु

* ३१---श्री शारदाभक्तसिंह तथा श्री होरीलाल यादव---

क्या विकास मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिला परिषद् के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि कर दी गयी है, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला परिषद् के अन्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---

जिला परिषद् के अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर अभी हाल ही में सरकार ने विचार किया था और यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया ।

*३२---श्री शारदाभक्तसिंह तथा श्री होरीलाल यादव---

यदि हां, तो कब तक उस वृद्धि की घोषणा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति ---

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर जिला अस्पताल में डाक्टर

*३३---श्री शारदाभक्तसिंह ---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला अस्पताल में कितने डाक्टर तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय से इसी अस्पताल में कार्य कर रहे हैं और क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना ---

केवल एक; डाक्टर की प्रार्थना पर जिसे सरकार ने उचित समझा ।

कोंच में शराबखाना

*३४---श्री मन्नालाल (जिला खीरी) ---

क्या सरकार को पता है कि कोंच, जिला जालौन, में शराबखाना उसी जगह है जहां पर झांसी कमिश्नरी का सबसे श्रेष्ठ रामलीला भवन है, बच्चों का स्कूल है व महिलाओं का चूड़ी बाजार और नगर का प्रमुख बाजार है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना ---

जी हां । कस्बा कौंच में शराब की दुकान रामलीला भवन के सामने नहीं है बल्कि उसके पीछे २० गज के फासले पर स्थित है । बच्चों का स्कूल रामलीला भवन के ऊपर, चूड़ी की दूकानें रामलीला भवन के सामने हैं । कौंच के मुख्य बाजार के एक कोने में यह शराब की दूकान स्थित है ।

*३५---श्री मन्नालाल---

क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर इस शराबखाने के कारण नित्यप्रति उपद्रव और लज्जाजनक घटनायें होती हैं और इसलिये इसे हटाने के लिये अनेक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश जालौन तथा पुलिस अधिकारियों को दिये जा चुके हैं और सभी समाचार-पत्र इस शराबखाने का विरोध कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

साधारणतः अन्य शराब की दूकानों की तरह छोटी- मोटी घटनायें भले ही हो जाती हों परन्तु कोई महत्वपूर्ण अनैतिक व अनियमित घटना सुनने में नहीं आई और न कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश तथा पुलिस अधिकारियों के पास दूकान हटाने के लिये आये। थाने पर भी इस विषय की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई और किसी अखबार में दूकान के विरोध में समाचार छपने की जानकारी विभाग को नहीं है।

गत तीन वर्षों में उपद्रवी शराबियों के खिलाफ २४ मुकदमे पुलिस ऐक्ट की धारा ३४ के अन्तर्गत अवश्य कायम किये गये हैं।

*३६—श्री मन्नालाल —

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शराबखाने को तुरन्त हटवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना —

चूंकि यह दुकान वर्तमान स्थान पर पिछले २० व २५ वर्ष से है इसलिये इसको वर्तमान स्थान से हटाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। यदि दूकान इसलिये हटाई जाय कि वह मुख्य बाजार में स्थित है, तो शहरों की शराब की दूकानों के बारे में यह एक आम बात है। दूसरे, दूकान हटाने से एक्साइज रेवेन्यू में काफी नुकसान होगा। तीसरे, रामलीला साल में १५ दिन होती है। उपरोक्त कारणों से दूकान का हटाया जाना आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

सहकारी कृषि समितियां

*३७—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर) —

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में किन-किन जिलों में कितने-कितने सहकारी फार्म चल रहे हैं?

श्री बनारसीदास —

३० जून, १९६३ को प्रदेश की चालू सहकारी कृषि समितियों की संख्या ५३५ थी। इनकी जिलेवार संख्या संलग्न सूची (क) में अंकित है।

*३८—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा —

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी फार्मिग सोसाइटियां जो विभिन्न जिलों में चल रही हैं और रजिस्टर हुई हैं उनमें से कितनी चल रही हैं और कितनी डिफंक्ट हो गई हैं?

श्री बनारसीदास —

३० जून, १९६३ तक प्रदेश में निबन्धित सहकारी कृषि समितियों की संख्या ७२२ थी जिनकी जिलेवार संख्या संलग्न सूची (ख) में अंकित है। इन समितियों में से १०६ समितियों ने अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया था, ५३ ५समितियाँ कार्यशील थीं तथा ८१ समितियां डिफंक्ट थीं।

*३९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा —

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया या अन्य किसी केन्द्रीय या प्रान्तीय कमेटी ने उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि समितियों की वर्किंग का अवलोकन किया है? यदि हां, तो इसके बारे में उनकी क्या राय है?

श्री बनारसीदास--

३९--लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों की दो टोलियों, उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि परामर्शदात्री परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कृषि अर्थ अनुसन्धान केन्द्र की एक टोली द्वारा प्रदेश की कुछ सहकारी कृषि समितियों के कार्य का अवलोकन किया गया।

संसद सदस्यों द्वारा अवलोकित समितियों के सम्बन्ध में उनके विचार †पत्र (ग) पर संलग्न हैं। अन्य दो टोलियों की पूर्ण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*४०-४१--श्री गंप्रसाद सिंह--

[१८ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*४२-४३--ब्रह्मदत्त मायर--

[१८ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले में नशा ठेकेदारों पर बकाया

*४४--श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती तथा गोरखपुर जिलों में किन-किन गांजा, भांग तथा शराब के ठेकेदारों पर सन् १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ ई० का सरकारी धन, जैसे लाइसेंस फीस आदि बकाया है और उसकी वसूली के लिये क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

निर्दिष्ट वर्षों में गांजा, भांग तथा शराब के ऐसे ठेकेदारों, जिनके विरुद्ध सरकारी धन जैसे लाइसेंस फीस आदि बकाया है, की संख्या गोरखपुर में शून्य और जिला बस्ती में चार है। इन ठेकेदारों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०४ पर।)

उपभोक्ता भण्डार

*४५--श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जबकि केन्द्रीय सरकार का यह निर्देश है कि १०० सदस्यों तथा १,००० रुपये की अंश पूंजी पर सहकारी उपभोक्ता भण्डार खुल जाना चाहिये तो क्या कारण है कि प्रदेश में २५० सदस्यों तथा २,५०० की अंश पूंजी पर ही भण्डार खोले जाते हैं, जिससे कि सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है ?

श्री बनारसीदास--

२५० सदस्यों तथा २,५००रु० की अंश पूंजी पर ही उपभोक्ता भण्डार खोलने का कोई प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार या रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा नहीं लागू किया गया है।

*४६--श्री मुकुटविहारी लाल--

क्या सरकार नियमों में सुधार कर केन्द्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--

नियमों में सुधार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

गाजीपुर जिले में नलकूप

*४७--श्री मुन्नूसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में १० वर्ष पूर्व सरकार ने १३ नलकूपों के लिये १ लाख १३ हजार रुपया का ऋण दिया था ? यदि हां, तो उनमें कितने नलकूप लगे और कितने नहीं ? क्या कुछ नलकूप जो लगे हैं उनसे सिंचाई न करके आटे की चक्कियां चलाई जा रही हैं और क्या कर्ज का रुपया वसूल हो गया ?

---

†छापा नहीं गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, १९५३–५४ वर्ष में सरकार ने १३ नलकूपों के निर्माण हेतु एक लाख १३ हजार आठ सौ रुपये का ऋण दिया। इन १३ नलकूपों में से तीन नलकूप पूर्णरूप से लगे तथा शेष नहीं। इन तीन बने नलकूपों में से दो से सिंचाई न करके आटे की चक्कियां चलाई जा रही हैं। उनसे कर्जे की वसूली का विवरण निम्न प्रकार है :—

	कर्ज	वसूली
	रु०	रु०
विक्रमपुर	५,०००	५,०००
नहर नं० २	१०,०००	४,५२९.३१

बेलघाट विकास क्षेत्र में कुएं की बोरिंग

*४८—श्री मंगलदेव—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पोस्ट लखुवापाकड़ के कुछ किसानों ने अपने कुओं की बोरिंग कराने के लिये जिला गोरखपुर के बेलघाट ब्लाक के कार्यालय में आवश्यक धनराशि वर्षों पूर्व जमा कर दी थी ? यदि हां, तो अब तक बोरिंग क्यों नहीं की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*४९—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि काफी दिनों से बोरिंग का पूरा सेट उक्त गांव में पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

*५०–५१—श्री मुकुटबिहारी लाल—

[१६ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

यू०पी० मेडिकल कौन्सिलेशन ऐक्ट

*५२—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऐक्ट तृतीय, सन् १९१७ ई० जो इतना पुराना हो चुका है कि आज की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उसको बदलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, इस सम्बन्ध में यू० पी० मेडिकल कौंसिल से सुझाव मांगे गये हैं, जिसकी प्राप्ति पर आगे विचार किया जा सकेगा।

*५३—श्री ऋषिनारायण शास्त्री—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब भारत सरकार ने सन् १९५६ ई० में आवश्यक संशोधनों के साथ मेडिकल कौंसिल ऐक्ट बना लिया है तो प्रदेशीय सरकार को उसके मन्तव्यों के अनुसार यू० पी० मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऐक्ट तृतीय सन् १९१७ को संशोधित करने में क्या कठिनाई है, जबकि यह आवश्यक है कि सभी स्टेट मेडिकल ऐक्ट्स भारतीय मेडिकल कौंसिल ऐक्ट के अनुसार हों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न संख्या ५२ के उत्तर को देखते हुए कठिनाई का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*५४—श्री होरीलाल यादव—

[हटा दिया गया]।

एक्साइज इन्स्पेक्टर, श्री अवधनारायण सक्सेना की गिरफ्तारी

*५५—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री नारायणसिंह (जिला बदायूं)—

क्या आबकारी मन्त्री को पता है कि जिला बदायूं में ६ नवम्बर, १९६३ को श्री अवध नारायन सक्सेना, एक्साइज इन्स्पेक्टर को श्री कर्ण सिंह डिप्टी एस० पी० ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया? यदि हां, तो फिर उपरोक्त एक्साइज इन्स्पेक्टर को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। ६-११-६३ को श्री सक्सेना को रिश्वत लेने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया। श्री सक्सेना को उक्त अभियोग के सम्बन्ध में सस्पेंड करने का मामला आबकारी आयुक्त के विचाराधीन है। यदि श्री सक्सेना के विरुद्ध प्रत्यक्षतः अभियोग सिद्ध होगा तो उनको सस्पेंड किया जायगा।

श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री नारायणसिंह—

*५६—क्या यह भी सही है कि उपरोक्त एक्साइज इन्स्पेक्टर अभी तक उसी हल्के पर काम कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उक्त मामले की छानबीन की जा रही है और अभी तक श्री सक्सेना के स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

आगरा जिला सहकारी संघ के कोयले का नीलाम

*५७—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिला सहकारी संघ का बीस वैगन कोयला रेलवे ने चौबीस हजार रुपया डैमरेज चढ़ जाने के कारण नीलाम कर दिया? यदि हां, तो उपरोक्त कोयला न उठाने के क्या-क्या कारण थे? क्या सरकार इस केस की जांच कराने एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, आगरा जिला सहकारी संघ का बीस वैगन कोयला डैमरेज चढ़ जाने के कारण रेलवे अधिकारियों द्वारा नीलाम कर दिया गया। उपरोक्त कोयला न उठाने का कारण निम्न-लिखित है :—

यह कोयला जिला सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा उठाना था जहां कोयले से लदे २० वैगन खड़े थे वहां पानी अधिक मात्रा में भरा हुआ था जिसके उठाने में उक्त संघ को काफी नुकसान उठाना पड़ता। रेलवे के उच्च अधिकारियों से उन वैगनों को बेलनगंज स्टेशन पर भेजवाने की प्रार्थना की गई परन्तु न तो कोयला बेलनगंज स्टेशन के ऊंचे स्थान पर भेजने की अनुमति ही प्राप्त हुई और न उक्त रेलवे अधिकारियों ने डेमरेज आदि को माफ ही किया। डैमरेज तथा व्हार्फेज ८४,८४७-४० रुपये पड़ चुके थे। अतः उपरोक्त परिस्थितियों से जिला सहकारी

संघ ने उन वैगनों की डिलीवरी न लेने का निश्चय किया। इसके उपरान्त कोयले को रेलवे अधिकारियों द्वारा नीलाम कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में जिला सहकारी संघ के सभापति तथा मन्त्री के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हो पाई है।

देवरिया जिले में विकास समितियों का शासन से सम्पर्क

*५८—श्री उमाशंकर—

क्या विकास मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में जब वे देवरिया जिले के दौरे में गये थे तब सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा था कि विकास समितियों की मीटिंग में जिलाधीश तथा एस० पी० महोदय जाया करेंगे और जनता उनसे खुल कर भ्रष्टाचार की शिकायत करें और अगर जिलाधीश तथा एस० पी० न सुने तो उनकी भी शिकायत मेरे पास करें ?

श्री राममूर्ति—

गृह मंत्री जी दिसम्बर, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में देवरिया जिले के दौरे पर गये थे। वहां एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने यह कहा था कि जिलाधीश तथा एस० पी० विकास समितियों के सदस्यों से यथा संभव अधिक से अधिक संपर्क बनाये रखें। इसका यह आशय नहीं था कि यह दोनों अधिकारी क्षेत्र समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया करें।

*५९—श्री उमाशंकर—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उनकी उक्त घोषणा के बाद आजमगढ़ जिले की किन-किन क्षेत्र समितियों की बैठक में वे लोग गये थे और क्या उनसे कुछ शिकायतें की गयी थीं ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता।

*६०-६१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[१८ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किये गए]

अतारांकित प्रश्न

किसानों को सहकारी बैंकों से ऋण

१—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि यह देखते हुए कि प्रदेश में औद्योगिक ऋण ३-१/२ प्रतिशत दर पर दिया जा रहा है किसानों को सहकारी बैंकों से ९ प्रतिशत पर दिये जाने वाले ऋण की दर में कमी करने की क्या सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री बनारसीदास—

किसानों को दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण की दर ८-३/४ प्रतिशत है और इस दर में कमी करने के लिये इस समय कोई योजना नहीं है।

२—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने ऐसा आदेश भेजा है कि सहकारी बैंकों से जो किसानों को ऋण दिया जाता है उसमें २५ प्रतिशत का खाद किसानों द्वारा लिया जाना आवश्यक है ?

श्री बनारसीदास—

२५ प्रतिशत सहकारी ऋण रासायनिक खाद के रूप में दिया जाना अनिवार्य नहीं है । सहकारी ऋण को २५ प्रतिशत धनराशि रासायनिक खादों के लिये उपलब्ध कराने की व्यवस्था है । किसानों को इस हद तक रसायनिक खाद लेने के लिये समझाने की चेष्टा की जाती है । रासायनिक खाद तभी दी जाती है जब उसको लेने के लिये किसान सदस्य की ओर से इच्छा प्रकट की जाय । मजबूरी किसी को खाद नहीं दिया जाता ।

गाजीपुर जिले में विकास खंडों का सीमा–निर्धारण

३—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में क्षेत्र समितियों का सीमा निर्धारण औसतन कितनी जन-संख्या पर हुआ है और क्या गाजीपुर जनपद में ऐसी भी क्षेत्र समितियां हैं जिनकी आबादी लगभग १ लाख तक की है ?

श्री बनारसीदास—

क्षेत्र समितियों का सीमा निर्धारण केवल जन संख्या के आधार पर ही नहीं किया गया । साधारणत: पुराने विकास खंडों को ही क्षेत्र समितियों का रूप दे दिया गया है । विकास खंडों का सीमा निर्धारण सामान्यतया औसतन ६६,००० जन संख्या के आधार पर किया गया था, परन्तु जिन खंडों की आबादी का घनत्व ७०० प्रति वर्ग मील था वहां उक्त औसत ७५,००० या इससे भी अधिक हो गया; साथ सी भौगोलिक दशा, तहसील की सीमा, नदियों इत्यादि का भी ध्यान सीमा निर्धारण के समय रखा गया । गाजीपुर जिले के विभिन्न खंडों में सबसे बड़े खंड जमानियां तथा सैदपुर हैं जिनकी आबादी विकास खंडों की स्थापना के समय क्रमश: ८७,९७६ व ८२,९११ थी ।

जन–शक्ति योजनान्तर्गत गाजीपुर जिले में सड़कें

४—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में आगामी वर्ष में मेनपावर यूटि-लाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत कितनी मील सड़क बनाने की योजना है और वे कौन-कौन सी सड़कें हैं ?

श्री बनारसीदास—

इस योजना के अन्तर्गत गाजीपुर में १५ मील सड़क बनाने की योजना शामिल की जा चुकी है और सड़कें निम्न प्रकार हैं :—

सैदपुर–सादात रोड —(३ मील)
सैदपुर–सादात रोड—(९ मील)
नरसर–जयरामपुर रोड —(३ मील)

इसके अलावा इस योजना के चौथे चरण में इस जिले में निम्नलिखित दो और सड़कें बनाने का प्रस्ताव है जो कि योजना आयोग के विचाराधीन है :—

कासिमाबाद–सुधागढ़ घाट रोड—(७ मील)
नरबरा से गाजीपुर बलिया रोड—(१–५ मील)
मिलाने वाली सड़क ।

सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां का निरीक्षण

५---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बिसवां, जिला सीतापुर, का निरीक्षण रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष १९६२-६३ और १९६३-६४ में किया गया ? यदि हां, तो उन दोनों वर्षों में उनकी बैंक के बारे में क्या रिपोर्ट है ?

श्री बनारसीदास---

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने सेंट्रल कोआरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां, जिला सीतापुर, का निरीक्षण नहीं किया। वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में बैंक का निरीक्षण बैंक के अधिकारियों ने किया। निरीक्षण रिपोर्ट जनहित में सदन के सम्मुख रखना उचित नहीं है।

६---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त बैंक ने पिछले १५ सितम्बर, से दिसम्बर, १९६३ तक सीजनल ऐग्रीकल्चरल आपरेशन्स के लिए किसानों को कितना ऋण वितरण किया तथा १६ सितम्बर, १९६३ को कितनी तादाद और लागत की कर्जा दरख्वास्तें बैंक की विभिन्न शाखों में पेंडिंग थीं तथा १५ जनवरी, १९६४ तक उनमें से कितने रुपये का भुगतान हुआ और कितना शेष है ?

श्री बनारसीदास---

सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिसवां, जिला सीतापुर, ने १५ सितम्बर, सन् १९६३ से दिसम्बर सन् १९६३ तक सीजनल एग्रीकल्चरल ओपरेशन्स के लिये किसानों को ७९,२५८ रुपया ऋण दिया गया।

(ब) १५ सितम्बर, १९६३ को कुल ११० कर्जा की दरख्वास्तें २,१६,२०१ रुपये की पेंडिंग थी (सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक बिसवां ९९ दरख्वास्तें १,९३,६०६ रुपये व सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक ब्रान्त सीतापुर ११ कर्जे की दरख्वास्तें २२,५९५ रुपये)

(स) १५ जनवरी, १९६४ तक ४६ कर्जे की दरख्वास्तें ८७,९९४ रु० का भुगतान किया गया। (सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक बिसवां ३९ कर्जे की दरख्वास्तें ७१,२८९ रु० व सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक शाखा सीतापुर ७ कर्जे की दरख्वास्तें १६,७०५ रु०।)

(द) १५ जनवरी, १९६४ को सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां, में ६० कर्जा दरख्वास्तें १,२२,३१७ रुपये की भुगतान के लिये शेष रह। सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक शाखा सीतापुर ने ४ कर्जा की दरख्वास्ते ५,८९० रुपये की १५ जनवरी १९६४ के पूर्व ही संबंधित समितियों को आपत्तियों के कारण मूलरूप में वापस कर दी गई थीं।

*७---श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बिसवां की जिला सीतापुर स्थित शाखा कब खोली गई तथा उस शाखा में कैश बुक लिखना कब से प्रारंभ हुआ ?

श्री बनारसीदास---

सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक बिसवां जिला सीतापुर स्थित शाखा दिनांक २९ जून, १९६२ को खोली गई तथा शाखा में २३ मार्च, १९६३ से कैश बुक लिखना प्रारम्भ किया गया।

८-९---श्री मन्नालाल---[१८ मार्च, १९६४ के लिए स्थगित किये गबे।]

मियांगंज ब्लाक की इमारत

१०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक मियागंज, जिला उन्नाव, की इमारत बनाने के संबंध में क्या कार्यवाही हुई है और कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विकास क्षेत्र मियागंज के भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त की जा रही है ।

पुराने विकास खंडों में भवन पहले बने, इस आशय से यह निर्णय लिया गया है जो कि विकास क्षेत्र १ अप्रैल, १९६१ के पूर्व प्रथम प्रक्रम में आये हैं उन्हीं में अगले वित्तीय वर्ष में भवन बनाया जाय । विकास खंड मियागंज १ अक्तूबर, १९६१ को प्रथम प्रक्रम में आया है, अतः उसमें अभी भवन निर्माण नहीं कराया जा सकता है । संभवतः उक्त विकास क्षेत्र का भवन निर्माण १९६५-६६ में हो सकेगा ।

कटेहर क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था

११—श्री रघुनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री वाराणसी के कटेहर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष, १९६३-६४ में चिकित्सा व्यवस्था का अभाव होने की स्थिति में कुछ चिकित्सालय बनवाने की योजना तैयार करवा रहे हैं ? यदि नहीं, तो उस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था की अपेक्षा का कारण क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वाराणसी के कटेहर विधान सभा में चोलापुर व चिरई गांव विकास खंडों के उत्तरी भाग तथा हरहुआ विकास खंड का उत्तर पूर्वी भाग सम्मिलित है । शासन की सूचना के अनुसार चोलापुर चिरई गांव विकास खंडों में चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था है । केवल हरहुआ विकास खण्ड में अभी चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा नहीं है । परन्तु इस विकास खंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ।

हल्द्वानी अस्पताल

१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी नगर के सिविल अस्पताल में आज से २० साल पहले जब हल्द्वानी की आबादी १५ हजार थी, जितनी दवाइयों का कोटा दिया जाता था, लगभग उतना ही आज भी दिया जाता है, जबकि अब नगर की आबादी ४५ हजार और तहसील के देहाती क्षेत्र की आबादी ५५ हजार अर्थात् कुल मिलाकर १ लाख हो गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या आबादी की बढ़ोत्तरी के अनुसार दवाइयों का कोटा भी सरकार बढ़ाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह सत्य नहीं है कि सिविल अस्पताल हल्द्वानी का दवाइयों का कोटा उतना ही है जितना आज से २० साल पूर्व था । सन् १९५२ में इस अस्पताल का प्रांतीयकरण हुआ । उससे पूर्व यह तत्कालीन जिला बोर्ड नैनीताल के अधिकार में था । सन् १९४८-४९ में उनका इस अस्पताल में दवाइयों पर व्यय १,८३० रुपये था । प्रांतीयकरण के पश्चात् सन् १९५३ में यहां पर दवाइयों के लिये ४,४९२ रुपये की स्वीकृति कर दी गई है । जो अब बढ़ाकर ६,०८० रुपये कर दी गई है । आवश्यकतानुसार यहां पर दवाइयों के लिये अतिरिक्त धनराशि स्वीकृति की गई है । इसी वर्ष २,३०० रुपये का अतिरिक्त व्यय यहां पर दवाइयों के लिये स्वीकृत किया गया ।

१३—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को यह मालूम है कि नैनीताल जिसकी आबादी हल्द्वानी से एक-तिहाई है, उसे हल्द्वानी के मुकाबले तीन गुनी दवाइयों का कोटा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला अस्पतालों को ब्रांच अस्पतालों की अपेक्षा दवाइयों का अनुदान कुछ अधिक मिलता है, क्योंकि वहां ब्रांच अस्पतालों की अपेक्षा अधिक मरीज आते हैं जिनमें गंभीर रोगों के मामले भी होते हैं। परन्तु यह सत्य नहीं है कि हल्द्वानी अस्पताल के मुकाबले नैनीताल के अस्पताल को तीन गुनी दवाइयों का कोटा दिया जाता है।

१४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पताल में जिस पर एक लाख की आबादी निर्भर करती हो वहां सिर्फ एक डाक्टर है जिसे जेल के मरीज देखने, कोढ़ी खाने में हाजिरी देनी और अक्सर प्रतिदिन पोस्टमार्टम करने में अपना समय देना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कठिनाइयों को दूर करने और डाक्टरों की संख्या बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रदेश में डाक्टरों की भारी कमी को देखते हुए यह कह सकना अभी संभव नहीं है कि सिविल अस्पताल हल्द्वानी में डाक्टरों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

झांसी की कचहरियों में स्टाम्प की कमी

१५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में कितने माह से वहां के दीवानी व फौजदारी अदालतों में कोर्ट फीस के स्टाम्पस् व टिकट सही रूप से जनता को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ? क्या यह भी सत्य है कि डेढ रुपये के टिकट के स्थान पर तीन-तीन व चार-चार रुपये के टिकट जनता को लगाने पड़े, तो सरकार द्वारा उचित कार्यवाही महीनों तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अधिक खपत तथा निरन्तर प्रयत्न किये जाने पर भी नासिक प्रेस से समय पर मांग पत्र (indent) की पूर्ति न होने के कारण झांसी में छोटे स्टांपों की अगस्त, १९६३ से कुछ कमी हो गई। संभवतः जनता ने ऐसी स्थिति में अपनी ओर से आरम्भ में छोटे स्टांपों के स्थान पर ज्यादा मूल्य के स्टांप लगाये हों यद्यपि जिलाधीश झांसी ने स्टांपों के स्थान पर नकद रुपये लिये जाने की व्यवस्था कर दी है। अब बहुत कुछ स्टांप नासिक प्रेस से झांसी पहुंच गये हैं और कुछ आ रहे हैं, जिससे शीघ्र ही स्थिति में सुधार की आशा है।

जिला आगरा में चिकित्सालय

१६—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कोई अस्पताल एडवाइजरी कमेटी है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उसकी सन् १९६२-६३ व १९६३-६४ में कब-कब बैठक हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस समय आगरा में कोई अस्पताल एडवायजरी कमेटी नहीं है। इसके गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

१७—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में किस-किस स्थान पर सरकारी डिसपेंसरी हैं और उसमें से ऐसी कौन-कौन सी हैं जहां इस समय डाक्टर नहीं हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिला आगरा में इ० एस० आई० चिकित्सालयों को छोड़कर निम्नलिखित स्थानों पर राजकीय चिकित्सालय हैं :

(१) सरेंधी
(२) बरहन
(३) होलीपुरा
(४) कागारोल
(५) पिनाहट
(६) बिचपुरी
(७) ताजगंज
(८) फीरोजाबाद
(९) फतेहाबाद
(१०) जगमेर
(११) अकोला
(१२) बरौली ।

इनमें से सरेंधी, बरहन, पिनाहट, बिचपुरी और अकोला में इस समय कोई चिकित्सक नहीं है ।

जगत ब्लाक की जीप

१८—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदाऊं जिले के जगत ब्लाक को जो जीप कई साल से खराब होकर बेकार पड़ी है उसकी मरम्मत करने के लिए वहां के अधिकारियों ने इसी साल कई बार सरकार को लिखा है पर उसको अभी तक ठीक नहीं कराया गया है, वह कब तक ठीक करा दी जावेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह जीप तृतीय सामान्य निर्वाचन के बीच में खराब हो गई थी और नियमानुसार इसके मरम्मत की जिम्मेदारी निर्वाचन विभाग की थी । अब उक्त विभाग इस संबंध में उचित कार्यवाही कर रहा है । आशा है कि जीप की जल्द ही मरम्मत हो जायगी ।

मैनपुरी जिले में नलकूप तकावी

१९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में प्राइवेट ट्यूबवैल की तकावी का रुपया इस वक्त किस-किस पर बाकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त जिले में प्राइवेट ट्यूववैल के लिये दी गई तकावी निम्नलिखित लोगों पर शेष है :

१--श्रीमती रानी रत्नेशकुमारी, पत्नी राजा गोविन्द राम सिंह मैनपुरी ।
२--श्री महेन्द्र पती, पुत्र श्री घीरी सिंह पारौल ।
३--श्री यज्ञदत्त, पुत्र श्री तुलसीराम ग्राम नाइन ।
४--श्री रामेश्वर दयाल, पुत्र श्री बल्देवनाथ ।
५--श्री सूरज सिंह, पुत्र श्री श्रीचन्द्र, रमोला ।
६--श्री नादर सिंह, पुत्र श्री भोलेसिंह, पेगू ।
७--श्री चतुरी, पुत्र श्री दुर्गा, कारी खेड़ा ।
८--डा० कौशल किशोर, पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद, अलीपुर खेड़ा ।
९--श्री जगदीश प्रसाद, पुत्र श्री पाल गोविन्द, सहारा ।
१०--श्री नत्थू सिंह, पुत्र श्री कुबरे सिंह, अर्जुनपुर गढ़ी ।
११--श्री नियामत इलाही, भौगांव ।
१२--श्री कायम सिंह, दत्तक पुत्र श्री पंचम सिंह, दारापुर मिलावली ।

कोल्ड स्टोरेज

२०--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव विभाग द्वारा कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये कर्जा तथा अनुदान देने के सम्बन्ध में कोई नियमावली बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास--

विभाग द्वारा ऐसी कोई भी नियमावली नहीं बनाई गई है । साधारणतया कर्जा स्वीकृत करते समय कोल्ड स्टोरेज के स्थान की उपयुक्तता, सहकारी संस्था की निजी पूंजी इत्यादि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है ।

बलिया जिले में बिक्री-कर बकाया

२१--श्री गंगाप्रसादसिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि जिला बलिया में पिछले कई वर्षों से आबकारी के ठेकेदारों पर बिक्री-कर का सरकारी पावना बकाये में चल रहा है ? यदि हां, तो बकाये का धन कितना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां । बलिया जिले में २२ आबकारी ठेकेदारों पर बिक्री-कर का पावना बकाया चल रहा है । इन पर बकाये की कुल धनराशि रु० ३१,२३१.२३ न० पै० हैं ।

विकास खण्ड, अजमतगढ़ में कुओं के लिये सहायता

२२--श्री उमाशंकर--

क्या विकास मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला विकास खण्ड, अजमतगढ़ के ग्राम बेरमा में सरकारी सहायता से कितने कुयें बने हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

२३---श्री उमाशंकर---

क्या यह सच है कि उन लोगों ने कुयें की रकम कुआं न बनवाकर अन्यत्र अपने दूसरे कार्यों में खर्च कर दी है ? मौजूदा समय में एक भी कुआं नहीं बना है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

२४---श्री उमाशंकर---

क्या सरकार उनसे सहायता दी गई रकम वसूल करने का प्रबन्ध कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तजवापुर ब्लाक में चपरासियों में हरिजन न लेना

२५---श्री रामआधार कनौजिया---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तजवापुर ब्लाक, जिला बहराइच, में दो चपरासियों के चुनाव २६ नवम्बर, १९६३ के लिये रोजगार दफ्तर से १७ नाम आये परन्तु चुनाव नहीं हुआ और पुनः २७ नये उम्मीदवारों का नाम रोजगार दफ्तर से मंगवाकर चुनाव किया गया ? यदि हां, तो पहली व दूसरी सूची में कितने हरिजन थे और उनकी शिक्षा योग्यता क्या थी तथा उनको स्थान न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

प्रथम बार रोजगार दफ्तर से केवल ऐसे ही उम्मीदवारों के नाम आये थे जो सभी स्थानीय (डाकखाना बढ़नापुर, तजवापुर के) थे । इस पर रोजगार दफ्तर से यह अनुरोध किया गया था कि वे कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के नाम भी भेजें जो स्थानीय न हों ।

रोजगार दफ्तर से प्राप्त सूचियों में नामांकित अभ्यर्थियों में से केवल तीन हरिजन थे जिनमें से दो जूनियर हाई स्कूल परीक्षा पास थे और एक के पास कोई शैक्षिक योग्यता न थी । साक्षात्कार के लिये केवल दो हरिजन अभ्यर्थी उपस्थित हुये जिन्हें विकास खंड के सम्बन्धित कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुये चुन लिया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया ।

२६---२७---श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री बनवारीलाल विप्र---

[१८ मार्च, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों के विवरण की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०७ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २६ दिसम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २८ दिसम्बर, १९६३ को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १८ फरवरी, १९६४ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का ५ वां अधिनियम बन गया।

श्री सुखलाल द्वारा अपने पत्र के उत्तर न पाने के संबंध में जानकारी

श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)---

श्रीमन्, हमने जेल से आपको एक पत्र लिखा था। उसका आज तक हमको कोई उत्तर नहीं मिला और माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद से पता चला था कि आपने जवाब देने को कहा था पर अभी तक उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष----

मैं देख लूंगा। कहीं जेल द्वारा नहीं गया हो।

श्री सुखलाल---

जब मैं सदन की कार्यवाही में आ रहा था और मुझको गिरफ्तार किया गया और डी० वाई० एस० पी० अभद्र व्यवहार करें, और आप कुछ न करें, यह बड़े दुख की बात है।

श्री अध्यक्ष---

आप इस सम्बन्ध में जो कुछ कहना चाहें वह लिख कर दे दें।

श्री सुखलाल---

वह मैं विशेषाधिकार के सम्बन्ध में लिख कर दूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों की मर्यादा बचाने के लिये आप सदैव कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष---

कष्ट नहीं, वह तो मेरा कर्त्तव्य है और उसका पालन करने का यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा।

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मुझे प्रश्नों के सम्बन्ध में कहना है। आपके कार्यालय से कभी तो यह कह कर प्रश्न अस्वीकृत कर दिये जाते हैं कि बहुत व्यापक हैं, कभी यह कह कर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं कि बहुत संकुचित हैं, कभी व्यक्तिगत कह कर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। मैंने एक प्रश्न अल्पसूचित तारांकित करके ३१ जनवरी, १९६४ को दिया था जिसमें हमने परिवहन विभाग, इलाहाबाद रीजन के रीजनल आफिस के एक क्लर्क और एकाउन्टेंट केस स्पेंड करने के बारे में पूछा था जिसको व्यक्तिगत कह कर अस्वीकृत कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न था उक्त रीजन के एकाउन्ट्स अफसर द्वारा हस्ताक्षरित कैश बुक कहां पर है.....

श्री अध्यक्ष---

नियम ४४ स्पष्ट है कि अगर कोई प्रश्न करना है तो आप लिख कर मुझ से पूछ लीजिये । न मेरे पास वह रिकार्ड है और न मैं उत्तर दे सकता हूं । आज बजट का दिन है । आप कृपया बैठ जाइये और जो प्रश्नों के सम्बन्ध में कठिनाई है उसको लिखकर दे दीजिये । मैं अवश्य देखूंगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

ऐसी स्थिति है, मान्यवर, आपके दफ्तर की कि हम बात निकलवाना चाहते हैं पर वे नहीं निकलवाने देते ।

श्री अध्यक्ष---

मैं प्रयत्न करूंगा कि उस कठिनाई को दूर करूं । मेरे पास जो माननीय सदस्य आते हैं तो मैं उनके प्रश्न को ठीक कर देता हूं । आप आइये तो मैं ठीक कर दूंगा ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

इसका मतलब यह है कि आदरणीय सदस्यगण नियमों को नहीं देख रहे हैं ।

लखनऊ में गल्ला व्यापारियों का जब्त किया गया गल्ला आदि विभागीय अधिकारियों द्वारा छोड़ देने से चोर बाजारी होने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री उग्रसेन जी का कामरोको प्रस्ताव आया है । मैंने खाद्य मंत्री जी के पास भेज दिया है । मैं चाहूंगा कि इस संबंध में वे वस्तुस्थिति को कल बतावें । वह इस प्रकार है :—

"दिनांक २६ फरवरी, १९६४ को लखनऊ नगर में ४५६ बोरा मैदा, ७० बोरा सजी तथा ६०० बोरा आटा, कुल मिलाकर १,१२६ बोरा, खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस ने गल्ला व्यापारियों का चोर बाजारी में जब्त किया । विभागीय अधिकारियों ने यह छापे अमीनाबाद, गड़बड झाला, रकाबगंज तथा नाका हिंडोला पर डाले और बिना कारण बताए २८ फरवरी की सांयकाल होली के दिन सब जब्त माल छोड़ दिया जिसे व्यापारियों ने चोरबाजारी में बेचा और आज सब मैदा उन्होंने दबा लिया है । फलस्वरूप लखनऊ की २०० बेकरियां बन्द हो गयी हैं और उस उद्योग में लगे ४ हजार मजदूर बेकार हैं ।"

खाद्य मंत्री कल हमें बतायेंगे कि वस्तुस्थिति क्या है ।

जिला बस्ती के एक ग्राम में साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा आतंक के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक और नियम ५२ के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है । वह माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी, मुकुट बिहारी लाल और जगदीश प्रसाद पांडेय का है । वह इस प्रकार है :—

"जिला बस्ती में तहसील खलीलाबाद के अन्तर्गत ग्राम पोखर भिटवा में गत शनिवार को दिन दहाड़े कुछ साम्प्रदायिक समाज विरोधी एवं पाकिस्तान परस्त लोगों द्वारा गोहत्या कर दी गयी तथा उत्तेजना फैलाने का प्रयास किया गया । गांव जला दिया गया एवं २ हिन्दू पुरुषों की हत्या कर दी गयी ।

उपरोक्त घटना से पूरे क्षेत्र में आतंक व्याप्त हो गया है ।"

गृह मंत्री जी, इस संबंध में आप कब वक्तव्य दीजिएगा ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

६ तारीख को दे दूंगा ।

बलिया तहसील के अन्तर्गत ग्रामों में बिहार के किसानों द्वारा फसल लूटने और दोनों राज्यों के किसानों में मारपीट के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय काशीनाथ जी का प्रश्न है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र पर है वह केवल वक्तव्य के लिये भेज रहा हूं । वह इस प्रकार है :--

"उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र बलिया तहसील के अन्तर्गत हांसनगर, हल्दी, रिकिनी छपरा और जबहीं के दीआरे में बिहार (नैनीजोर) के किसानों द्वारा लाठी, बल्लम के जोर से फसल की जबरन लूट शुरु हो गयी है । कल ३ मार्च को दोनों राज्यों के किसानों के बीच जमकर मारपीट हुई है । गोलियां भी चली हैं । बलिया जिले में उपरोक्त गांव के बीसों किसान बुरी तरह घायल हुए हैं । जान जाने तक का अंदेशा है । सैंकड़ों एकड़ पर से रबी की फसल जो बलिया के उपरोक्त गांवों के किसानों द्वारा लूट ली गई और भविष्य में भी लूट पाट मारपीट बलवा होते रहने का खतरा और तवान बना हुआ है ।"

माननीय राजस्व मंत्री, इस पर आप कब वक्तव्य दीजिएगा ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

९ को दे दूंगा ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाने वाले पर्चे बांटने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना कल्याणचन्द मोहिले, सालिगराम जायसवाल तथा सत्यनारायण पांडेय की आयी है, जो नियम ५२ के अन्तर्गत है । उसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है । विषय उसका है "सारे प्रदेश में विशेषकर इलाहाबाद में एक पर्चा वितरित किया जा रहा है जिससे इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध अनेक अनर्गल तथा गंभीर आरोप लगाये गये हैं ।" मैं उसे मुख्य मंत्री जी के पास भेज रहा हूं ।

श्री गयाप्रसाद, एम० एल० ए०, के नाम धमकी के गुमनाम पत्रों की सूचना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय गयाप्रसाद जी वाराणसी के सम्मानित सदस्य हैं । उनके पास दो धमकी के पत्र आये हैं । एक में लिखा है "आपने जो मुजफ्फर हसन के विरुद्ध असेम्बली में प्रश्न उठाया है अच्छा नहीं किया है । मैं आपको उचित सलाह देता हूं कि आप शान्त हो जायं । यदि आप शांत हो जाते हैं तो काफी लाभ में रहेंगे । ऐसे शुभ अवसर न गवायें । यदि आप शांत नहीं होते तो समझ लीजिए कि आपकी जिन्दगी खतरे में है ।" दूसरा खत इस प्रकार है "आजकल जो आपने विधान सभा में परिवहन मंत्री के खिलाफ प्रश्न उठाया है उसे जल्द वापस ले लें ; या तो शांत हो जाओ नहीं तो आप समझियेगा और आपका काम समझेगा ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सम्मानित सदन के सदस्यों के नागरिक अधिकार का सवाल है और जिन्दगी और मौत का प्रश्न है । मैं इनको आपके पास भेज दूंगा और आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे सम्मानित सदस्य की जिन्दगी खतरे में है । आप उनकी जिन्दगी बचायें और अगर कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी सरकार की है ।

श्री जे० पी० मिश्र० (जिला हरदोई)--

मेरे पास इस बात की सूचना है कि यह दोनों पत्र उग्रसेन जी ने डलवाये हैं और वे झूठे तथा गलत हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मिश्र जी ने जान बूझ कर झूठ बोला है । मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं ।

श्री उग्रसेन--

जिस प्रकार गया प्रसाद जी के जीवन की रक्षा हम करना चाहते हैं उसी प्रकार मिश्र जी के जीवन की रक्षा भी हम चाहते हैं क्योंकि वे हमारे साथी रह चुके हैं । इस मामले की जांच करवा ली जाय, अगर गलत हो तो हमें फांसी दिलवाइये और उन्होंने अगर लिखे हों तो उन्हें फांसी दिलवाई जाय ।

श्री अध्यक्ष--

श्री जे० पी० मिश्र, मुझे आपसे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह दूसरी मर्तबा है कि आपने इस तरह का व्यवहार किया । आपने जो शब्द कहें हैं उन्हें आप वापस लें ।

श्री जे० पी० मिश्र--

आपके हुक्म से वापस लेता हूं ।

हरगांव शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में सरायन नदी का पुल बन्द कर दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

सरायन नदी का पुल सधुवापुर ग्राम के निकट, हरगांव-महोली सड़क पर, हरगांव से चार मील की दूरी पर, स्थित है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी, १९६४ के अन्त में अवध शुगर मिल्स हरगांव को सूचना दी गयी थी कि टिकरा, इमलिया तथा पिपरझला केन्द्रों से ट्रक द्वारा गन्ना लाने के लिये उपर्युक्त पुल भारी यातायात के लिये खतरनाक है । मिल ने उस पर से शीरा से भरे ट्रकों का भेजना बन्द कर दिया, लेकिन उक्त गन्ना खरीद केन्द्रों से (इमलिया, टिकरा तथा पिपरझल्ला) गन्ना ट्रक द्वारा जाता रहा । इस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुल पर चौकीदार नियुक्त करके बल्ली लगा दी गयी और भरे ट्रकों के लिये बिल्कुल बन्द कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन केन्द्रों पर गन्ने की खरीद १७ फरवरी, १९६४ से बन्द हो गई और अब तक बन्द है ।

पुल पर से निकलने की रोक लगाने पर केवल हैदरपुर-दतेली कच्ची सड़क से हरगांव जाने का रास्ता रह जाता है, लेकिन उस पर भारी ट्रक का निकलना असम्भव है । इसलिये मिल ने गन्ना समिति हरगांव को इन केन्द्रों के बन्द करने की सूचना १८ फरवरी, १९६४ को उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद आज्ञा, १९५४ के नियम १४ (ख) के अन्तर्गत भेज दी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शन्तिप्रपन्न शर्मा]

चूंकि पुल बन्द करने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई दूसरा रास्ता (बाई पास) नहीं बनाया था इसलिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जिला स्तर पर मिल कर किसानों की कठिनाई और गन्ने को मिल तक लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इंजीनियर ने अपनी विवशता बताई कि उनके पास कोई फंड नहीं है और उन्होंने कहा कि पुल के नीचे सड़क बनाने के लिये उपलब्ध सामान सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिल सकता है, शेष कार्य मिल करा ले। लेकिन इसकी भी लागत काफी आती है इसलिये इस पर कोई कार्यवाही न हो सकी। दिनांक २ मार्च, १९६४ को पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से वार्तालाप की गई। ज्ञात हुआ कि इस बीच में उन्होंने स्वीकृति मंगा ली है और अब वह विभाग पुल के किनारे से भरे ट्रक निकलने के लिये अस्थायी सड़क बनाने की व्यवस्था कर रहा है। लगभग एक सप्ताह में इसके बनने की आशा पाई जाती है।

उपर्युक्त गन्ना क्रय केन्द्रों पर मिल को पूर्ति करने हेतु गन्ने की अनुमानित मात्रा निम्न प्रकार है :—

		मन
टिकरा	..	३५,०००
इमलिया	..	३०,०००
पिपरझल्ला	..	३५,०००
योग	..	१,००,०००

वर्तमान सीजन में अवध शुगर मिल्स लि०, हरगांव, को मध्य अप्रैल तक पेराई चालू रखने की आशा है।

एक सूचना मैं और देना चाहता हूं कि इसके बाद, यानी कल, मैंने माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, से बातचीत की थी और उन्होंने मुझे आशा दिलायी है कि दो, तीन दिन में वह रास्ता बन जायगा और ट्रक आने जाने लगेंगे।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इस स्थिति से जो गन्ने की खरीद में देर हुई है उसको पूरा करने के लिये वहां कांटों को दूना करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो कहा कि मिल १५ अप्रैल तक चलेगी।

श्री अध्यक्ष—

वे कांटों के संबंध में पूछ रहे हैं कि क्या कांटे बन्द हो गये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उनको खोल देंगे।

श्री टम्केश्वरप्रसाद—

क्या मानीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि कटाई का सीजन बिल्कुल निकट आ रहा है और साथ-साथ ज्यों-ज्यों अधिक दिन बीतते हैं त्यों त्यों मिल वाले चाहते हैं कि मई तक खरीद चले, क्या उन कांटों की खरीद को तत्काल दूना कर देंगे ताकि उसी पीरियड के भीतर यह गन्ना खरीदा जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मई तक चलने की बात तो है नहीं, लेकिन उसको भी देखेंगे कि जितना नुकसान हुआ है उसको पूरा करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, गन्ने के काश्तकार बांड भरते हैं कि इतना गन्ना हम सप्लाई करेंगे, लेकिन इस स्थिति के कारण उतना गन्ना सप्लाई नहीं हो पाया। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको पेनाल्टी न देना पड़े ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अभी कहना तो मुमकिन नहीं है। मैं समझता हूं कि गन्ना तो वहां है ही।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि वहां से गन्ना सप्लाई न होने से बहुत गन्ना पड़ा हुआ है इस बात की व्यवस्था करेंगे कि आउट स्टेशन्स या दूसरे स्टेशन्स का गन्ना बन्द करके कुछ दिनों तक इसी स्थान से गन्ना ले लें ताकि उनकी सप्लाई पूरी हो जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

साधारणतया यह व्यवस्था की जाती है कि अगर कोई काश्तकार किसी वजह से गन्ना सप्लाई न कर सकें तो उसका कोटा उन दिनों के अन्दर पूरा कर दिया जाता है। मैं तो समझता हूं कि यह तो साधारण नियम में है। कोई विशेष व्यवस्था इस वक्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी देख लिया जायगा।

प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिलने के संबंध में आपत्ति

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन, मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या ७७ तथा ७८ की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो उत्तर मिला है उसमें बहुत फर्क है...

श्री अध्यक्ष---

आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है ?

श्री मंगलदेव---

श्रीमन्, दिक्कत यह है कि आजमगढ़ जिले के सदर अस्पताल की लेडी डाक्टर के सम्बन्ध में सवाल पूछा गया था कि आपका अनुभव ऐसा नहीं कि वे सदर अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल की इंचार्ज रहें और उनका ट्रांसफर होना चाहिये। लेकिन आज जवाब यह मिला है कि उनका अनुभव अच्छा है और वे परिश्रम से कार्य कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसको इस समय मैं नहीं देख सकता। आप लिख कर मुझे दे दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, आप प्रश्न संख्या ३०, ३१ तथा ३२ देखें। इसके उत्तर में किसी मंत्री का नाम नहीं है कि किस की ओर से सूचना दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे दिखा दीजिये, मैं देख लूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, एजेंडे में गलती है। इसमें माननीय झारखंडे राय जी के साथ माननीय माधो-प्रसाद त्रिपाठी, नेता विरोधी दल का नाम नहीं छपा है।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, जो मूवर हैं उनका ही नाम आयेगा।

श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार की अहेलना का प्रश्न आप को दिया था।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं सदन में आ रहा था तो आपने मेरे सामने रखा था। लेकिन यहां आप कह रहे हैं कि दिया था।

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन—(क्रमागत)*

†श्री कृष्णानन्द राय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको सूचना दे दूं कि कल मैं २–३ मिनट बोल चुका था।

श्री अध्यक्ष—

हमारे रिकार्ड में ४ मिनट बोल चुके हैं। लेकिन एक दो मिनट के लिये झगड़ा नहीं होना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, उसमें कई व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे।

श्री अध्यक्ष—

यह थियोरी इंग्लैण्ड में रिजेक्ट हो गई है। अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न आपके भाषण में उठे तो वह आपके समय में ही माना जायगा। इसलिये ऐसे बोलिये जिससे व्यवस्था के प्रश्न न उठें।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, कल मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय उग्रसेन और नेकराम शर्मा जी को चाहिये कि जब वे माननीय सदन के किसी अपने राजनीतिक साथी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगायें तो बहुत सोच समझ कर लगायें क्योंकि जिस मंत्री या राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगता है वह उसके व्यक्तिगत के ही विरुद्ध नहीं जाता है बल्कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो देश में चल रही है उसके विरुद्ध जाता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे इतिहास नहीं भूले होंगे कि फ्रांस, चीन, जर्मनी, इटली वगैरह में जहां कि डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी, वहां फासिस्ट लीडर्स ने दूसरे ग्रुप के लोगों के खिलाफ राग अलापना शुरू किया कि वे भ्रष्ट थे। जहां पर भी फासिस्ट लीडरशिप आई है वहां डेमोक्रेटिक लीडरशिप के विरुद्ध ईर्ष्या और द्वेष में आरोप लगाने शुरू

---

* ३ मार्च, १९६४ की कार्यवाही से।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये और उसका फल यह निकला कि उस देश की जनता में यह भावना घर कर गई कि जितने लीडर्स हैं, सब भ्रष्ट हैं। उसका नतीजा यह निकला कि मिलिटरी में मामूली सिपाहियों ने डिक्टेटर बनकर डेमोक्रेटिक पार्टियों की हत्या कर दी। इसलिये मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि भ्रष्टाचार के आरोप अपने पोलिटिकल साथियों के विरुद्ध, इसलिये कि कोई गवर्नमेंट में गया है या नहीं गया है, सदन में लगाना श्रेयस्कर नहीं है

श्रीमन,मैं उम्मीद कर रहा था कि इधर से बहुत से जो कदम उठाये गये हैं, माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ काफी साहसिक कदम भी उठाये और बड़े-बड़े सेक्रेटेरिएट के अधिकारी जो कि अनेक वर्षों से अपनी पोस्ट पर इजारेदारी की व्यवस्था कायम किये हुए थे उन्होंने उनको परिवर्तित किया। मैं आशा करता था कि विजिलेंस कमीशन की बात को लेकर और इन तथ्यों को लेकर कुछ धन्यवाद और बधाई के शब्द भी उनके प्रति कहे जायंगे, लेकिन यदि आप समाचारपत्रों को में देखें, हेडलाइंस में निकला हुआ है कि सदन के दोनों हिस्सों से चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे विरोधी दल के लोग हों, एक स्वर से भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के विरुद्ध लगाया है, यद्यपि यह चीज हमारे देश में लोकतांत्रिक विकास के लिए श्रेयस्कर नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द की राय में भ्रष्टाचार श्रेयस्कर है, उसका आरोप लगाना श्रेयस्कर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करवा दीजिये।

श्री कृष्णानन्द राय––

मैंने यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार श्रेयस्कर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार इतना अधिक नहीं है जितना बढ़ा कर कहते हैं और अच्छी चीजों की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाता।

विजिलेंस कमीशन के बारे में एक चीज निवेदन करूंगा। जहां तक मैंने पता लगाया है, विजिलेंस कमीशन का आइडिया स्वीडन से आया है। वहां सरकारी कर्मचारी, वह चाहे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हों, उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच करने के लिए एक हाई पावर कमेटी है जिसे विजिलेंस कमीशन कहा जाता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और केन्द्र के मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वीडन में लोकतंत्र दीर्घकाल से है। वहां पर विजिलेंस कमीशन लेजिस्लेचर की हाई पावर कमेटी होती है। पार्लियामेंट या असेम्बली से पोलिटिकल लीडर्स को विजिलेंस कमीशन में रखते हैं। उनको इतना विस्तृत अधिकार है कि हाई कोर्ट के जजेज भी उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जाते। विजिलेंस कमीशन के आयडिया को लिया तो गया और उसकी घोषणा केन्द्र और प्रदेश में की गयी, लेकिन कुछ चलते-चलते रास्ते में साहस छोड़ दिया गया और जिस विजिलेंस कमीशन की घोषणा की गयी है उसको पूर्ण अधिकार न देकर कुछ ऐसा मालूम होता है कि एक बहुत ही सीमित करके विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गयी है। कोई काम हाफ वे नहीं होना चाहिए।

मैं इस बात के लिए भी इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दो एक वर्ष में हमारे प्रशासन में डेमोक्रेटाइजेशन के प्रासेस का भी प्रयास किया गया है। आज सदन में कुछ भी कहा जाय, जिले में जाकर देखें जितने भी एक ग्रेड के अधिकारी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर, आदि जिले के चुने हुए प्रतिनिधियों की छत्र-छाया में कर दिये गये हैं। यह एक बहुत बड़ा कदम है।

लेकिन इस सम्बन्ध में भी एक निवेदन करना है। जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रासेस है उसमें कुछ थोड़ी-सी कमी रख दी गयी है, जैसे पुलिस, जेल, अस्पताल, पी० डब्लू० डी०, इर्रीगेशन हैं, यह बिकुल उच्छृंखल विभाग की तरह काम कर रहे हैं। उनमें कोई डेमोक्रेटिक यूनिट स्थापित नहीं की गयी हैं जो उन पर नियंत्रण कर सकें। मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस

[श्री कृष्णानन्द राय]

और ला ऐण्ड आर्डर का प्रश्न क्यों इतना छिपा कर रखा जाता है। इंगलैण्ड में लन्दन के मेयर को अधिकार है कि पुलिस की सारी व्यवस्था उनके पोलिटिकल लीडरशिप में काम करती है। ऐसी अवस्था में मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप पी० डब्ल्यू० डी०, इर्रीगेशन, पुलिस आदि के बारे में जो यहां पर बहुत हो-हल्ला सुनती हैं अगर चाहती हों कि उसमें कुछ कमी आये तो उनको भी डेमोक्रेटिक यूनिट्स के अन्दर रख देना चाहिए।

एक शब्द और निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे बीच के ये जमींदार थे जिनका कि उन्मूलन किया गया है उसी तरह से अधिकारियों में भी एक बीच की व्यवस्था है जिनके ऊपर कोई भी नियंत्रण न सरकार कर पाती है न जनता के प्रतिनिधि कर पाते हैं, जैसे रीजनल फूड कंट्रोलर, कमिश्नर या कानपुर में एक दर्जन जो डाइरेक्टर्स बैठे हुए हैं। श्रीमन्, सेक्रेटेरियट के बड़े अफसरों पर तो यहां के मंत्री लोग कुछ नियंत्रण और कुछ प्रभाव डाल लेते हैं और जिले के लेबिल के अधिकारियों पर जिले के प्रतिनिधि कुछ डाल लेते हैं, लेकिन रीजनल फूड कंट्रोलर और दुनिया भर के जो डाइरेक्टर्स हैं जो कि न तो लखनऊ में हैं न जिलों के स्थानों पर हैं उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका फल मैंने आप को बताया, नेगीजी इस समय नहीं हैं, एक दिन उन्होंने यह घोषणा की कि गाजीपुर को २६ सौ टन गल्ला जनवरी-फरवरी में दिया है, इसी तरह और अनेक जिलों के बारे में घोषणा की। लेकिन जब मैंने जिले में पता लगाया तो मालूम हुआ कि जनवरी–फरवरी में कुल केवल ३४० टन गल्ला मिला है और मुश्किल है कि किस प्रकार से हम सिचुएशन को फेस करें। तो इसका क्या कारण है? कारण यही है कि यहां से तो एलाटमेंट हो जाता है, लेकिन फिर कौन पूछता है? कानपुर में डाइरेक्टर साहब ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, या गोरखपुर के रीजनल फूड कंट्रोलर ने सोचा कि ऐसे आदेश तो आया ही करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू किया गया है उसको हाफ वे में न रोका जावे और अधिकारियों पर पूरा नियत्रण रखा जावे। इन शब्दों के साथ मैं सामान्य प्रशासन की मांग का समर्थन करता हूं।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल में आपके सामने मैं पहली बार बजट पर बोलने खड़ा हुआ हूं। प्रदेश में भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। चकबन्दी में इतनी धांधली मची हुई है कि जहां-जहां पुराने डगरे रास्ते थे वह सब तोड़ डाले। रिश्वत में सी० ओ०, ए० सी० ओ० द्वारा हद् कर दी गई है। सैकड़ों किसान तबाह हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में तो चकबन्दी ने इतनी खराब हालत कर डाली है कि हजारों किसान तबाह हो गये हैं, बिन पैसे वह दरख्वास्त भी नहीं दे सकते। रिश्वत के मारे तमाम क्षेत्र का नाश करके फेंक दिया है। जहां पहले कुलाबे थे, वह नहीं हैं, जहां रास्ते थे वह नहीं रहे।

पुलिस के आतंक से और भी परेशानी है। मेरा क्षेत्र चम्बल घाटी से भी बढ़ा हुआ है। थाना एतमादपुर, खंदौली, अहारन, नाकरी इनमें दो साल के अन्दर अनेक बार चोरियां, कत्ल, डकैती और लड़कों का अपहरण हुआ है। पुलिस खुद कराती है। पुलिस का रवैया चिन्ताजनक है, उसे सुधारना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिवचरण जी आपको कम बोलना है इसलिए बोल लें। यह पुलिस का मुहकमा नहीं है। वैसे आपकी जैसी तैयारी हो, वह बोलिए।

श्री शिवचरण--

तो मैं यह कह रहा था कि अभी थोड़े ही दिन पहले एतमादपुर में पुलिस थाने के करीब दो तीन गज के अन्दर ही ऐसी डकैती हुई कि जिसमें कई आदमी घायल हुए हैं और थानेदार और उनकी पुलिस पांच साढ़े पांच बजे सुबह तक वहां नहीं पहुंच पाये। तब तक मनमाने तरीके

से उनको लूटा गया। दीवान ने सारे शहर के आदमियों को जो इकट्ठा हुए थे बरगला दिया कि यह तो घरेलू मामला है।

सड़कों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां एक सड़क है।

श्री अध्यक्ष––

यह निर्माण के बजट पर बोल दीजिएगा। और कुछ बोलिए।

श्री शिवचरण––

७३१ मील लम्बी सड़क का निर्माण हुआ और ४०२ मील लम्बी सड़क का निर्माण चालू वर्ष में होगा। तो मैं निर्माण-मंत्री महोदय का ध्यान इधर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक सड़क जहांगीर के जमाने की है––नाई की सराय से जलेसर वाया सोरों एटा। वह सड़क अभी तक नहीं बनी है, उसे शीघ्र बनाया जाय और फिर सरकार ने इन मामलों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की हमको अंग्रेजों के जमाने में बड़ी भारी परेशानी थी। अब दूसरी हुकूमत आई तो इनको भी मैं अंग्रेजों की ही उपाधि दूंगा :

हमें नफरत न थी अंग्रेजों की कौमी सूरत से,
हमें जो कुछ नफरत थी वह थी अन्दाजे हुकूमत से।
आज अपनों की हुकूमत से रहमत हो नहीं सकती,
तो आपकी भी सूरत से मोहब्बत हो नहीं सकती।
कहां से खैर हो दौरे वफा बदले तो क्या बदले,
वही कल, वही पुरजा, फिजा बदले तो क्या बदले,
वही हिकमत वही नुस्खा, दवा बदले तो क्या बदले,
वही मकसद वही तेवर अदा बदले तो क्या बदले।

श्री अध्यक्ष––

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)––

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जो की खुलासा स्पीच के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मुबाहसे का दायरा बहुत महदूद हो गया है। गोया इस हाउस में इस बात को यूनानिमिटी हो गई है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन और इनएफिशियेन्सी बढ़ गई है और हकूमत को इस हद तक तवज्जह हुई और इस हद तक उसका एतराफ किया गया कि उन्होंने विजिलेन्स कमेटी को कायम करने का मनसूबा सामने रखा। अध्यक्ष महोदय, किसी बीमारी के इलाज करने से पहले क्या यह जरूरी नहीं है कि उन वजूहात के मुताल्लिक और उन इल्लातों के मुताल्लिक जिन वजूहात से कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की रगों में इस तरह से करेप्शन और इस तरह की इनएफिशियेन्सी फैल गई है उसकी तरफ तवज्जह कर ली जाय। मेरा खयाल है कि अगर हमने उन इल्लत और उन वजूहात की तरफ तवज्जह नहीं की तो हम उन बे उनवानियों और इनएफिशियेन्सी को दूर करने के लिये कोई इलाज तजवीज नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जाती तौर पर अपनी राय रखता हूं कि बढ़ता हुआ करप्शन, बेउनवानी और इनएफिशियेन्सी एक आर्गेनाइज्ड कान्सपिरेसी––मुजन्नम साजिश के तहत में आये हैं जिसका मन्शा सिवाय इसके कुछ नहीं है कि मुल्क से डेमोक्रेसी की परम्परा को उखाड़ फेंका जाय जो कि मुद्दत के बाद हमने हासिल की है। अध्यक्ष महोदय, अपने इस दावे की दलील में आपके सामने चन्द बातें गुजारिश कर देना चाहता हूं। सन् १९३७ से ३९ तक की हुकूमत कांग्रेस की पहली हुकूमत थी। जिस वक्त वह हुकूमत आई थी तो नौकरशाही उस हुकूमत से कांप उठी थी और उसको एक धक्का लगा था और उसको अपने हाथ से इक्तदार जाता हुआ दिखाई दिया था। उसको यह महसूस हुआ कि इस तरह की हुकूमत रही तो हमारा इक्तदार हमारे हाथ से चला जायगा। वह सन् १९३९ में खत्म हुई। अंग्रेजो इक्तदार फिर आया

[श्री जियाउर्रहमान]

तो उन्होंने खुशी मनाई। मुल्क के रजत पसन्द लोगों से मिलकर उन्होंने खुशी मनाई। अध्यक्ष महोदय, १९४६ में दूसरी बार जब कांग्रेस की हुकूमत आई तो यह ब्यूरोक्रेसी, जो किसी तरह से इक्तदार नहीं छोड़ना चाहती थी, उसने फिर अपने मनसूबे बनाने चाहे और सोचा कि किसी तरह से हमारे हाथ से यह इक्तदार न जाय और किसी तरह से उसको अपने हाथ में रखा जाय। अध्यक्ष महोदय, अफसोसनाक हाल यह है कि अगर यही सही तरीके पर अमल हुआ होता तो यक़ीनन हमारे मुल्क की जमात, जिसको जनता का एतमाद हासिल था, इस बात में कामयाब हो जाती और ऐसे रजतपसन्द एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम न करते और न ट्रान्सफर आफ पावर में इस तरह से बाधा डाल सकते। लेकिन अफसोसनाक बात है कि कूव्वत के साथ दिमाग का तवाजुन बहुत कम कामयाब रह सका है। मुझे अफसोस है कि वह बेहतरीन कौमी जमात, जो उस वक्त की बेहतरीन डेमोक्रेटिक जमात थी, उसकी लीडरशिप भी अक्सर दिमाग का तवाजुज अपना कायम न रख सकी। उसने उन लोगों को जो उनके बेहतर दोस्त थे जिनके खान्दानों में नेशनलिज्म की परम्परा थी, जो कौम परवर थे, उनको सिर्फ इस वजह से कि वह कड़ी तनकीद करना चाहते थे उनके उन गलत कारनामों की, अपना दुश्मन समझा और जो रीएक्शनरीज थे उनको अपना महबूब अजीज दोस्त समझकर अपने गले लगाया। उन पब्लिक वर्कर्स को उन जैनुइन लोगों को जिनके खान्दान में और घरों में नेशनलिज्म की परम्परा थी किस किस तरह से जलील किया गया इसकी एक मुस्तकिल दास्तान है। वक्त नहीं है कि मैं उसको दोहराऊं। अगर चाहूं तो उसके ऊपर एक मुफस्सिल किताब शाया कर सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज उन्नाव जिले में मुझसे ज्यादा कम्युनलिस्ट आपको इस डेमोक्रेसी में आपकी ब्यूरोक्रेसी को कोई दूसरा दिखाई नहीं देता और अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे लोग हैं कि जिनके खान्दान की कई कई पुश्तों से रिएक्शनरिज्म की परम्परा रही है। सन् ४६ व और ४७ तक, उनसे ज्यादा नेशनलिस्ट आपकी हुकूमत के कारपरदाजों के नजदीक आज और कोई नहीं है। उन लोगों के साथ जिनका कि योग रहा हो आजादी की लड़ाई में शायद ही इससे ज्यादा बेइन्साफी किसी और ने की हो, यह मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह है कि नौकरशाही के हौसले इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आज वह खुले आम पब्लिक मीटिंग्स में पब्लिक वर्कर्स को गालियां देते हैं। यह सदन है और सदन में इस किस्म के लफ्ज का प्रयोग करना नहीं चाहता हूं। यह पार्लियामेंट्री परम्पराओं के खिलाफ है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सच कहता हूं और बड़े दुख के साथ कहता हूं कि पूज्य पन्त जो जो हमारे सदन के सर्वमान्य नेता रहे हैं, वह भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट की गालियों से नहीं बचे हैं। अध्यक्ष महोदय, बाबू सम्पूर्णानन्द भी उनकी उन गन्दी टीका टिप्पणियों से नहीं बच सके, यहाँ तक हालत पहुंच चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दौरे पर जाते, यह वाकया मैं बता रहा रहा हूं। तो दौरे पर थानेदार और दूसरे लोगों के साथ जब बैठे होते हैं और कोई कुर्ता धोती पहने हुये आता है तो उसे देखकर कहते हैं थानेदार से, वह शब्द मैं नहीं कहूंगा, उसकी जगह डैस रखे दे रहे हूं क्या कोई ————————नेता तो नहीं आ रहा है? और भी इससे बड़ी गालियां देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिये डूब मरने की बात है और मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो इस तरफ और उस तरफ बैठे हुये लोग है उनसे कि क्या हमारे लिये सोचने की बात नहीं है और क्या यह हमारे लिये शर्म की बात नहीं है। मैं तो इस हद तक सोच चुका हूं कि मैं असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दूं। मैं इस हद तक मजबूर हो गया हूं कि एक साल से मैं डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन से नान-कोआपरेट कर रहा हूं। मैंने शिकायत की कि इस तरह से टीका-टिप्पणी की जाती है। मेरी की जाय तो मैं समझूं, लेकिन उन लोगों की की जाती है जिनको कि मैं अपना बुजुर्ग समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह हालत निहायत अफसोसनाक है। यह सुन कर थानेदार इससे भी बड़ी गालियां देता है और कहता है कि नहीं वह नहीं हैं, नेता नहीं हैं, कोई शरीफ आदमी हैं। गोया पब्लिक वर्कर होने से बढ़कर और कोई जलालत की बात रह नहीं गई है। क्या यह अफसोसनाक हालत नहीं है? क्या ब्यू रोक्रेसी के इस तरह

के बढ़ते हुए हौसले हमारे लिये अफसोस और सोचने के काबिल नहीं हैं? इस किस्म के रिएक्शनरी लोग हमारी पार्टियों में आ गए हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो साल में शायद पहली बार बोला हूं और शायद इसके बाद फिर दो साल बाद ही बोलूं....

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप आइन्दा नहीं बोलेंगे तो सबका बदला आज ही निकाल लेंगे क्या? आप रोज बोलिये लेकिन....

श्री जियाउर्रहमान—

मैं ५ मिनट और चाहता हूं, अगर हुक्म दें तो अभी बैठ जाऊं, मैं तो हुक्म का ताबेदार हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल के दर्द को सुन लें, यह न हो कि यह और बढ़ जाय।

श्री अध्यक्ष—

उसके लिये मजबूरी है। ऐसा है कि आज यह आधे दिन तक बहस होगी। माननीय मुख्य मन्त्री बोलेंगी, झारखंडे राय जी को बोलना है और इधर दो तीन सदस्यों को बोलना है। टाइम का खयाल रखना पड़ेगा। आपके दो मिनट और हैं।

श्री जियाउर्रहमान—

करप्शन के मुताल्लिक अब मैं प्वाइन्टवाइज अर्ज करता हूं। करप्शन के मुताल्लिक हमारा नजरिया बदला नहीं है। हम जो तरीका अख्तियार करना चाहते थे वह नहीं किया। हमने मर्ज को दूसरी जगह पर तलाश किया। मैं माननीय झारखंडे राय जी से इस बात में मुत्तफिक नहीं हूं कि ऊपर और नीचे हर जगह करप्शन है, नीचे कम लोगों में है। मैं इस राय का हूं कि सिर्फ ऊपर ही करप्शन है, नीचे नहीं है और वह ऊपर का करप्शन नीचे तक पेवस्त होता चला आता है। हमारे यहां ऐन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट खोला गया लेकिन १–१, २–२ रुपया लेने वाले गरीब क्लर्कों को जिनकी तनख्वाह इतनी नहीं हैं कि वह अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें, सिवाय उनके पकड़ने के और कोई काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि हमको अपने नजरिये बदलने होंगे। जिस वक्त यह डिपार्टमेंट खुला था तो इस वक्त जो पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर हैं उस वक्त वह डिप्टी मिनिस्टर थे पुलिस के। वह हमारे उन्नाव गये थे। मैंने उनसे पूछा कि इस डिपार्टमेंट के सिलसिले में आपको उम्मीद है कि करप्शन दूर हो जायगा। तो उन्होंने कहा था कि यह तो दिल बहलाने की बातें हैं, इनसे करप्शन दूर होने का नहीं जबतक कि हम सब यह न समझने लगें कि एक ग्लास पानी जो मिल रहा है यह किसके हाथ से मिल रहा है और देने वाला बेईमान तो नहीं है, उसने लोगों को लूट करके तो अपना पेट नहीं भरा है और उसी की कमाई से पानी नहीं पिला रहा है, जब तक यह तब्दीली नहीं होगी ऊपर के लोगों में इस वक्त तक करप्शन को दुनियां की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। मैं पूछता हूं कि आप क्या इनाम देते हैं उन लोगों को जो ईमानदार हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि ब्यूरोक्रेसी में जहां करप्शन है वहां ऐसे जगमगाते हुए सितारे भी हैं जिनकी दयानतदारी की जिन्दगी पर कम-अज-कम मैं रश्क करता हूं। लेकिन उसका उन्हें क्या सिला मिलता है? रिवर्शन और सजाएं मिलती हैं और उनको डिस्करेज किया जाता है और जो करप्शन के लिये मशहूर हैं उनको तरक्कियां मिलती हैं। सिफारिश का यह दौर, करप्शन को यह प्रोत्साहन, इनएफिशियेन्सी को यह प्रोत्साहन हमारे प्रदेश को किस तरफ ले जायगा, मैं नहीं जानता।

आखिरी बात कह देना चाहता हूं कि एक नये रुख की जरूरत है। आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनलिज्म और सेक्रेटरियनिज्म की जो भावना है उसका कोई तजकिरा नहीं है।

[श्री जियाउर्रहमान]

जिला मैजिस्ट्रेट आज कम्युनल और सेक्टरियन अनासिर को बढ़ावा दे रहे हैं और आर्गेनाइज कर रहे हैं।

इसके बाद दो लफ्जों में मैं माननीया मुख्य मन्त्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने जो पे कमेटी तथा विजिलेन्स कमीशन के बिठाने का इरादा किया है उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि यह दोनों कहीं पहले की ऐन्टी करप्शन कमेटी तथा पे कमीशन की तरह फेल न हो जायं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, सामान्य प्रशासन पर इसके पहले भी कई बार इस सदन में बहस हो चुकी है और जो भी पहले मुख्य मन्त्री रहे हैं तथा आज जो माननीया मुख्य मन्त्री हैं, उन सब के कार्यकाल में डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के संघर्ष पर वही बातें सुनने को मिलीं जो आज कही जा रही हैं। अगर पिछली प्रोसीडिंग्स को देखा जाय तो यही सब बातें मिलेंगी, मगर हम देखते हैं कि बार-बार वही बातों के कहे जाने के बावजूद भी उसका कोई असर इस ब्यूरोक्रेसी पर नहीं पड़ा और न ही उसका असर डेमोक्रेसी के हेड लोगों पर पड़ा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इलेक्शन में जो लोग इस डेमोक्रेटिक सेटअप में चुन कर आते हैं उनका और ब्यूरोक्रेसी का जो रिश्ता बनता है, सरकार में आने के बाद, उसको किस ढांचे पर लाया जाय, यह भी एक संघर्ष की बात है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि जब तक मसूरी और शिमला के स्कूल चलते रहेंगे और उनमें इन बड़े-बड़े आफिसरों तथा नेताओं के बच्चे ३—३ और ५—५ सौ रुपये माहवार खर्च करके शिक्षा पाते रहेंगे, उसके विपरीत एक मजदूर का बच्चा ८ आने पर शिक्षा पायेगा, जिसको पढ़ने के लिये एक किताब भी मिलने में दिक्कत होगी, उसको खाना तक नसीब नहीं होगा, तब तक यह चीज फले-फूलेगी और ब्यूरोक्रेसी की सदैव जीत होती रहेगी। अगर इस तरह की शिक्षा प्रणाली बचपन से ही रहेगी, आई० सी० एस० तथा पी० सी० एस० लोगों के क्लब अलग होंगे, उनके संगठन अलग होंगे, तो यह कैसे सम्भव होगा कि ब्यूरोक्रेसी की जीत न हो? हमारे जैसे लोग जो पब्लिक के वोटों से चुन कर आते हैं उनकी क्या गिनती इन लोगों में होगी? उनके बच्चे तो प्राइमरी शिक्षा ५—७ सौ रुपये माहवार खर्च करके पाते हैं, उनके मुकाबले में एक गरीब मजदूर का बच्चा कैसे बड़ी-बड़ी नौकरियों में आ सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार में पढ़े-लिखे लोग इस बात पर सोचें और गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कमिश्नरों का पद बिल्कुल निरर्थक है और इस सचिवालय में जिसकी बड़ी प्रशंसा की गयी, जो लोग यहां १०—१५ साल से कब्जा किये बैठे हैं उनको हटाकर इधर-उधर कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस हटाये जाने के पीछे ही मंशा तो काम नहीं कर रहा है जैसा कि देखा गया है कि आफिसरान इस बात का पता लगाये रहते हैं कि एक ही पोस्ट पर कहां उनको अधिक पैसा मिल सकता है, कौन सी जगह अधिक फायदेमन्द है या एक आदमी किसी जगह ज्यादा बदनाम हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा आदमी बदल दिया जाता है। लेकिन किसी आदमी के जाने-आने से नेकनामी और बदनामी नहीं समझता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीया मुख्य मन्त्री अपने भाषण में सदन को आश्वस्त करें कि सिक्रेटेरियट में जो बाहर से लोग लाये जा रहे हैं, वे पुराने अधिकारियों के पदचिन्हों पर तो न चलेंगे और उनके राज्य चलाने की नीति पिछले लोगों से बदली हुई होगी।

यह जो अनुदान आपके सामने है इसमें अधीक्षकों के कुछ नये पदों का सृजन किया गया है। २६ अधीक्षकों का एक जगह जिक्र किया गया है, ४ गृह विभाग में वीसा पासपोर्ट के लिये और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक सेवा आयोग में एक अन्डर सेक्रेटरी की पोस्ट क्रियेट की गयी है। इस प्रकार हमेशा नयी पोस्टों को क्रियेट करते समय सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि कार्य-भार बढ़ता जा रहा है इसलिये और स्टाफ की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि फिर एकोनामी कैसे होगी। अगर काम में एफिशियेन्सी नहीं लायी जायगी तो अफसरान इसी तरह से कहते रहेंगे और इसी तरह की ग्रान्ट्स सदन के सामने आती रहेंगी। अगर एफिशियेन्सी आयेगी तो निश्चित रूप से कुछ स्थान कम होंगे और कुछ बचत होगी। मेडिकल विभाग में डायरेक्टर की पोस्ट रखी गयी है, जब जरूरत आयेगी ज्वाइन्ट डायरेक्टर और फिर एडीशनल डायरेक्टर की पोस्ट क्रियेट कर ली जायगी। जिला स्तर पर आप देखिये––मेडिकल ऐण्ड हेल्थ का एक सिविल सर्जन है, एक ऐन्टी-मलेरिया आफिसर है, एक स्मालपाक्स का आफिसर है, एक फाइलेरिया का आफिसर है। सब अलग-अलग हैं। एक दूसरे के पास चिट्ठी ले जाने के लिये अलग-अलग चपरासी हैं। यह नहीं कि सारे अफसर एक सिविल सर्जन के मातहत काम करें। अलग-अलग इनके हेड्स हैं, अलग-अलग सारे ब्योरे हैं, क्या वजह है, आपको इस पर सोचना चाहिये। अगर इस तरह की बातें चलती रहेंगी तो खर्चा जरूर बढ़ेगा।

ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी बहुत सी ऐसी बातें मैं जानता हूं कि जो इसका डाइरेक्टोरेट है वहां पर किस तरह से अनावश्यक जगहें पैदा करके कितना अधिक खर्चा बढ़ाया गया है। इस सिलसिले में जब कोई आदमी यह कहता है कि आपने अपने यार दोस्तों को भरने के लिये, अपने मनचाहे लोगों को भरने के लिये और प्रमोशन देने के लिये नयी-नयी जगहें क्रियेट की हैं, तो माननीय कृष्णानन्द राय जी कहते हैं कि इस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाना उचित नहीं है। भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार से निपटने के लिये आपको और इधर के लोगों को ईमानदारी से सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी को खतरे में पड़ने की बात कह कर इसे टालना ठीक नहीं होगा। एक जमाना था जब पब्लिक खद्दर का कुर्ता देख कर गांधी जी के चेले को शक्ल में पैर पूजती थी, आज चाहे आप कहीं भी चले जायं, बस, में, रेल में खादर का कुर्ता देखकर पब्लिक कांग्रेस को गाली देती है यह देखने को मिल जायगा। इसमें दोनों साझी हैं––हुकूमत पार्टी और आफिसरान। माननीय सदस्य उन्नाव ने ठीक ही कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी से लड़ना है तो उनकी जो अलग सभ्यता, संस्कृति व परम्परा है उसको समाप्त करना होगा, उनको स्पेशल पे को घटाना होगा। बहुत अच्छा होता यदि इसी सदन में इस प्रकार की घोषणा होती कि कम से कम तनख्वाह १०० रु० होगी और ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह १,००० रु० होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और स्पेशल पे दी जाती है। मुझे ताज्जुब तो तब होता है जब कि गांव का चौकीदार तो ५ रु० पायेगा, सिपाही ५० रु० पायेगा और दारोगा जी का घोड़ा भी वही ५० रु० पायेगा। दारोगा जी के घोड़े से या एस० पी० साहब के घोड़े से जब चौकीदार की जिन्दगी के मुकाबले में ५ रु० की हो गयी, यानी दस गुना कम हो गयी तो इस सरकार के प्रशासन से यह उम्मीद करना कि इसमें समाजवादी समाज की गंध आयेगी, समाजवाद की एक रत्ती भी झलक आयेगी या इसका प्रशासन इस तरह का बनेगा जिसमें कि कुछ सुधार हो सकेगा, यह कल्पना के बाहर की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिये, डेमोक्रेसी में विश्वास लाने के लिये यह आवश्यक है कि इसमें आमूल सुधार किया जाय और इसके लिये माननीय मुख्य मन्त्री एक कमेटी बनाने की घोषणा करें।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)––

श्रीमन्, यह जो सामान्य प्रशासन का बजट माननीया मुख्य मन्त्री ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)––

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीया मुख्य मन्त्री सरकार की तरफ से बोलने वाली हैं और आपने अभी श्री बंशीधर पांडेय को टाइम दे दिया। श्री बंशीधर जी

[श्री रामचन्द्र विकल]

इसके पहले भी कई दफा बोल चुके हैं, जबकि अभी कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं जो जनरल डिस्कशन में या गवर्नर के भाषण पर नहीं बोले हैं। बराबर यहीं खड़े होते हैं जबकि गवर्नमेंट की तरफ से मन्त्री लोग बोलते हैं। तो श्री बंशीधर जी रोज-रोज क्यों बोलते हैं हर विषय पर ?

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, विकल जी को भी बोलने का मौका दिया जाय। मैंने एक दिन अखबार में भी पढ़ा था कि इसके विरोध में एक दिन वे सदन त्याग कर चले गये थे।

श्री बंशीधर पांडेय--

उसके बाद वे बोल चुके हैं। श्रीमन्, माननीय झारखंडे राय जी ने जो अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने कहा है--और बात जो उन्होंने कही वह इस दृष्टि से कही कि शायद कांग्रेस पार्टी को यह बात अच्छी लगे-- जैसे रूस में आल पावर टु कम्युनिस्ट पार्टी, चीन में आल पावर टु पिपुल्स कमेटी है वैसे ही यहां के लिये उन्होंने कहा कि आल पावर टु कांग्रेस पार्टी हो। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बिलकुल हित की ही बात कही।

श्रीमन्, सन् ४७ में १५ अगस्त को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इधर या उधर के बैठने वाले सारे लोगों के दिमाग में यह बात थी कि हिन्दुस्तान के सामान्य प्रशासन का ढांचा कैसा हो और उसका ढांचा दुनिया के और जनतांत्रिक देशों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के मुकाबले में पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन का कैसे बनाया जाय। श्रीमन्, पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन किसी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रवृत्तियों का एक दर्पण होता है,वह एक आईना होता है, जैसे समाज और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावनायें और उनकी आन्तरिक मनोवृत्तियां होती हैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं भावनाओं के अनुरूप देश या प्रदेश की सरकार के रूप में सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा हमारे सामने आता है। आल पावर टु कांग्रेस कमेटीज बड़ी अच्छी चीज है। बहुत से देशों में ऐसा होता है कि ऊपर से लेकर नीचे एक स्तर तक के तमाम सरकारी कर्मचारी एक दल के साथ चले जाते हैं और दूसरा दल आकर अपने नये कर्मचारी उनके स्थान पर रखता है। हमने भी अपने यहां पंचायती राज के रूप में आल पावर टु पंचायती राज दे दिया है। आज सारे संसार में और यूनाइटेड नेशन्स में भी इस बात की चर्चा है कि भारत में मानव का सब से अधिक और ऊंचा सम्मान इन पंचायतराज के इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है। हमारी जनता की यह संस्थायें पहली इकाई हैं जिन में आल पावर टु पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन्स हैं। आल पावर टु कांग्रेस कमेटीज की बात नहीं है। पहली इकाई से लोक सभा तक जो हमारे पांचों अंग हैं उन सब में सारे देश के जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को बांटने की योजना बनाई गई है।

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने एक बात कही और यह सच है कि यदि शुद्ध हृदय से विचार किया जाता है तो सही बात अपने आप ही दिल से निकलती है और उन्होंने बहुत सही कहा कि इधर के और उधर के लोगों का एक फैशन सा हो गया है, चाहे रेल में चलते हों, हवाई जहाज में उड़ते हों, बस में बैठे हों, तांगे में जा रहे हों, क्लब में बैठे हों, या होटल में बैठे हों--सब जगह एक ही तरह की बातें की जाती हैं और तरह-तरह के दोषारोपण होते हैं और जो गांधी जी के चेले हैं और उनकी दोहाई देते हैं उनको भी जब सरकार की आलोचना करनी होती है तो वे भी कहते हैं कि खद्दर के लोगों ने देश के शासन को गड़बड़ कर दिया। क्या आज प्रदेश की और देश की सरकार के सामने यह एक विचारणीय प्रश्न नहीं बन गया है ? मैं यह भी कहूंगा कि पर कैपिटा आय में यह सरकार चाहे पीछे हो लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन के मामले में और प्लानिंग के बेसिस पर देश के जितने सूबे हैं उनमें केन्द्र के स्तर पर हमारे यहां की चर्चा होती है कि यू० पी० के शासन के अन्तर्गत जो उस की नीतियां हैं और जो उनका कार्यक्रम है वह

बहुत ही अच्छा है। केन्द्र के स्तर पर ऐसा विचार है, बाकी सरकारी अधिकारियों मिनिस्टर्स, मेम्बर्स के डिमारेलाइजेशन की बात करना आसान है।

मेरे बहुत से दोस्त कह दिया करते हैं कि हमने तो तुम्हारे सफेद वस्त्र के ऊपर कीचड़ उछाल दी, अब तुम अपनी पब्लिक लाइफ में सफाई देते फिरो। इस तरह से कहने-सुनने की कोई सफाई नहीं है। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नीचे तक के किसी आदमी के लिये कुछ भी कहा जा सकता है कि फलां ने करोड़ों की सम्पत्ति पैदा कर ली और अपने लिये हर तरह के लगजूरियस सामान कर लिये। चाहे कोई अफसर हो या कोई हो आप जरा देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में सारी सर्विसेज के इन्डेक्स में जो अन्तर है वह २,००० से १५,८०० तक का है और इस के अन्दर उन के १८ ग्रेडेशन हैं। यह वहां का क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से यूनाइटेड किन्गडम में भी लैंथ आफ सर्विसेज में भारत के अनुसार इतनी सिक्योर सक्रिय सर्विसेज नहीं हैं। अभी क्वेश्चन आवर में बात होती थी कि तुम ने जनशक्ति की योजनाओं को संचालित करने के लिये लोगों को इंजीनियरी, डाक्टरी और ओवरसियरी की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी और आज २५० पुरुषों के और १०० महिलाओं के अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। जरा आप देखें कि यहां सदन में सन् ५० से पहले २३२ सदस्य थे जो कि अब ४३१ हो गये हैं और लोक सभा में भी अब ४९६ या ५०० सदस्य हो गये हैं। तो इस तरह से जब पब्लिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेन्सी लाने के लिये उसका भी उत्तरोत्तर बढ़ाव और फैलाव होगा।

आज चीफ सेक्रेटरी की बात कही जाती है, सेक्रेटरियट के सेक्रेटरीज की बात कही जाती है। मैं माननीय नेकराम शर्मा जी की बात से सहमत हूं कि हमारे प्रति तो चीफ मिनिस्टर उत्तरदायी हैं, सारी बातों को चीफ मिनिस्टर के नाम में करेंगे, चीफ मिनिस्टर के प्रशासन में अगर कोई कमी होगी वह उनके नाम के पीछे लगेगी। यह सारी जिम्मेदारी उस टीम के लीडर की है। पर अभी दिन ही कितने हुए ? हमारे यहां एक कहावत है कि फल आया नहीं और पत्ते देख कर पहले ही कह दिया कि इसका फल खट्टा होगा। ऐसी बातें डीमारलाइजेशन को लाती हैं। एक तरफ आप विजीलेंस कमीशन बैठाने की बात करते हैं, माननीय मुख्य मन्त्री ने स्वयं कहा है कि आवश्यकतानुसार उसके कार्यक्षेत्र में परिमार्जन होते रहेंगे और किये जायेंगे। यही नहीं मिनिस्टर्स की भी जांच हो, और होनी चाहिये हम कब मना करते हैं और केन्द्र ने इस बारे में कदम उठाये हैं। एक तरफ आप न्यायिक मांग की बात करते हैं और दूसरी तरह कहते हैं कि जुडिशियरी करप्ट है। कहीं तो आपका विश्वास जमना चाहिये। इस प्रदेश का यह सदन सर्वोच्य न्यायालय है इसलिये जो कुछ भी यहां कहा जाता है उसकी स्पष्ट छाप पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ती है। अतः हमको जो कुछ कहना हो वह सोच समझ कर कहना चाहिये। डेमोक्रेसी पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन मान्यताओं, परम्पराओं और बन्धुत्व पर चलता है न कि एक दूसरे में अविश्वास प्रकट करके। माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था वह इस कुर्सी से चिपकी नहीं रहना चाहती। बिल्कुल ठीक कहा है। जो भी मिनिस्टर निर्लिप्त भाव से काम करने की सोचेगा वह यही कहेगा और करेगा भी। प्रशासन में सुधार लाने के लिये ही सरकार डीसेन्ट्रेलाइजेशन कर रही है। कहा जाता है कि जुडिशियल अफसर ज्यादा न हों, आनरेरी मैजिस्ट्रेटस न हों बल्कि पंचायती राज हो। यही हमारी मंशा है और इस तरफ कदम उठा रहे हैं जिससे गांव स्तर पर न्याय सुलभ हो और जल्दी मिल सके। तो यह भी एक कदम है पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन को रिफाइन करने का। गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक स्टडी टीम ने पंचायती राज ऐक्ट के अन्तर्गत दिया है, अभी उदयपुर में कान्फ्रेन्स हुई थी, माननीय जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में जिसमें यह विचार किया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स को सरकार की एजेन्सी माना जाय या अपने स्तर पर गवर्नमेंट की यूनिट होगी। तमाम लोग वहां उपस्थित थे और इस कनसेप्ट को स्वीकार किया गया कि यह एजेन्सी होगी नेक्स्ट हायर बाडी की और साथ ही साथ अपने लेविल पर गवर्नमेंट होगी। तो जब ढाई लाख गांव पंचायतें, इतनी सारी जिला परिषदों में ऐडमिनिस्ट्रेशन को डीसेन्ट्रेलाइज करेंगे तो जाहिर है कि उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में बढ़ोत्तरी होगी। मैं इस बात को मानता हूं कि जहां पर खर्चे का रिपीटीशन हो वह दूर किया

[श्री बंशीधर पांडेय]

जाय और जहां पर कमी की गुंजाइश है वहां की जाय लेकिन एफिशियेन्सी को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त अधिकारियों की बहुत आवश्यकता है। जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे ढंग से चलाने के लिये हमें तारीफ करनी होगी उन अधिकारियों की जो अच्छे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात आप करते हैं तो डिसेन्ट्रलाइजेशन आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का क्या ओहदा होगा, कृपया उस पर प्रकाश डाला जाय।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, यह तो बहुत लम्बा हो जायगा। मैं सब के बारे में बता दूंगा। आज जो कमिश्नर को हटाने की बात कही गयी है मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन यह बताना चाहता हूं कि उन्हें कई कार्य करने पड़ते हैं, रेवेन्यू का, प्रशासन का, क्षेत्र समितियों आदि का। पंचायती राज ऐक्ट में तो कमिश्नर करीब-करीब सारा ही काम करता है। क्षेत्र समिति व जिला परिषद् में प्रेस्क्राइब्ड आथौरिटी है। वही फाइनल आथौरिटी है। हर कदम उसकी राय से होता है। प्लानिंग, नियोजन, कोआपरेटिव यह सारे काम हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यूरोप के देशों में खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ओहदा नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय---

जिन देशों का आप हवाला देते हैं उनमें डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन की प्रणाली भी तो नहीं है। इन देशों में जैसे फ्रांस, फिनलैंड, स्पेन आदि में यह सब कुछ नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

स्विटजरलैंड और स्पेन में है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय काशी नाथ, एक कायदा यह है कि अगर, जो प्रवक्ता हैं वे बैठ जायें, तो आप बोलेंगे वरना नहीं बोलेंगे।

(श्री कल्पनार्थसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

कल्पनार्थसिंह जी, आप बैठ जाइये।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, कल्पनाथ सिंह जी को कायदे से क्या मतलब है? आपने देखा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने थोड़े-थोड़े कदम उठाये हैं। हमारे सदन के सभी लोगों ने स्वागत किया कि एक ऐसे चीफ सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया। प्रशाकीय इकाइयों में बहुत से कार्यक्रम होते हैं। उन्होंने कार्यक्रमों की नीव डाल दी है।

श्रीमन्, अभी एक माननीय सदस्य ने जिले का उदाहरण देते हुये बताया है कि फलां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जब लोग जाते हैं तो वे लोगों को बैठाकर नेताओं को गाली दिया करते हैं। मैं, गवर्नमेंट मेम्बर होने के नाते नहीं कहता हूं उस तरफ के भी लोगों की बड़ी इज्जत है। इज्जत, असल में अपने आप के बनाने से होती है। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक लेकर चले आये और सेक्रेटरी या चीफ सैक्रेटरी ने मोहर लगा दी और आप इस कैरेक्टर के हो गये। हो सकता है कि कहीं कलेक्टर ने गड़बड़ी की हो। कलेक्टर से भी गड़बड़ी हो सकती है। एक जनरैलाइ-

जेशन कर देने से हम आपसे कहते हैं कि सारी मशीनरी डिमौरेलाइज़ होती है। आपने ब्लाक अधिकारी, ए० डी० ओ०, तहसीलदार और सारे नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों में गड़बड़ी की बात कही । गड़बड़ जो भी हो, उसका सुधार होना चाहिये, लेकिन जो अच्छे अधिकारी हों, उनकी उन्नति की भी बात होनी चाहिये । लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कुछ अधिकारियों की आवश्यकता होती हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा विषय है जो हमारी सरकार के सारे ढांचे का प्रतिबिम्ब है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे कार्यक्रम को आरम्भ कर दिया है और अगर सदन का सहयोग रहा तो उसमें अवश्यमेव सफलता प्राप्त होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक निश्चित विश्वास के साथ निश्चित कदम उठा कर अपने मंत्रिमंडल को छोटा किया और इस प्रकार से पब्लिक एक्सचेकर पर जो बर्डन था उसको कम किया । आज सरकार के जो जिम्मेदार आदमी हैं और उसके साथ साथ जो सरकार के चलाने वाले उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनकी मान मर्यादा तथा प्रतिष्ठा कोई जनता के अन्दर बहुत अच्छी नहीं है। कोई समय था जब देश में सरकार या राजा को परमात्मा माना जाता था और इतनी निष्ठा जनता की उनके अन्दर होती थी कि उनकी आलोचना करना तो अलग रहा उनके खिलाफ कुछ कहना भी पसन्द नहीं करता था। दूसरी तरफ अगर जनता के लोग कोई आरोप लगाते थे तो उसके प्रतिक्रियास्वरूप वह अपने स्थान को परित्याग भी कर देते थे। लेकिन आज हमारी मिनिस्ट्री की पब्लिक की नजरों में यह मान-मर्यादा है कि हर व्यक्ति सरकार की निन्दा करता है । और सरकार के खिलाफ अच्छे से अच्छे प्रमाण एकत्र कर के उसको कोसते रहते हैं । ऐसी स्थिति में मैं सरकार की तरफ बैठने वाले अपने साथियों से यह कह देना चाहता हूं कि जनता में अपनी इज्जत, मान और प्रतिष्ठा पैदा करिये, हमारे कहने के ऊपर अपने मान और प्रतिष्ठा को ऊंचा या नीचा न समझिये बल्कि जनता जो कुछ आपके लिये कहती है उस पर ध्यान दीजिये ।

भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा की गई। उसकी चर्चा यहां होनी भी चाहिये क्योंकि अंग्रेजी शासन ने पिछले १७ वर्षों के अन्दर जो कुछ हमको दिया है उसमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज दी है और मेरा खयाल है कि समाजवाद का यह सबसे पहला उसूल भी है । लेकिन भ्रष्टाचार केवल रुपये पैसे से ही नहीं आंका जा सकता । अगर मंत्री लोग अपने बच्चों को सरकारी गाड़ी में स्कूल भेजते हैं तो यह भी भ्रष्टाचार है । या सड़क बनाने के लिये मिनिस्टर की ससुराल का गांव अगर चुना जाता है तो वह भी भ्रष्टाचार है। आज हमारे राममूर्ति जी नहीं हैं, मैं उन्हीं के विषय में कहना चाहता हूं, मेरी बात की जांच कर ली जाय कि जो नहर उनके फार्म तक जाती है उसमें पानी इस समय भी चल रहा है जबकि ज्यादातर नहरों में पिछली जनवरी से लेकर आज तक पानी नहीं चला । क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? मैं और उदाहरण देना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अपने रतनगढ़ बांध को वोट पड़ने से दो दिन पहले पूरा किया जबकि और काम पूरे नहीं हो पाते । क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? मैं एक काम से उनके पास गया । रतनगढ़ बांध की बात उनके सामने रखी और कहा कि सुरवा और बीरपुर ड्रेन्स हमारे यहां हैं जो आपके विभाग के अन्तर्गत आती हैं, आप उनको ले लीजिये। फौरन उनका हुक्म हुआ कि यह चार मील है, हम पांच मील तक ही लेते हैं, उससे कम नहीं । मैंने कहा कि भोजीपुरा में घंघोरा फार्म आपने बना रखा है, उसमें दो मील तक सड़क कैसे बनवा ली । क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? क्या यह नियमों की अवहेलना है ? वह नहर जिसकी बात मैंने आपके सामने रखी कि बीरपुर ड्रेन बननी चाहिये, सरकार ने राममूर्ति जी के विरोध के बावजूद मैं उन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिये ड्रेन का रुपया भी मंजूर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

किया, इंट भी वहां पहुंच गयीं, लेकिन वाह रे मंत्री महोदय, उनको खत मिल गया कि अगर यह ड्रेन बन गयी तो यहां पर जनसंघ का आदमी जीतेगा, कांग्रेस का आदमी नहीं जीत सकता, पिछले बारह साल से हम मेहनत करते रहे, किसी ने सुना नहीं इसलिये इसको रोक देना चाहिये और मंत्री महोदय के एक इशारे से वह काम रोक दिया गया । क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? आज भी वह रुका हुआ है जब कि यहां से रुपया मंजूर है । मैं मंत्रीगण से यह कहना चाहता हूं कि अपने भाई-भतीजों को ऊंचे ओहदे देने की सिफारिश न किया करें । जिन मंत्री महोदय का मैं जिक्र कर रहा हूं उनके बड़े-बड़े रिश्तेदार कोई किसी म्युनिसिपल बोर्ड का एग्जीक्युटिव अफसर है, कोई आंवला का है और कोई पीलीभीत का है । उनके एक साढ़ साहब बरेली में स्पेशल मैजिस्ट्रेट चले आ रहे हैं बावजूद तमाम शिकायतों के । क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? यह रुपये पैसे का भ्रष्टाचार नहीं है मगर यह भ्रष्ट आचरण जरुर है ।

माननीय उग्रसेन जी नहीं हैं । वह बार-बार दुहाई दिया करते हैं कि महल और यह चीजें किस लिये बन रही हैं और वह खड़े होकर कह दिया करते हैं कि मैं तो होमलेस वांडरर हूं । मैं व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं चाहता हूं लेकिन जब ऐसा आदमी खड़े होकर कह दे तो मुझे कहना पड़ता है कि साढ़ू का महल किस के लिये बनाया गया, जमीन किस के नाम है और किन जगहों पर किस-किस के नाम से बनी है ? इसका ब्यौरा यदि प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अवश्य दे दूंगा । बहरहाल, एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि हाकिम परगना उनके यहां कितने दिनों से है । उनका ट्रान्सफर क्यों नहीं किया जाता है ? इसलिये नहीं किया जाता है कि उनको विश्वास है कि वे उनके आदमी हैं, उनका काम करेंगे और हमेशा उनको जिताते रहेंगे । आप विचार करें कि इस तरह से भी भ्रष्टाचार होता है । रुपये पैसे की बात अलग रही ।

श्रीमन्, लंका में एक प्रथा है कि मिनिस्टरों की मोटरें सरकारी काम करने के बाद गैरेज में बंद कर दी जाती हैं । मैं चाहता हूं कि यही प्रथा यहां भी लागू की जाय । जितनी देर सरकारी काम हो गाड़ी निकाली जाय, इसके बाद शोफर उसको गैरेज में बन्द कर दे और जब तक जरूरत न हो गाड़ी बाहर न निकाली जाय । इस तरह से भ्रष्टाचार बंद होगा ।

इसके अलावा लेजिस्लेटर्स को एक्जीक्यूटिव पावर्स दी जायं । लंका में इस बात का प्रावीजन है और एक आफिस उनको दिया जाता है और वे अपनी कांस्टीटुएन्सी के अधिकारियों पर देख-रेख रखते हैं । लेकिन यहां पर हम सैकड़ों दरख्वास्तें देते हैं, उनकी सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच करा ली जाती हैं, उनकी बात सच मानी जाती है और हमारी बात झूठ मानी जाती है । अगर हम गलती भी करते हैं तो जनता ने चुनकर हमें भेजा है, एक बार ही गलती हो सकती है, यहां कितने दूध के धोये बैठे हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

आपका एक मिनट बाकी रह गया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

सेक्रेटेरियेट में जितने दफ्तर हैं उनसे तथा मंत्रियों से हमारा संबंध रहता है । इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं । जिस समय पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स कमेटी की मीटिंग होती है हम विभागों के खर्चे पर कंट्रोल करते हैं । आज सेक्रेटेरियेट में बीसियों तरह के सेक्रेटरीज भरे पड़े है, उनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल कायम कर सकें यह देखना होगा । २६ सुपरिंटेन्डेन्टस की पोस्ट बढ़ा रहे हैं और इसके अलावा भी कुछ पोस्टस बढ़ा रहे हैं ।

"It has been decided to allow travelling allowance to government servants on their retirement from service to enable them to proceed to the place of their final residence after retirement"

उनके लिये खर्च बढ़ा रहे हैं । इसी के साथ-साथ आप देखें :—

"It has been decided to revise the pay scale of stenographers at the Head—quarters"

लेकिन गरीब क्लार्क की तनख्वाह बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगें ।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं उन मेम्बरान का जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया और अपने विचार प्रकट किये । मैं उन सभी भाईयों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने समर्थन करते हुये उसकी मूल आत्मा और मेरे व्क्तव्य में कही हुई बातों का समर्थन किया है ।

मान्यवर, समाजवाद और अधिकारी और कर्मचारी के विषय में मैं चाहूंगा कि अब सरकार इस ओर कदम बढ़ाये कि समाजवाद की कम्पल्सरी ट्रेनिग और क्लासेज अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जायं, उनको भरती करने में जो परीक्षायें होती है । उनमें समाजवाद के ऊपर परखा जाय और उनमें अच्छे नम्बर पाने के बाद ही उन्हें नौकरियों में स्थान दिया जाय और सर्विसेज की नियमावली में यह शर्त हो कि समाजवाद में उनकी आस्था और विश्वास मान्य हो ।. मान्यवर, वरना आज कल की जो दशा है उसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूं । मेरे पास एक पत्र है जो श्री के० एन० माथुर डिप्टी रजिस्ट्रार, डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज, यू० पी० इंडिस्ट्रयल कोआपरेटिव सेक्सन, कानपुर, स्वरूप नगर की ओर से लिखा गया है । २५ जवनरी का पत्र है । उन्होंने प्रेसीडेट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल वीवर्स यूनियन लिमिटेड, खलीलाबाद, बस्ती को लिखा :

"It is nearly one year now that the Union promised to set its own house in order so that it could command sufficient credit in the market to attract a private financier for financing the operation of the Yarn Preparatory Factory and the 200 power-looms installed in the affiliated societies of the Union"

यह प्राइवेट फाइनेंसियर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोआपरेटिव के प्रति अधिकारियों का रुख है । कोआपरेटिव के प्रति उल्टा रुख है ।

यह भूखे भेड़िये के सामने एक मेमने को फेंकना है । नये कोआपरेटिव कारोबार को पूंजीपतियों को, जो कि आदमखोर हैं, हाथों में सौपने की चेष्टा की । यह पद्धति और भावना समाजवाद से मेल नहीं खाती है । चार पावर लूम हमारे प्रदेश में ऐसे हैं, टांडा, संडीला, मऊ और खलीलाबाद, २० लाख रुपये की कमी के कारण चारों बेकार पड़े हुये हैं और लाखों रुपये की सम्पत्ति निरर्थक जा रही है । यह सरकारी नीति और अधिकारियों की प्रवृत्ति का एक परिचायक है ।

आल पावर टु सोवियट्स की बात हमने कही थी । उस सिलसिले में माननीय बंशीधर पांडेय जी ने कुछ कहा । मैं उनसे कहूंगा कि वह उसको समझे ही नहीं हैं । फिर से उसको पढ़ें । उसके पीछे जो पोलिटिकल कन्टेन्ट है उससे कोई मेल नहीं खाता जो आल पावर टु पंचायत इंस्टीट्यूशन्स की बात उन्होंने कही । कहां राजा भोज और कहां गंगुवा तेली । आटा घोलकर पानी में और उससे दूध का सन्तोष माननीय पांडेय जी देना चाहते हैं । वह आल पावर टु सोवियेट्स और आल पावर टु पंचायत इंस्टीट्यूशन्स का मेल मिलाना, यह जबर्दस्ती का उनका प्रयास है । पंचायत खोखली हैं । शक्ति शून्य हैं ।

[श्री झारखण्डेराय]

मान्यवर, अस्थायी कर्मचारियों की समस्या बहुत भयंकर है। पचास फीसदी से ज्यादा अस्थायी कर्मचारी सरकारी नौकरियों में आज भी हैं। सैकड़ों की नौकरी समाप्त हो गई, वह रिटायर भी हो गये लेकिन उनका अस्थायित्व समाप्त नहीं हुआ।

एफिशियेंसी का एक नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यू० पी० सरकार ने एक "स्थायी संराधन मंडल" इस बात के लिये स्थापित किया, पांच वर्ष पहले १९५८ में, कि राजकीय प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के विवादों के ऊपर वह निर्णय करेंगे। लेकिन पांच वर्ष में एक भी केस का आज तक निर्णय उन्होंने नहीं किया। डेढ़ साल से २७ केसेज उनके सामने पड़े हुये हैं और उनकी एक बार पेशी भी नहीं हुई। यह एफिशियेंसी का नमूना है इतने विभाग और इतने कर्मचारियों के बढ़ने के बाद!

मान्यवर, करप्शन की बात मैंने पहले भी कही है, फिर दोहराऊंगा कि यह करप्शन तो भगवान के घर में भी प्रवेश कर चुका है, बद्रीनाथ केदारनाथ के मन्दिरों और तमाम दूसरे मन्दिरों मस्जिदों में पहुंच चुका है। जो काम भगवान अपने मन्दिरों में नहीं कर पा रहा है, खुदा अपनी मस्जिदों में नहीं कर पा रहा है, उसे इन्सान को करना पड़ेगा क्योंकि भगवान और खुदा की कल्पना भी इन्सान ही की है। इसलिये भगवान के द्वारा जो काम नहीं हो रहा है उसे भी इन्सान को करना है और मजबूती के साथ करना है।

मान्यवर, रेड टैपिज्म का एक ताजा नमूना लीजिये। साहबों की बीबियां भी कम साहब नहीं होतीं। एक हमारे यू० पी० के ही अधिकारी हैं जो आजकल डिप्टी डाइरेक्टर मेडिकल बर्दवान में हैं। उनकी बीवी यहां हैं, बच्चे हैं। बच्चा बीमार पड़ा तो बीबी ने मियां को चिट्ठी लिखी कि ऐम्बुलैंस नहीं मिल रही है, ऐंम्बुलैंस का इन्तजाम कर दिया जाय। उन्होंने चिट्ठी लिखी डाइरेक्टर मेडिकल यू० पी० को। उन्होंने लिखी सिविल सर्जन को और उन्होंने चिट्ठी लिखी सुपरिंटेन्डेन्ट बलरामपुर हास्पिटल को और उन्होंने जब ऐम्बुलेन्स भेजी तो मालूम हुआ कि वह लड़का तो कब का अच्छा हो गया। यह कमाल है रेड टैपिज्म का! इस तरह से लिखा-पढ़ी में कितनी चीजें समाप्त हो जाती हैं।

मान्यवर, बिष्ट जी ने जो बातें कही हैं उत्तराखंड के बारे में उनका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं अक्षरशः और मैं चाहूंगा कि उसपर विशेष जोर दिया जाय क्योंकि वह हमारा सीमांत अंचल है और किसी भी प्रकार वहां असंतोष नहीं होने देना चाहिये। मैं इस बात की तरफ मुख्य मंत्री जी का विशेष ध्यान खीचूंगा कि फौजों के वहां जाने से, जो फौजें जमीन ले रही हैं अपनी बैरकों के लिये, उसको लेकर वहां असन्तोष व्याप्त हो रहा है। फौजों का जाना भी जरूरी है और फौजें वहां रहेंगी भी। लेकिन फौजें वहां रहें जो जगह उपजाऊ न हो बल्कि बंजर है। इस बारे में मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भारत सरकार से विशेष रूप से बात करें क्योंकि वह असंतोष हमने अपनी आंखों देखा है और हमारी उत्तराखंड कमेटी की रिपोर्ट में भी शायद वह बात आवे। उत्तराखंड में साइंस कालेज की निहायत जरूरत है। टेक्निकल शिक्षा उन पिछड़े हुये भागों के लड़कों को तेजी से देनी होगी। उद्योग की प्रगति तेजी से की जाय। उजड़े भोटियों को पुनर्वास देकर संतुष्ट किया जाय।

मान्यवर, नवल किशोर जी ने प्लानिंग कमीशन की बात कही यू० पी० के लिये। मुझे डर लगता है कि प्लानिंग कमीशन कायम होने से कहीं हमारा अनावश्यक खर्चा न बढ़ जाय। इसलिये मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल की एक उप-समिति उस काम की देखभाल कर सकती है, अन्यथा अधिक खर्चा बढ़ाने की बात प्रदेश के लिये आज की स्थिति में हितकर नहीं होगी।

एकोनामी की बात कही। माननीय गुप्ता जी के जमाने की एकोनामी की चर्चा माननीय नवलकिशोर जी ने प्रशंसात्मक रूप में की है। गुप्ता जी के सारे प्रयास ढपोरशंख साबित हुये हैं। नवल किशोर जी ने एक बार भी यह बात नहीं बतायी कि गुप्ता जी के तमाम

प्रयासों का फल कितना हुआ और कितनी हमारे प्रदेश में उससे बचत हुई । इसकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की ।

सतर्कता आयोग की स्थापना एक अच्छी चीज हुई है । पूरे सदन ने, पूरे प्रदेश ने और सब जगह उसका स्वागत हुआ है । इस ओर मैं चाहता हूं कि जो प्रदेश में भ्रम इस विषय में पैदा हो गया है उसको पूर्णरूप से दूर होना चाहिये और उसके ऊपर मुख्य मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण कर दें कि क्या उसका कर्त्तव्य और अधिकार है, क्या उसकी परिधि और व्यापकता है और क्या उसका ढंग होगा ।

फील्ड वर्क और सेक्रेटेरियेट वर्क में समन्वय होना चाहिये । जो अधिकारी हमेशा जिलों के अन्दर काम करते हैं जिलाधीश या दूसरे रूप में उनको सेक्रेटेरियेट में लाया जाय और सेक्रेटेरियट से वहां भेजा जाय । यहां पर तीन वर्ष से अधिक कोई न रहने पाये और अगर किसी की अवधि बढ़ाई जाय तो पांच वर्ष से अधिक किसी भी हालत में नहीं । तभी इन दोनों के कामों में समन्वय हो सकता है । अनुभव प्रत्यक्ष जनता के बीच में रहकर और उसके दैनिक कार्यों का अनुभव करके हो सकता है । ऐसे अधिकारियों को यहां लाया जाय । नौकरशाही को किस प्रकार से डेमोक्रेटिक का किया जाय यह एक बुनयादी सवाल है जिस पर सरकार को ध्यान देने की विशेष जरूरत है । मैं चाहता हूं विरोधी दल के नेताओं से मिलकर उनसे भी ठोस सुझाव लेकर इस मसले को हल किया जाय । इस बात को देखा जाय कि किस प्रकार समाजवादी मनोभावना, समाजवादी सिद्धान्तों से नौकरशाही का मेल हो सकता है । हमारे भाई गंगवार जी ने समाजवाद के ऊपर कुछ कहा । मैं उनसे कहूंगा वे समाजवाद के ऊपर जो मौलिक और बिलकुल क, ख, ग की प्रारम्भिक बातें हैं उनको पढ़ें तो उनको मालूम हो जायगा और पता लग जायगा कि समाजवादी व्यवस्था में करप्शन घटता है या बढ़ता है । जिला परिषदें स्थापित हो चुकी हैं । जिला परिषदों की मीटिंग बिलकुल मछली बाजार हो गई हैं । इस बात की जरूरत है कि हर जिला परिषद् का अपना एक भवन बने जहां बहुत शान्ति से विचार विमर्श हो सके । वहीं दर्शक बैठते हैं और वहीं पर मेम्बर भी बैठे रहते हैं । इससे बात-चीत और बहस करने में बड़ी कठिनाई अनुभव होती हैं । जियाउर्रहमान साहब, जो उन्नाव के हैं, ने जो बात कही है वह हृदय से कही है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं । मैं चाहता हूं कि उन बातों के ऊपर ध्यान दिया जाय । ईमानदार कर्मचारी हैं । ऐसे लोगों की प्रशंसा की जाय, उनको पुरस्कार भी दिये जांय । उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये ।

अन्त में दो बात और निवेदन करना चाहता हूं । सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग जरूर होता है । मैंने भी देखा है और पूरे सदन ने देखा है । इसके लिये चाहे ऊपर के लोग हों या नीचे के हों, इस पर अंकुश जरूर लगना चाहिये । दूसरी बात यह है कि हम लोग यहां पर खड़े हो जाते हैं और जो जी में आता है कहते हैं क्योंकि यहां पर हमको बोलने की आजादी है लेकिन मेरी यह मांग है कि हमारे ऊपर भी कुछ अंकुश लगना चाहिये । यह बात देखी जानी चाहिये कि कौन विधायक कब से इस विधान सभा में है; कितनी उसकी प्रापर्टी है; कितना उसका बैंक बैलेंस है; कितने टाइम में उसने अपनी कितनी संपत्ति बना ली है; इसकी जांच भी होनी चाहिये ।

एक बात कृष्णानन्द राय जी ने कही कि यहां पर फैसिस्ज्म का खतरा है । अगर पोलिटिकल लीडर ऐसी बात करेंगे तो जरूर यहां पर खतरा हो सकता है । हमको उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिये । बिहार के मुख्य मंत्री जी ने इसी तरह की अपील की है कि हमारे देश को प्रतिक्रियावादी लोगों से सब से बड़ा खतरा है । कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को इसका मुकाबला करना चाहिये । उनसे समाज को सजग रहना चाहिये । हमारे मित्र उससे सजग हैं इसके लिये उनको धन्यवाद । यदि हम सब अपने देश में सजग रहें तभी उसका मुकाबला कर सकते हैं परन्तु इसके लिये यह निहायत जरूरी है कि शासक निष्पक्ष हों, तथा भ्रष्टाचार से एकदम ऊपर हों । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज डेढ़ रोज से सामान्य प्रशासन पर विवाद इस सदन में चल रहा है और मैं इसलिये खुश हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखायी है और बहुत से वक्ता अभी भी बोलने के लिये तैयार हैं। यह स्वाभाविक है कि वह लोग इसकी समालोचना करेंगे, कुछ ने इसकी आलोचना की भी है। अगर मैं सब बातों का जवाब देने जाऊं तो मुझे बहुत काफी समय चाहिये। इसलिये जो मुख्य मुख्य बातें विवाद में आयी हैं, उनके प्रति ही मैं अपने उत्तर में कुछ कहूंगी।

हमारे माननीय झारखंडे राय जी ने दुख जाहिर किया कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सोशलिज्म की तरफ नहीं जा रहा है, वह पीपुल्स गवर्नमेंट लाने की तरफ नहीं जा रहा है। लोगों का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में कम है। लोगों की राय गवर्नमेंट में रेफलेक्ट नहीं होती। उसका हवाला उसके बाद उन्होंने सोवियट रूस से मुकाबला कर के दिया, चीन से मुकाबला कर के दिया, यूगोस्लोवाकिया से मुकाबला कर के दिया। साधारण ढंग से यह भी शिकायत हुई कि ब्योरोक्रेसी अपने मनमाने ढंग से जा रही है और किसी की सुनती नहीं। उसमें एफीशियेंसी नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है। अफसरों की तादाद बढ़ती जा रही है। उनकी तनख्वाहों के बारे में भी बहुत-सी बातें कही गयीं। यह कहा गया कि इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। झारखंडे राय जी ने मेरे ऊपर भी एक बात कही कि उनको खतरा है कि कहीं मैं भी यहां जातपांत न करने लगूं। पहली बात तो यह है कि मेरी कौन सी जात है यह ही मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस पर मैं फिर कहूंगी। ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड के बारे में भी कहा गया कि वह हुकूमत करने का एटीट्यूट है, जनता की सेवा करने का नहीं। किफायत की बात कही गयी। कमिश्नरों को हटाने के लिये और स्पेशल पे समाप्त करने के लिये कहा गया। मिनिस्टर्स का स्टाफ काम करने की बात कही गयी, वर्क लोड क्या होना चाहिये, यह बात भी आयी, आदि-आदि बातें कही गयीं। मुझे दुख है कि कहीं-कहीं अफसरों का नाम भी लिया गया और उनका नाम लेकर बातें कही गयीं। यह ठीक है कि उनकी तारीफ भी की गयी, कहीं-कहीं जरूरत से ज्यादा। किसी किसी अफसर के ऊपर आक्रमण भी जरूरत से ज्यादा किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन में एक उसूल हम को मानना चाहिये कि सब लोग ए, बी, सी, डी हैं। किसी का कोई नाम नहीं है। सब अनानिमस हैं। तारीफ करना है तो जनरली तारीफ कर दीजिये, बुराई करना हो तो जनरली बुराई कर दीजिये। नाम लेकर इस हाउस में उनके लिये कोई बात कहना कुछ अच्छी बात नहीं है और यह प्रापर भी नहीं मानी जाती। तो अच्छा होता कि उनका नाम न लिया जाता। खैर, जिन अफसरों की तारीफ हुई है उस के लिये मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि वे भी आखिर इंसान हैं और तारीफ से उनका उत्साह बढ़ता है। तो मैं अब इसमें से एक-एक बात को लूंगी।

पहली बात है कि हम सोशलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। पीपुल्स गवर्नमेंट हम नहीं ला पायें हैं। और इसके लिये रूस से मुकाबला किया गया। मेरी बदकिस्मती है कि मैं रूस में चक्कर काट आयी हूं और कुछ अध्ययन भी करती हूं। यह बात सही है कि ५ या ७ साल पहले मैं वहां गयी थी। पीपुल्स गवर्नमेंट वहां जरूर कायम है, लेकिन उस पीपुल्स गवर्नमेंट में पीपुल्स का कितना इनीशियेटिव है और उनको कितनी आजादी है, इसमें मुझे शक है। रूस के साथ हमारी मित्रता है और मुझे उसके लिये कुछ कहना नहीं है। वहां एलेक्शन भी होते हैं और वह कितनी आजादी से होते हैं या कितने टोटेलिटेरियन ढंग से होते हैं और उनका सूत्र नीचे है या ऊपर है, और उन पर अंकुश किस का है इसको जानकार लोग जानते हैं और इसलिये हम अपने से उनका मुकाबला नहीं करना चाहते। इन्कम की डिस्पैरिटी की बात कही गयी। मैं आंकड़े ढूंढ रही थी, वह मिले नहीं, लेकिन वहां भी डिस्पेरिटी काफी है, कम नहीं है। जब मैं गयी तो बारबार मैंने उन से इसकी बाबत पूछा कि आप लोगों में इक्वैलिटी आफ इन्कम नहीं दिखाई देती तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको कुछ गलतफहमी है। हमारा ध्येय यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं था, हमारा ध्येय था इक्वैलिटी आफ अपार्चुनिटी। कुछ फर्क जरूर है इक्वैलिटी आफ अपारचुनिटी है, क्योंकि एजूकेशन वगैरह में उन्होंने अच्छा काम किया है। एक मामूली वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट वहां उस जमाने में ढाई सौ रुबिल पाता है, उसकी वैल्यू उस जमाने में एक्सचेंज की ६०–६५ रुपया थी और हमारे यहां भी इतना ही एक अच्छे डामस्टिक सर्वेंट को करीब-करीब मिलता है। वहां तो मंहगाई के मुल्क में उसको और भी दिक्कत को जिंदगी बसर करनी पड़ती है। वहां प्रोफेसर और ऐकेडेमिशियंस भी मिले जिनको तनख्वाह कई हजार रुबिल्स है। घर तो उनका भी छोटा होता है। भिलाई का कारखाना जो हमारा है वहां उनके लोग आये हुये हैं। उन्होंने बतलाया कि बड़े-बड़े अफसरों और छोटे लेबरर्स के कमरे तो बराबर हैं मगर जिनको ज्यादा पैसा मिलता है उनके मकान ज्यादा सजे हुए और ज्यादा कीमती सज्जा वाले होते हैं। मेरा अपना भी ऐसा तजुर्बा है। यह जरूर है कि नीचे के स्तर पर आर्गेनाइज्ड लेबर ने ज्यादा प्रगति की है। हम भी अपने देश में चाहते हैं कि डिस्पैरिटी आफ इन्कम को दूर करें जहां तक मुमकिन हो और हायर इन्कम ग्रुप को हम भी टैक्स कर रहे हैं। हमने जो लेबर लाज पास किये हैं उसमें लेबरर को अच्छी जिंदगी देने की हमने कोशिश की है। उद्देश्य और आशाएं हमारी भी यही हैं, मगर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मीन्स इतने नहीं हैं। ज्यों-ज्यों हालात सुधरेंगे हम भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी रूस से हम कहां टक्कर ले सकते हैं, हमारा गरीब मुल्क है, कंडीशंस में बहुत ज्यादा फर्क है। रूस ने जो प्रगति की तो एक बड़ा भारी मुल्क था, अनटैप्ड रिसोर्सेस थे, आबादी बहुत कम थी, उतनी जल्दी हम डेवलप नहीं हो सकते क्योंकि कंडीशस में फर्क है। जिस जमाने में उन्होंने प्रगति की तब कितना मुफ्त का लेबर उनको मिला था अपने मुल्क को बनाने के लिए, उसको केवल कंसेंट्रेशन कैंप के आंकड़े देखकर पता लगाया जा सकता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं और धीरे-धीरे सोशलिज्म की तरफ अपने मुल्क को ले जा रहे हैं। हमारी इकोनामी पालिसीज उस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं।

जहां तक ब्युरोक्रेसी की बात कही गयी तो अकेले झारखंडेराय जी ने ही नहीं बल्कि सबने कहा कि यह ब्यूरोक्रेसी बड़ी खराब है, अंग्रेज के वक्त में जैसी मेंटलिटी थी वैसी ही आज भी है, सोशलिस्टिक आउटलुक को जानते तक नहीं हैं, करप्ट हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––

सही है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

आपके लिये जरूर सही है। यह बात सही है कि इतिहास हर मुल्क का अपना अलग होता है। अंग्रेज के जमाने में एक ब्युरोक्रेसी बनी थी, उसका उद्देश्य एक था उसकी पूर्ति के लिये यहां का एडमिनिस्ट्रेशन बना। हम लोगों ने जब अपने हाथ में राज्य लिया तो एक ब्लडी रिवोल्थूशन के जरिये से एक तबके को साफ करके नहीं लिया। उसके बाद धीरे-धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस से हम अपने उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं। यह जरूर है कि कुछ बैकलोड और मेंटल आउट-लुक कुछ पुराना रहता है। मैं जब सरकार के बाहर थी तो मेरा संपर्क आफिसर्स से नहीं था। मैं कह सकती हूं कि अफसरों में भी बड़े अच्छे लोग हैं, नौजवान हैं, पढ़े-लिखे हैं जिनका प्रोग्रेसिव आउटलुक है, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आखिर आफिसर्स आज कौन हैं? अंग्रेजों के जमाने में तो रूल करने वाले अलग थे और आफिसर्स हम काले आदमी थे जिनका इतिहास और परम्परा अलग थी उन लोगों से। अगर आज जो आफिसर्स हैं, उग्रसेन जी यहां बैठे हुए हैं सोशलिस्ट पार्टी के नेता, उन्हीं के भाई हमारे यहां आफिसर्स होते हैं। आफिसर्स और आप लोग जो पब्लिक के हकों की रक्षा करने वाले हैं सब एक ही पेड़ से निकले हुए हैं, एक ही वातावरण में पले हुए हैं, एक ही एजूकेशनल बैकग्राउंड से आये हुए हैं।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

तो यह समझना कि जो आज बदकिस्मती से नौकरी लेकर आये वह इतना जलील और करप्ट और रिऐक्शनरी आउटलुक वाला हो जायगा जो कि आज के जो हमारे चैलेंजेज हैं, जो हमारे आब्जेक्टिव्स हैं उनको नहीं समझ सकता है, यह कहना गलती होगी। यह हो सकता है कि आफिसर्स में कुछ डाई-हार्ड किस्म के साहब होंगे, पुराने टाइप के, जो पब्लिक के साथ संपक नहीं रखना चाहते, मगर ऐसे भी आफिसर्स हैं जो गांव-गांव में घूमने वाले और आप से ज्यादा काम करने वाले हैं। तो एक कलम से सबको कंडेम कर देना ठीक बात नहीं है। हम विकास विभाग के जिन अधिकारियों को ट्रेन करते हैं उस टेनिंग में इस बात का खयाल रखते हैं कि उनका दृष्टिकोण पंचायत राज आदि को कामयाब बनाने की तरफ हो। तो यह बात कहना कि ब्यौरोक्रेसी बिल्कुल पुराने ढंग पर चल रही है, यह गलत बात है। उसमें बुरे आदमी भी हैं और अच्छे आदमी भी हैं।

किसी माननीय सदस्य ने घोड़े वाली बात कही। मैं यह कहना चाहती हूं कि इस क्रीटिसिज्म में आप लोगों की कुछ सच्चाई की झलक है। अगर ब्यौरोक्रेसी हमारे कन्धों पर चढ़ी हुई है तो उसका मतलब है कि हम कमजोर हैं। जब हम कमजोर होंगे तभी वह हमारे कन्धों पर चढ़ सकती है। लेकिन जब राज्य चलाने वाले पोलिटिकल लोग आपसी झगड़ों में पड़े रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत लेने पर तुले रहेंगे, आफिसर्स से नाजायज काम करवायेंगे, तो जरूर वे लोग हमारे कन्धों पर चढ़े रहेंगे। तो देखना यह चाहिये कि इसमें कहाँ तक कसूरवार हम सब लोग हैं। अगर हम सब लोग ठीक रहें तो मुझे पूरा यकीन है यह चीज नहीं हो पायेगी। अंग्रेजों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा हमको दिया, उसमें यह जरूर है कि खामियां थीं, मगर कुछ अच्छाइयां भी थीं। उन्होंने एक स्टील फ्रेम में उसको हमें दिया, वह स्टील फ्रेम बढ़िया था।

करप्शन की बहुत-सी बातें कही गयीं। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूं, मगर उसे देने में मुझे दुख हो रहा है क्योंकि उसको देते हुये मुझे कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर के बारे में बोलना पड़ रहा है। हमारे साथी जियाउर्रहमान साहब ने उन्नाव के बारे में बहुत-सी बातें कहीं, वे बहुत नाराज भी थे। मैं आपको सारी बातें खुलकर तो नहीं बता सकती क्योंकि मामला सब्जुडिस है, केस चल रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि उन्नाव जिला परिषद् के बारे में यहां कुछ सवाल पूछे गये थे। वहां के चेयरमैन की धांधली के संबंध में कहा गया था। वहां पर मास्टरों को महीनों तक वेतन नहीं मिला था, नाजायज तरीके से मास्टरों को रखा गया था तथा और भी कई तरह की शिकायतें थीं और यह प्रश्न सामने था कि किस तरह से इसको ठीक किया जाय। मैं खुद भी जब वहां गयी थी तो मास्टरों ने मुझे घेरा था और यह शिकायत की थी कि उनको महीनों से वेतन नहीं मिला था। तो उसके लिये भी कोई रास्ता निकालना था। उसका रास्ता तभी निकल सकता था जब उनको वहां से हटाते, लेकिन उनको वहां से हटाना बड़ा मुश्किल था। हमने उस जिला परिषद् को फिर अपने हाथ में लिया। एक आफिसर को वहां भेजा बड़ी मुश्किल से क्योंकि वह वहां जाना नहीं चाहते थे। वहां पर एकाऊन्ट्स में भी बड़ी धांधली थी, खैर उस सबको सुधारा गया, रुपया भी उन लोगों को देना पड़ा। हमने सोचा कि मास्टरों को कम से कम वेतन तो मिल जाय। उसमें बड़ी धांधली हुई थी। बड़ा करप्शन था। वह केस कोर्ट में भी चल रहा है। मुझे अफसोस यह है कि उसका चेयरमैन वहां के एक पुराने नेता परिवार का था। जियाउर्रहमान साहब ने बात कही, ठीक है, वह उनके मित्र थे, मगर यह स्थिति वहां की थी। उसके लिये बड़ा दबाव मेरे ऊपर डाला गया, कई किस्म का दबाव डाला गया कि जो अधिकारी हमने भेजा था उसका ट्रांसफर कर दिया जाय। उसका काम अच्छा था, उसने वहां जाकर काफी उसको संभाला था। मैंने कहा यह नहीं

किया जायगा, हो सकता है मेरी राय गलत हो, मगर उसने वहां जाकर मुश्किल परिस्थिति को संभाला था। अब उसके बाद यह उनकी तकरीर हो, तो बड़ी मुश्किल है। अच्छा होता अगर वे ऐसी बातें न करते। अगर अफसर खराब है तो जरूर जायगा। लेकिन अगर वह मुश्किल परिस्थिति में एक मुश्किल काम को करे और उसे नाजायज दबाया जाय, तो इससे क्या सुधार हो सकता है? यह एक केस इन प्वाइंट है। उस अफसर की कोई छोटी-मोटी उलती हो सकती है लेकिन जिस विकट हालतों में उसने काम लिया है वह मुश्किल था, उसने वहा की सिचुएशन को संभाला है। मेरे पास बहुत से केस आते हैं, जिनमें एक पार्टी कहती है कि यह अफसर खराब है, इसे ट्रांसफर किया जाय और दूसरी पार्टी आकर कहती है कि यह दूध का धोया है, इसे न हटाया जाय। लेकिन मेरी अक्ल में जो सही मालूम होता है वह मैं करता हूं। ब्यूरोक्रेसी तभी बेईमानी नहीं कर सकेगी जबकि हम लोग उन्हें ठीक ढंग से काम करने देंगे। अपोजीशन वाले यह कहें कि उनका काम नहीं होता है। लेकिन मैं तो उनसे थोड़ा-सा डरती भी हूं और कोशिश करती हूं कि उनका काम पहले हो जाय ताकि वे नाराज न हों।

कुछ लोग यह भी शिकायत करते हैं कि हम अपोजीशन वाले की कन्स्टीट्यूएंसी में क्यों चले गये। कोई भी जगह चीफ मिनिस्टर के लिये या किसी मिनिस्टर के लिये आउट आफ बाउन्ड्स नहीं होती। सारा उत्तर प्रदेश हमारी कन्स्टीट्युएंसी है। हम सारे प्रदेश में घूमेंगे चाहे वहां से अपोजीशन का मेंबर चुनकर आवे या हमारी पार्टी का चुनकर आवे। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कोई पार्टी नहीं है। वहां के लोगों का दुख-सुख हमें देखना है। ब्यूरोक्रेसी भी देखनी है कि अगर सवार इधर-उधर खिसकता है तो वह भी मनमानी करते हैं। तो आप लोग इसमें हमारी मदद कीजिये।

एक साहब ने अभी मुझे सलाह दी कि एम० एल० एज० को एग्जीक्यूटिव अथारिटी दी जाय और उनका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पर कैसा हो, यह पूछा। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में विधायकों का कंट्रोल रकजिस्लेचर के मारफत होता है। हम आपके सामने जवाबदेह हैं। आप हमको डांट सकते हैं, मगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमारे मार्फत ही जाना होगा। अगर यह पावर लेजिस्लेटर्स को दे दी जाय तो वह सारा स्ट्रक्चर ही बेमानी हो जायगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को सही और एफीशेंट बनाने के लिये सरकारी रूल्स और रेग्यूलेशन्स भी होते हैं। अगर वे नहीं माने जाते हैं तो गड़बड़ी होती है। कानूनों में कहीं कहीं परिवर्तन करने की भी जरूरत होती है।

तनख्वाहों के बारे में बहुत-सी बातें कही गयीं। यह भी कहा गया कि १०० और १,००० के दायरे में तनख्वाह होनी चाहिये। अगर यह हो जाय तो बड़ी अच्छी बात है, मुझ से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। मगर उत्तर प्रदेश भारत से अलग नहीं है। सारी जगह एक ढंग से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तनख्वाहें बल्कि बहुत जगहों से कम ही हैं। इसका नतीजा यह है कि हमारे अच्छे आफिसरों के लिये बुलावा दिल्ली से आ जाता है। वहां वे आना नहीं चाहते हैं। अगर सारी सर्विसेज में एक सामंजस्य न रहे और यूनीलेटरल तरीके से कोई स्टेट काम कर ले, तो यह हो नहीं सकता है। अगर कुछ हम लोगों की हालत सुधरे तो यह फर्क तनख्वाहों में कम हो सकता है।

स्पेशल पे के लिये बहुत से लोगों ने कहा। यूनीलेटरली कोई स्टेट इसमें कुछ नहीं कर सकती। इसके आल-इंडिया रीपरकशन्स होते हैं। स्पेशल पे दी जाती है खास कारणों से। Specially arduous nature of duties; specific addition to the work or responsibilities; unhealthiness of the locality in which the work is per-formed. इन तीन कारणों से स्पेशल पे दी जाती है। एक हाई पावर कमेटी १९५९ में बैठी और उसकी रिकमेन्डेशन १९६१ में स्वीकार की गई, जहां उन्होंने सारी बातें बतलाई कि किन ढगों से स्पेशल

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

पे दी जाती है । आई० ए० एस० आल इंडिया सर्विस है । उसके आल इंडिया रूल्स हैं, जिनके अनुसार हमें देना पड़ता है । हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं । अगर कहीं स्पेशल पे नाजायज ढंग से मिल रही है तो उसे हम देख लेंगे ।

डी० ए० के बारे में कुछ लोगों ने खेद प्रकट किया कि नीचे वालों को कम दिया गया और ऊपर वालों को ज्यादा दिया गया । नीचे वालों को जरूर हम कुछ और दे देते अगर दे सकते तो । इसी से ४ करोड़ ज्यादा हो गया और ११ करोड़ का बजट में डेफिसिट है । ऊपर वालों के लिये आप लोगों ने दुख जाहिर किया । इस पे स्केल में हमारे इंजीनियर्स, डाक्टर्स और टेक्निकल आफसर्स आते हैं । इंजीनियर्स को यू० पी० सर्विस में रखना मुश्किल है । मैं जब लेबर डिपार्टमेंट में थी, तो जहां हमें प्रिंसिपल के पद के लिये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिये, वहां हमने इंजीनियर न मिलने के कारण फोरमैन से काम लिया, चूंकि थोड़ी तनख्वाह में कोई इंजीनियर आने के लिये तैयार नहीं था । ऐसी ही डाक्टरों की बात है । डाक्टरों को २, ३ बार गुप्ता जी के समय में तनख्वाह बढ़ी उसके बावजूद भी डाक्टर नहीं आते हैं । इसलिये हम चाहते हैं कि उन्हें भी थोड़ी मंहगाई दी जाय । दिल्ली में १,००० रुपये तक मंहगाई है । तो सारी हालत देखकर हम लोगों ने उन्हें डी० ए० देना मंजूर किया है ।

नवलकिशोर जी ने और कितने ही लोगों ने कहा कि कमिश्नरों को हटा दिया जाय । अगर उनकी जरूरत नहीं है तो जरूर हटा देंगे । उनको हटाने की पिछले सालों में कोशिश भी की गई । १९४७ में यह सोचा कि कमिश्नर्स को रूटीन काम से हटा दिया जाय, जुडिशल काम से हटा दिया जाय और इनकी तादाद कम कर दी जाय । ३, ४ कमिश्नरों की जगह १ कमिश्नर रखा गया । मगर १९५२, ५४, ५५ और ५७ में धीरे-धीरे फिर अलग-अलग कमिश्नरी में कमिश्नरों को रखा गया । उनका काम क्या है ? हमारा प्रान्त बड़ा भारी प्रान्त है । इसमें ३।। साल में भी मैं सब जगह नहीं पहुंच पाई हूं गोकि मैं अपने आपको काफी परिश्रमी मानती हूं । हमारे प्रान्त में अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग परिस्थितियां हैं । कमिश्नर एक नान-डिपार्टमेन्टल अफसर हैं । वह सारे महकमों के काम पर निगरानी रखता है । विकास के काम में हम उसे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी देना चाहते हैं । कोआर्डिनेशन की कमी की वजह से काम ठीक नहीं हो पाता है, उसे उससे पूरा कराना चाहते हैं । इन दिनों में कई कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आईं । ईस्ट बंगाल में, ईस्ट पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से और कलकत्ता में जो कम्युनल टेंशन हुआ, उससे । होली के समय जो हमें खतरा रहा और खाने की कमी होने की वजह से जो खतरा रहा, उनमें हमने इनसे काफी काम लिया । हमने हर कमिश्नर को हिदायत भेजी कि वे अपने-अपने इलाकों के लिये जिम्मेदार हैं और दूकानों का काम देखें । इसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । इस समय का हमारा तजुर्बा है कि हम कमिश्नरों को हटाना नहीं चाहते है । जनरल सुपरविजन के लिये, नान-डिपार्टमेन्टल आउटलुक लाने के लिये, कोआर्डिनेशन के लिये और विकास के काम को अच्छी तरह से चलाने के लिये कमिश्नरों की आज मैं जरूरत समझती हूं । हमारे ऊपर बहुत से आफीसर्स के बढ़ाने का भी इल्जाम लगाया गया । भाई नवलकिशोर जी ने कहा कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के बावजूद भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर रख दिया गया है, आदि कई बातें कहीं गयीं । तीन आफिसर्स पूर्व में भी थे——चीफ सेक्रेटरी, विकास आयुक्त और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी । चीफ सेक्रेटरी अपनी जगह पर है, विकास आयुक्त को प्लानिंग सेक्रेटरी और कुछ और डेजिगनेशन कर दिया है और एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर प्लस सेक्रेटरी एक है । इस तरह कोई आफिसर बढ़ा नहीं है । हम प्रशासन में जो परिवर्तन करना चाहते हैं वह अभी खत्म नहीं हुआ है । हमारी यह कोशिश रहेगी कि ऐसा परिवर्तन हम करें जिससे धीरे धीरे एकोनामी हो ।

मिनिस्टरों के पास स्टेनोग्राफर बढ़ने के बारे में कहा गया । उनके पास काम बढ़ गया है । लेकिन मैंने अपना एक स्टेनोग्राफर कम कर दिया है । दूसरे मिनिस्टरों के लिये बढ़ा दिया है क्योंकि उन्होंने उसकी जरूरत बतायी । उन्होंने कहा कि एक-एक मिनिस्टर को कई

कई विभाग संभालने पड़ रहे हैं, इसलिये काम बढ़ा हुआ है । मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वे भी एक एक स्टेनोग्राफर कम कर देंगे । मिसाल के तौर पर मैंने अपना एक स्टेनोग्राफर कम कर दिया है ।

पिटीशन आफिसर के बारे में कहा गया कि उसको क्यों रखा गया है । बदकिस्मती यह है कि वह पिछले दिनों से मेम्बरों का टारगेट आफ अटेंशन बना हुआ है वह मेरे साथ रहता है सुबह को मैं एक घंटा इन्टरव्यू देती हूं, कभी उससे कम ही दे पाती हूं लेकिन पिटीशन आफिसर को २–३ घंटे वहां लगते हैं । सब पिटीशन्स को समझता समझाता है । एक हजार के करीब पिटीशन्स आती हैं उनको एनेलाइज करता है । उन सब को देखना, उनका उत्तर देना, यह सब इतना बड़ा काम वह करता है । मेरे विचार से उसके पास वर्क लोड काफी है। दिल्ली में विजिलेंस कमीशन की मीटिंग में दो-तीन बातें कही गयीं । एक तो यही कि वह करप्शन को दूर करे और दूसरा इस तरफ भी ध्यान दिलाया गया कि पब्लिक के लोग जो रिप्रेजेन्टेशन भेजते हैं उनका ठीक तौर से निबटारा करने के लिये एक आर्गेनाईजेशन बनाया जाय । तो वही काम हमारा इसके द्वारा होता है । साल भर में करीब ३ लाख के पिटीशन्स आती हैं । इसलिये यह कहना कि पिटीशन आफिसर के पास काम की कमी है, यह बात गलत है ।

सुपरिटेन्डेन्ट्स के बढ़ाये जाने की समालोचना हुई । यह देखा गया कि जो मौजूदा सुपरिन्टेडेन्ट्स हैं वे पूरी तरह से निगरानी नहीं कर सकते इसलिये कुछ छोटे यूनिट्स होने चाहिये । पहले ७ ड्राफ्टर्स पर एक सुपरिटेन्डेन्ट था जो रिआर्गेनाइजेशन में ५ आदमियों पर कर दिया गया । अगर हमें यह मालूम हुआ कि ज्यादा हैं तो उसको भी देख लेंगे । सेन्ट्रल गवर्नमेंट में ४ के ऊपर एक है । हमारा लक्ष्य एफीशियेन्सी प्लस एकोनामी है । एफीशियेन्सी के लाने में ऐसे कदम उठाये जा सकते हैं कि कहीं आफीसर कम हो जायं और कहीं बढ़ जायं, मगर हमारा आब्जेक्ट एकोनामी लाने का रहेगा ।

कुछ न्यूज आफीसर्स के बारे में चर्चा की गई जो मिनिस्टर के साथ रहते हैं । इन्फारमेशन विभाग का जो ढांचा है और उसमें जो काम होता है उसको देखने के लिये २–३ महीने उसको मैंने अपने पास रखा और सोचा यह था कि उसमें कुछ सुधार करूंगी, लेकिन मुझे इसकी फुरसत न मिली, दूसरे कामो में उलझों रही । मुझे ऐसा लगता है कि इन्फारमेशन डिपार्टमेंट को जो काम करना चाहिये वह नहीं कर पाता है । उसमें मैं कुछ सुधार करना चाहती हूं । एक-एक न्यूज आफीसर एक-एक मिनिस्टर के साथ अटैच्ड रहता है और वह इसलिये कि वह डिपार्टमेंट में जाय और वहां से खबरें ले, लेकिन वह उस काम को कर नहीं पाते हैं । कुछ ट्रेनिंग का अभाव मालूम पड़ता है । इसलिये अगर उसके लिये ट्रेन्ड आदमी होंगे, अगर उनको यह मालूम होगा कि न्यूज कैसे ली जायं और उन पर क्या एक्शन लिया जाय तो इसक एफीशियेन्टली किया जा सकता है । इस तरह इस डिपार्टमेंट में भी मैं कुछ सुधार करने की उम्मीद रखती हूं ।

करप्शन के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई । करप्शन के बारे में बहुत से लोगों ने कहा और मैं आप से कहूं कि करप्शन नहीं है तो मैं बिलकुल झूठी कही जाऊंगी । इसलिये मैं ऐसा नहीं कहती कि बिलकुल करप्शन नहीं है, करप्शन है यह बात सही है । लेकिन करप्शन रोकने के लिये गवर्नमेंट के पास कानून है कि कहीं कोई केस हो तो उसकी इनक्वारी की जाय, पकड़ने के लिये ट्रेप रखा जाय, करप्शन के केस क हायर प्रायरिटी दी जाय, और कोई आफिसर अपने लिमिटेड स्टैंडर्ड से ऊपर रहे तो उस आफिसर पर निगाह, उसकी इन्टेग्रिटी सर्टिफिकेट विदहेल्ड कर ली जाय और यदि दो बार वह रुक जाये, रखी जाय तो इनक्वारी की जाय और उसके केस को ट्रिब्यूनल में रखा जाय । ऐसे कानून में हमारे यहां ये सारी बातें रखी गयी हैं और काम भी काफी होता है, लेकिन उसका जो नतीजा निकलना चाहिये शायद उतना नहीं निकलता है । करप्शन को सम्भालने के लिये तो कानून हैं, सर्विस के रूल्स रेगुलेशन बने हुये हैं, उसके अन्तर्गत बहुत से लोग सजा भी पाते हैं, मगर उसे नाकाफी समझा जाता है । इसीलिये हर डिस्ट्रिक्ट में ऐंटी-करप्शन कमेटी बना रखी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जिले की जो ऐंटी करप्शन कमेटी बनी हैं उनकी कोई बैठक ही नहीं होती।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अगर बैठक नहीं बुलवायी जाती है तो आप लोग जो मेम्बर हैं उस कमेटी के, जाकर कमेटी के चेयरमन से मीटिंग बुलाने के लिये कहिये। अगर कमेटी के मेम्बर लोग ही सोये रहेंगे तो उन्हें कोई जगा नहीं सकेगा। उनके अधिकार में है कि जो भी केस आवे उसे ऐंटी-करप्शन कमेटी के सामने रखें और उसके सम्बन्ध में जो भी इन्क्वायरी हो उसकी रिपोर्ट कमेटी के सामने रखने के लिये आफिसर को हिदायत करें। अगर मेम्बर लोग दबंग हो जायं और अपने काम में चौकन्ने हो जायं तो करप्शन दूर हो सकता है और ऐंटी-करप्शन कमेटी की बैठक बुलायी जा सकती है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

कोई सुनता ही नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मेरा खयाल है कि अगर आप लोग चौकन्ने हो जायं और कमेटी के मेम्बर जाकर चेयरमैन को मीटिंग बुलाने के लिये हिदायत करें तो वह अवश्य मीटिंग बुलायेंगे। आपको अधिकार है कि जब कोई करप्शन का केस आपकी निगाह में आवे तो उसे आप कमेटी के सामने रखें और आफिसर को हिदायत करें कि वह इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कमेटी के सामने रखे। अगर आप दबंग होकर इसके लिये सक्रिय कदम उठावें तो करप्शन भी दूर हो सकता है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

उस कमेटी को कोई पावर ही नहीं है। वह तो इम्पोटेंट बाडी है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अगर रूल्स में कुछ रद्दोबदल करने की जरूरत है तो उसे हम करने के लिये तैयार हैं।

श्री उग्रसेन--

जब तक नियमों में रद्दोबदल नहीं होता वहां बैठना हमारी शान के खिलाफ है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

हमारे लिखने पर ६-६ महीने तक कोई जवाब ही नहीं आता है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अगर कानून में कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उसमें सुधार करने के लिये हम तैयार हैं। अब विजिलेंस कमेटी के बारे में बहुत-सी बातें कही गयीं और उसके प्रति मन में शंका प्रकट की गयी। मुझे खेद है कि चीफ सेक्रेटरी ने जो प्रेस इंटरव्यू दिया है वह ऐसे ढंग से निकला है कि सारी बातें साफ नहीं हैं। विजिलेंस कमेटी के दो अंग हैं। एक तो है इन्वेस्टिगेशन का, जो डी०आई०जी० के अन्तर्गत होगा; और दूसरा है ट्रायल का, जिसमें एक जज रहेगा और एक बोर्ड आफ रेवेन्यू का मेम्बर रहेगा। यह कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी में डी० आई० जी० के रखने की क्या जरूरत है। मैं आप को बतलाऊं कि दिल्ली में जो विजिलेंस कमीशन बना है उससे इस अंश में हमारी कमेटी बेटर है। दिल्ली के विजिलेंस कमीशन में इन्वेस्टिगेशन कमेटी का कोई स्थान नहीं है, वहां तो इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल इन्टेलिजेंस ब्यूरो ही करेगा जबकि हमारे यहां इन्वेस्टिगेशन कमेटी का इस सिलसिले में पूरा कंट्रोल रहेगा और कोई क्राइम उसके सामने आये तो वह जरूर उसका नोटिस ले सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर तहकीकात करने के लिये रूल्स बन रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में क्लीयरली नहीं बता सकती क्योंकि अभी वह बन रहे हैं, हम बाकायदे उस बाडी को आरगेनाइज करना चाहते हैं, हम कोई निखट्टू या कमजोर बाडी बनाना नहीं चाहते, हमने उसमें जज को रखने का प्राविधान किया है, उनकी जूडीशियल केपेसिटी यहां आने पर कोई समाप्त नहीं हो जायगी। मुझे आशा है कि वह बाडी इंडिपेंडेंटली और खासे अच्छे ढंग से काम करेगा और अगर किसी भी समय आगे चल कर

हमें पता चलेगा कि उसका काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है तो उसमें आवश्यकता के मुताबिक परिवर्तन लाने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब तक अभी रूल्स नहीं बने हैं तब तक उसकी तस्वीर को मैं साफ तौर से आप के सामने नहीं रख सकूंगी। कहा गया कि विजिलेंस कमेटी...

श्री काशीनाथ मिश्र—

सेट-अप का सवाल है और सारा सेट-अप ही इतना सड़ा है कि वह इनएफेक्टिव हो गया है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनकी राय में तो सब कुछ सड़ा हुआ ही है, उनको हर चीज से बू ही आती है तो हम क्या करें? मंत्रियों के बारे में कहा गया कि वह उसके परव्यू में क्यों नहीं आते। इस विषय में नन्दा जी स्वयं ही देख रहे हैं और मंत्रियों के खिलाफ जो शिकायतें होंगी उन की जांच के बारे में अभी प्रश्न विचार में है, लेकिन यह कमेटी मंत्रियों के लिये नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है कि आल इंडिया सर्विसेज वाले इस विजिलेंस कमेटी के परव्यू में नहीं आयेंगे। उनके मामलों को यह समिति भी देखेगी और सेन्ट्रल बाडी भी देखेगा।

मुझे खेद है कि इन दिनों में मंत्रियों के बारे में बहुत-सी बातें कही गईं और इस ढंग से कही गई कि उनकी आलोचना से यह नहीं मालूम होता था कि उनके दिल में कोई आग करप्शन को दूर करने के लिये है, बल्कि इस तरह से कही गईं कि किस तरह से हम किसी की इज्जत उतार लें। अगर यही खयाल हो कि एक फोरम में बढ़िया ढंग से भाषण हो जाय, अखबार में वह छप जाय, हमारी इज्जत हो तो उससे आपका या किसी का उद्देश्य सफल नहीं होगा। मैं बड़े दुःख के साथ अपना तजुर्बा बताती हूं। यहां कुछ कहा गया, मंत्री जी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन शिकायत की गई। इस पर मैंने मेम्बर साहब को चिट्ठी लिख दी कि जो स्पेसिफिक बातें हों वह मुझे लिखें। जो उन्होंने कहा था वह वेग था लेकिन उनका जवाब आने के बजाय पहले अखबार में आ गया। अखबार के भाइयों को मैं क्या कहूं, उनसे तो कहना मैंने छोड़ ही दिया है। मैं कुछ कहूं भी तो वह उल्टा ही निकाल देते हैं, इसलिये मैं तो अब तटस्थ हो गई हूं। तो उन की उल्टी चिट्ठी आ गई कि मैं ही बदमाश हूं। फिर मैंने दोबारा उनको बड़े अदब के साथ दूसरी चिट्ठी लिखी कि जो फेक्चुअल इन्फार्मेशन उनके पास हों वह भेजें तो वह बहुत कोआपरेट करेंगे और इस मामले की खोज में आप बहुत सहायक होंगे। उसके जवाब में भी जो उन्होंने लिखा उसमें भी जो फैक्ट्स थे उनको वह हज्म कर गये। इसलिये अगर मेम्बरान सचमुच चाहते हैं कि करप्शन हाईएस्ट क्वार्टर्स से निकल जाय तो स्पेसिफिक और फैक्चुअल इन्फार्मेशन पूरे तरीके पर हमारे पास आना चाहिये। हम उस पर जांच करायेंगे, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। आज शिकायत हुई और कल ही पूछें कि क्या किया तो हम तो इतनी जल्दी में जिम्मेदारी के साथ कोई जवाब नहीं दे सकते। मेरी भी शिकायत नंदा जी से की गई, हालांकि मुझे उसकी कोई चिन्ता नहीं है और मैं किसी से डरती भी नहीं हूं। हम अपने ढंग पर हर मामले की जांच स्वयं करते हैं या सी० आई० डी० से कराते हैं। उसका नतीजा उल्टा-सीधा आज ही आ जाय यह कोई अक्ल की बात नहीं है। जो फैक्ट्स दिये जाते हैं उनके बारे में फेक्चुअल इन्फार्मेशन पर इन्क्वायरी होती है, लेकिन सदन में लच्छेदार बात कह दी जाय उस पर जांच हो जाय इससे काम नहीं चलता। मैं आप को बता दूं कि ऊपर से करप्शन के बारे में इधर सेण्टर में भी बहुत जागरूकता आ गई है, हम किसी के सच्चे आरोपों को दबायें या छिपायें तो हमारी गर्दन बच जायगी ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूं मेरी मंशा भी नहीं है, अगर कोई गलत काम किया है तो मैं नहीं बचाना चाहती। इसलिये मैं कहूंगी कि पब्लिक लाइफ को मिस मेयो की "ड्रेन इन्सपेक्टर रिपोर्ट" न बनाइये। जो बात बतायें जिम्मेदारी से बतायें और हम उसको जिम्मेदारी से करेंगे।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

ऐक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सेपरेशन के बारे में कुछ मेम्बरों ने कहा । इस विषय में यू० पी० में १९४९ से काम हो रहा है, उसके बाद १९५०, १९५८, १९६०–१९६२ में कुछ जिलों में धीरे-धीरे सेपरेशन हुआ है । इसमें यह है कि डी० एम० को जुडिशियल काम से हटा दिया गया है । जुडिशियल अफसर जिम्मेदार है कमिश्नर के सामने थ्रू ए०डी०एम० (जे) और उनके जो फैसले होते हैं उनकी स्क्रूटिनी हाई कोर्ट करता है । इस तरीके से सेपरेशन किया है । तीन पहाड़ी जिलों को छोड़ कर सब जिलों में यह स्ट्रक्चर है । चलने के बाद अगर कुछ और सुधार की जरूरत समझी जायगी तो सोचा जायगा । इस वक्त इन जुडिशियल अफसरों को हाई कोर्ट के अधीन करने का इरादा नहीं है ।

हिन्दी के बारे में कहा गया कि उसका प्रचार नहीं हो रहा है । १९५१ में आफिशियल लैंगुएज ऐक्ट पास हुआ और १९६० में जी० ओ० इश्यू हुए हैं सारे हेड्स आफ डिपार्टमेंट को । लेजिस्लेचर का सारा काम हिन्दी में होता ही है । कई स्टेट्स से हमारा हिन्दी में ऐग्रीमेंट हुआ है अपने सेक्रेटेरियेट में हिन्दी में शिक्षा देने के लिये शार्ट हैन्ड और टाइपराइटिंग की क्लासेज चलती हैं, अच्छे काम के लिये एवार्ड्स दिये जाते हैं जिनकी नोटिंग-ड्राफ्टिंग अच्छी होती है । फिर एक लेक्सीकन कमेटी है जो हिन्दी के शब्दों को एकत्रित कर रही है । यह बात सही है कि और ज्यादा हिन्दी में काम होना चाहिये और मैं आशा करती हूं कि धीरे-धीरे वह होगा । मगर यह कहना कि हिन्दी को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है यह गलत है ।

श्री उग्रसेन—

राज्यपाल से अंग्रेजी पढ़वायेंगी तो कैसे प्रचार होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं माननीय उग्रसेन की इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि अगर कभी सोशलिस्ट पार्टी का राज्य आया और माननीय उग्रसेन जी तामिलनाड के गवर्नर बनाये गये तो उनको वहां की भाषा सीखने में उस उम्र में दिक्कत पड़ेगी । तो इतनी टौलरेंस गवर्नर के प्रति दिखानी चाहिये । अगर नहीं दिखाते तो अच्छी बात नहीं है ।

एक बात का मुझे दुख है और वह यह कि बहुत सख्त शब्द आई० जी० के बारे में कहे गये । ऐसे शब्द किसी अफसर का नाम लेकर कहना ठीक नहीं है । आप अपनी शिकायत मुझे बतायें । यह कहना कि जब तक यह आई० जी० है तब तक काम नहीं होगा, यह कह कर हम अफसरों से अच्छा काम नहीं ले सकते हैं । कहा गया कि उनके नेफ्यू को डी० आई० जी० बनाया गया । मैं बताऊं कि यह केवल टेम्पोरेरी लोकल अरेन्जमेंट है । इस पर इतनी बड़ी बात करना, मेरी राय में सही नहीं है क्योंकि अगर इस तरह से हम अफसरों पर आक्रमण करें तो सरकार ठीक ढंग से नहीं चल सकती । यह बात सही है कि अगर अफसर गलत कार्य करें तो उसके ऊपर सख्ती की जाय, उसको सजा दी जाय, मगर समय-बे-समय सारे वक्त अगर अफसरों के ऊपर आक्रमण चलता रहे तो जो काम हम उनसे लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते हैं । अगर एक सस्पीशन का एटमौस्फियर हो तो उससे काम नहीं चल सकता है । इसलिए अफसरों से काम लेने का दूसरा तरीका होना चाहिए । मैं चाहती हूं कि ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट न करे । हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन न रहे, मैं चाहती हूं कि एकोनोमी हो और एफिशियेन्सी बढ़े, पर यह सब काम हम तभी कर सकते हैं जबकि जो हमारे अफसर हैं, जिनके द्वारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वे लोग ऐसे ढंग अख्तियार करें कि उनको हम लोगों से प्रेरणा मिले और हम उत्साह दें लोगों को ठीक ढंग से काम करने का । अगर ऐसा करने में आप भी हमारी मदद करें हम जरूर कुछ कर सकते हैं ।

हां, एक पर्सनल बात मुझे और कहनी है । श्री झारखंडे राय जी ने २–३ बातें कही हैं । मैं आउट आफ वैनिटी कह रही हूं । मुझे वास्तव में तजुर्बा नहीं है । कहा गया है कि पंडित पंत,

डा० सम्पूर्णानन्द और श्री चन्द्रभानु गुप्त किसी के मुकाबले में मुझे तजुर्बा नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। मैंने तो शुरू से ही सेवा की है और मैंने सोशल वर्क किया है तो इसे मैं मंजूर करूंगी कि मुझे शासन चलाने का तजुर्बा नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे मैं काम करती जाऊंगी तजुर्बा होता जायगा।

कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि डोमीनेशन आफ पार्टी से दबी हुई हूं। यह तो बहुत चिल्लाया गया है। मेरी राय में इसको अगर कम किया जाय तो ज्यादा अच्छा है। इसका ढिंढोरा अगर कम पीटा जाय तो ज्यादा अच्छा है। जब मैंने चीफ सेक्रेटरी श्री दास को रखा तो यह आवाज उठायी गयी कि श्रीमती सुचेता कृपालानी भी बंगाली हैं और उन्होंने श्री दास बंगाली को रखा है। वैसे तो दास बंगाल में हैं, यू० पी० में हैं, पंजाब में हैं, और दिल्ली में भी हैं, लेकिन खुशकिस्मती है कि श्री दास साहब बंगाली नहीं हैं। मैं ऐसे वातावरण में पली हूं जहां जाति-पांति का सवाल नहीं रहा। मेरी जिन्दगी से नहीं, हम ऐसे धर्म में, सम्प्रदाय को बिलांग करते हैं जिन्होंने तीन जैनेरेशन से जाति पांति छोड़ी हुई है। जवाहरलालजी ने मुझ से एक बार मजाक में पूछा "By the way what is your Caste ?" तो मैंने कहा, मेरी कोई कास्ट नहीं है। बंगाली उत्तर प्रदेश में बहुत कम हैं। मैं बंगाल में पैदा जरूर हुई हूं, लेकिन अगर बंगाली से ही प्रेम होता तो बंगाली से शादी क्यों न करती?

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। जैसा माननीया मुख्य मंत्री ने कहा, मैं निवेदन कर दूं कि मैंने जो कुछ कहा था मेरा किसी के प्रति दुर्भाव नहीं था। मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूं कि मैंने उनको पत्र लिखा और नन्दा जी को भी लिखा। आपकी सी० आई० डी० ने मेरे से सवाल किये, उसके बाद मेरे पास पत्र आ जाता है कि फैक्ट्स बताये जायं। उस समय मेरे सामने केवल यही रह जाता है कि मैं कहूं कि क्या आपको यह भी मालूम नहीं। आप आर्डर दे रहे है, आप जांच करा रहे हैं और आपको यह मालूम नहीं। जब मैंने स्टेटमेंट दिया और जब एक एफ० आई० आर० नन्दा जी के पास भेजी तो नहीं मालूम मुझसे आप कौन-सी फैक्ट्स चाहते हैं। अब भी मैं कहता हूं कि अगर कोई कमी बाकी हो तो मुझे बुला कर पूछ लिया जावे। मैं सुचेता जी से यह बतलाना चाहता हूं कि अभी मेरे पास ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें आपके पास पेश करूंगा तो आप कहेंगी कि मेरे मन में किसी तरह को बात नहीं है। मैंने दूसरा पत्र भी लिखा था। प्रेस वाले, आपके घर में क्या होता है इसको सुनते हैं, तो मैं क्या जानूं ? मैं आज भी कहता हूं कि इस केस की जांच कराई जाय।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि दिल में अरमान कुछ भी न रहे। जो भी हों फैक्ट आपके पास, वह दे दें।

श्री जियाउर्रहमान—

मेरी जात के मुताल्लिक मुख्य मंत्री ने बात कही है, मैं एक मिनट में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री सख्त गलतफहमी की शिकार हैं। जो बात उन्होंने कहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मुताल्लिक उस समय वह मुख्य मंत्री भी नहीं थीं, चन्द्र भानु गुप्त मुख्य मंत्री थे। मैंने उनसे ट्रांसफर के बारे में नहीं कहा था। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बदउनवानियों की शिकायत करके जांच की मांग की थी और ट्रांसफर की कोई बात नहीं की थी। उस वक्त श्री बाल गंगाधर जी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी। यह कहना गलत है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मेरी नाराजगी श्री बाल गंगाधर जी की वजह से है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—

विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,१९,१२,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५ नियोजन और समन्वय

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १४,५८,२९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आपकी कृपा से और माननीय सदस्यों की कृपा से इस नियोजन तथा सामुदायिक विकास का बजट मुझे पेश करने का सुअवसर मिला।

कब्ल इसके कि मैं कुछ सामुदायिक विकास के बारे में कहूं, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि कुछ थोड़ा-सा जिक्र नियोजन के बारे में करूं। थोड़े से जिक्र से पिछले ३ सालों की पृष्ठभूमि का ज्ञान माननीय सदस्यों को हो जायगा और उससे चीजों के समझने में भी सहूलियत होगी। हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है। आबादी यहां बहुत घनी है और परकैपिटा जमीन की औसत बहुत ही कम है। यह भी हम और आप सब जानते हैं कि खेती बहुत कुछ निर्भर है प्रकृति की दया पर। आप चाहें कितना ही पानी का इन्तजाम करें, खाद का इन्तजाम करें और चीजों का इन्तजाम करें, लेकिन आप इसका इन्तजाम नहीं कर सकते कि कब हवा तेज चले या नहीं ओले न गिरे इत्यादि। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत बातें हो रही हैं, जरा शांत रहिये।

श्री राममूर्ति—

इस प्रकार की बाधाओं से कोई हिफाजत नहीं की जा सकती। इस माने में यह जो साल गुजरा है यह अच्छा नहीं रहा। पिछले अक्तूबर में जब बारिश की जरूरत थी तो बारिश नहीं हुई और फिर जाड़ों के मौसम में भी कतई बारिश नहीं हुई। अनावृष्टि तो थी ही, साथ-साथ शीत लहरी अबकी ऐसी आयी जिससे हमारे सारे प्रदेश में खेती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। तो कई मानों में हमारे प्रदेश के लिये यह पिछला साल अच्छा नहीं रहा खेती को बड़ी क्षति हुई। इस प्रदेश में लगभग ८० प्रतिशत लोगों के पास जीविकोपार्जन का साधन सिवाय खेती के और कुछ नहीं है। यह भी उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती है कि हमारे मिनरल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे नहीं। तो हर हालत में हमें खेती पर ही आश्रित होना है इसलिये हमारा पूरा ध्यान इस तरफ जाना चाहिये और इसको खास कर ध्यान में रखा भी गया है।

उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर देखा जाय तो सारा भारतवर्ष खेतिहर देश है और केंद्रीय सरकार के जरिये से तीसरी योजना में इस बात की बड़ी कोशिश की गयी है और खासी बड़ी रकम इस बात के लिये दी गयी है जिससे हमारी खेती अच्छी हो और गल्ले की पैदावार बढ़े। करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से आता है, उस कमी को भी दूर किया जाय।

आप देखेंगे कि तीसरी प्लान के अन्दर बहुत बड़ी रकम इस काम के लिये दी गयी है। हमारे प्रदेश का प्लान करीब पांच सौ करोड़ रुपये का है और उसमें बेसिक फैक्टर्स हमारे हैं सिंचाई, विद्युत, इंडस्ट्रीज, कम्यूनिकेशन और टेक्निकल एजूकेशन। इनमें रुपये का बहुत बड़ा हिस्सा रखा गया है। आप फीगर्स देखें, इन पिछले तीन सालों में करीब २४४ करोड़ रुपया खर्च हुआ है जो प्लान का ४९ परसेंट है और इस २४४ करोड़ ९६ लाख रुपये में ६१ करोड़ १४ लाख रुपये सोशल सर्विसेज में खर्च हुये और बाकी सारा रुपया ऐग्रीकल्चर, कोआपरेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायत राज, इर्रीगेशन, पावर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में खर्च हुए और आपको इस बात से खुशी होनी चाहिये कि हम जब सारे भारतवर्ष का नक्शा देखते हैं तो इसमें इन तीन सालों के अन्दर हमारे प्रदेश का कार्य बहुत अच्छा है। मैं आपको एक-एक आइटम बतलाता हूं। ऐग्रीकल्चर में हमारे प्रदेश में ८५ करोड़ ८२ लाख रुपये रखे गये हैं जिसमें इन तीन सालों में ४८ करोड़ ७३ लाख रुपये खर्च हुये, यानी ५६.४ परसेंट। सारे भारत का परसेंटेज है ५३.६। कोआपरेशन ऐंड कम्युनिटी डेवलपमेंट और पंचायत राज में ६५ करोड़ ८३ लाख के खिलाफ ३२ करोड़ ६३ लाख खर्च किया, यानी ५० परसेंट है और भारतवर्ष में ५०.६ परसेंट है। इर्रीगेशन और पावर में १६५ करोड़ ७ लाख के खिलाफ ७५ करोड़ ५२ लाख खर्च किया यानी ४६ परसेंट किया और भारतवर्ष का ५५ परसेंट है, इंडस्ट्रीज में २० करोड़ १७ लाख के खिलाफ १२ करोड़ ४ लाख खर्च किया यानी ६० परसेंट किया और भारत का ४९.८ परसेंट है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में १८ करोड़ १५ लाख के खिलाफ १४ करोड़ १९ लाख खर्च किया यानी ७७.७ परसेंट है और भारत में ५५.४९ परसेंट है। इससे मालूम होगा कि तुलनात्मक दृष्टि से हमारा काम काफी अच्छा रहा है।

कार्य की पूर्ति के बारे में भी जिक्र करूं। तीसरे साल को देखिये, हमने ९४.१७ करोड़ रुपया रखा था जिसके खिलाफ ९७ करोड़ ७३ लाख रुपये के खर्च होने की उम्मीद है। इसके माने यह हैं कि हमारा अगला कदम काफी अच्छा होगा। इस साल हमारे प्लान का आउटले १२२ करोड़ २२ लाख का है। इसमें चार पांच चीजों पर विशेष रूप से हमने कंसेंट्रेट किया है, जैस इर्रीगेशन, पावर, इंडस्ट्रीज, रोड्स और टेक्नीकल एजूकेशन। सोशल एजूकेशन में हम २६ परसेंट खर्च करेंगे और ७४ परसेंट इनमें खर्च करेंगे।

इसके साथ-साथ जब मैं सामुदायिक विकास के बारे में जिक्र करूंगा तो एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस समय तो सरसरी तौर पर बता रहा हूं। चूर्क सीमेंट फैक्टरी के पास एक और सीमेंट फैक्ट्री खोलने का इरादा है, स्पीनिंग ऐण्ड काटन मिल्स का एक्सपेंशन करना है, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री को बढ़ाना है और दो टेक्नीकल इंस्टीट्यूशन्स खोलना है। सोशल सर्विस में लड़कियों को पढ़ाना और प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोलना है। चौथा प्लान जो हमारा बनेगा उसके लिये हमने १ करोड़ २६ लाख रुपया अलग रखा है ताकि एडवांस ऐक्शन हो सकें। जैसे जमीन वगैरह का लेना है या सर्वे वगैरह का कार्य है, इसका काम शुरू कर दिया जाय और जब चौथे प्लान का काम शुरू हो तो काम आसानी से शुरू हो।

हमारे प्लान में पूर्वी जिलों की तरफ काफी ध्यान रखा गया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की एक कमेटी ने चार जिलों का दौरा किया था और उसने अहसास किया कि इन जिलों में ज्यादा काम होना चाहिये। हम भी चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में ज्यादा काम हो। हम ३,००० गांवों में बिजली लगाने वाले हैं और चाहते हैं कि पूर्वी जिलों में ज्यादा काम हो ताकि यहां की इकोनोमी जो पिछड़ गई है वह बाकी स्टेट के बराबर आ जाय।

[श्री राममूर्ति]

यह तो मोटे तरीके से योजना के बारे में मैंने आप से जिक्र किया । सामुदायिक विकास विभाग का जहां तक ताल्लुक है उस विभाग का संबंध मुख्यतया ग्रामीण जीवन से है । लगभग साढे छः करोड़ आदमी अपने सारे प्रदेश में रहते हैं और उनकी बड़ी समस्यायें हैं । जैसा मैं पहले कह चुका हूं जीवकोपार्जन का एक साधन खाली खेती है । बावजूद तमाम कोशिशों के अभी तक रूरल इंडस्ट्रीज में कोई खास कामयाबी नहीं हुई है । उस तरफ कदम उठाने की कोशिश की जा रही है । सामुदायिक विकास का जो माध्यम है, वह जिला परिषद्, क्षेत्र समिति और गांव सभायें हैं । यद्यपि इस तरफ अपने प्रदेश में जब से स्वराज्य हुआ सबसे पहले कदम उठाया गया और गांव सभायें यहां कायम हुईं, लेकिन वह काम कोई बड़ा संतोष-जनक नहीं था । सारे भारत के जब हालात देखे गये तो यह जरूरी समझा गया कि ज्यादा गहराई में जाकर चीजों को देखा जाय और उस खयाल को लेकर बलवन्तराय मेहता कमेटी बैठी । उसने सारे देश का दौरा किया और उसके बाद एक नया तरीका थ्री टायर सिस्टम निकाला गया । हमने इसके लिए एक कानून भी पेश किया और अब हमारे सारे प्रदेश में तीनों संस्थायें अपनी-अपनी जगह पर काम कर रही हैं । अपने प्रदेश और देश में इन संस्थाओं के बारे में अलग-अलग विचार हैं । कुछ लोग समझते हैं कि गांव सभा और क्षेत्र समितियों को बड़ी ताकत मिली चली जा रही है । उनके जरिये से काम बिगड़ रहा है । कुछ लोगों का खयाल है कि गांव सभाओं को और शक्तिशाली बनायें । यह जो ताकत दी गयी है यह बहुत नाकाफी है । उनकी आर्थिक दशा बहुत बिगड़ी हुई है और उसको भी बहुत अच्छा बनाना चाहिये । बहरहाल, इस वक्त जिस स्थिति में हम लोग हैं, उसमें हमारा खास माध्यम क्षेत्र समिति, और जिला परिषद है । यह जरूर इच्छा है कि हमारी गांव सभायें भी शक्तिशाली बनें, और पंचायत राज की जड़ें मजबूत हों ।

यह भी आपको विदित है कि ७२ हजार गांव सभायें हैं, ८७५ ब्लाक समितियां हैं, ५१ जिला परिषदें हैं । तीन जिले ऐसे भी हैं जहां पर इस किस्म के कोई इंस्टीट्यूशन कायम नहीं किये गये हैं स्पेशल रीजन्स की वजह से । हमारी इस बात की बराबर कोशिश रही है कि सामु-दायिक विकास को तमाम हमारे लोग जन-आन्दोलन की शकल में लें । जब तक इसको जन-आन्दोलन का रूप नहीं दिया जायगा उस वक्त तक इस काम की पूर्ति नहीं हो सकती । हमारा यह विशेष कार्य जनसमूह के जरिये से ही हो सकता है । ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी को ले लीजिये । एक बी०डी०ओ० है, पांच-छः ए०डी० ओज० हैं और दस ब्लाक विलेज लेविल वर्कर्स हैं । (व्यवधान) इनको फौज कहा जाता है । फौज न कहिये, बल्कि जरा-सी टुकड़ी है । (व्यवधान) सब मिलाकर साढ़े ६ करोड़ की आबादी भी हो जाती है । गौर कीजिये, ६०–७० हजार आदमी एक ब्लाक में रहते हैं । कहीं ज्यादा भी हैं, जो डेढ़ ब्लाक हैं । यह छोटी-सी जो टुकड़ी है यह कैरियर का काम दे सकती है, कि केवल खयालात को पहुंचा दे । बाकी यह उम्मीद की जाय कि यह लोग गांव-गांव खेत-खेत पर जायेंगे, तो वह मुश्किल काम है । वह तभी हो सकता है जब गांव के अन्दर इतने विलेज वर्कर्स तैयार हों । तब यह काम सुचारु रूप से चले । हम इसीलिये इस बात की कोशिश में हैं, विलेज लेविल वर्कर्स की दो साल की ट्रेनिंग है, ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर की छः महीने की ट्रेनिंग है, इस तरीके से हम तमाम अपने जितने कि जिला परिषदों के, ब्लाक समितियों के प्रधानों की, हल्का सरदारों की सबकी ट्रेनिंग का इन्तजाम साथ-साथ कर रहे हैं । २१ प्रशिक्षण क्षेत्र हैं सरकारी अफसरों के लिए और २६ क्षेत्र खुले हुए हैं जिसमें पब्लिक के वर्कर्स को प्रशिक्षण प्राप्त होता है । और यह भी बड़ी खुशी की बात है कि इसमें १८ प्रशिक्षण केन्द्र ऐसे हैं कि जहां पर प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध है, जैसे गुरुकुल कांगड़ी है, एक कानपुर में विद्यार्थी जी के नाम की कोई संस्था बनी हुई है, ऐसी तमाम जगह हैं । एक हल्द्वानी में है जो हमारे नारायण दत्त जो तिवारी द्वारा चलाया जाता है । वे बाहर गये, वहां से वह कुछ खयालात अपने लाये और उसके अनुसार उन्होंने भी एक ऐसी संस्था खोली है जिसके जरिये से नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और मुझे बड़ी खुशी है कि हिन्दुस्तान में जितनी जगह इस प्रकार

की ट्रेनिंग हो रही है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी प्रशंसा अपने उत्तर प्रदेश के बारे में है कि जैसी ट्रेनिंग यहां हो रही है ऐसी किसी प्रदेश के अन्दर नहीं हो रही है ।

एक दूसरा ही पहलू है । इस खेतिहर प्रदेश के लोगों की आर्थिक दशा जब तक अच्छी न हो तब तक डेमोक्रेसी में कुछ भी श्रद्धा और भक्ति नहीं हो सकती। हम डेमोक्रेसी का ढोल पीटते रहें और प्रदेश के लोग गरीब बने रहें हर चीज की कमी महसूस करें, तो उससे यह डेमोक्रेसी कोई बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है । वह एक पहलू है और दूसरा पहलू जिसका मैंने जिक्र किया कि बौद्धिक शिक्षा हो, अगर मैंटल ट्रेनिंग लोगों की ठीक हो जाय, तो उसके जरिये ज्यादा जरूरी काम बन सकते हैं । उसके साथ-साथ उस पहलू को भी हम छोड़ना नहीं चाहते । हम चाहते हैं कि हमारे ऐग्रीकल्चर की हालत भी अच्छी हो और इंडस्ट्री भी ज्यादा बढ़े । हमने पिछले साल करीब १२५ शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी और इस साल ३०० शिल्पकारों को ट्रेनिंग देना चाहते है । छोटे-छोटे वर्कशाप्स, जैसे कि चिनहट में है, जैसा कि एक कायमगंज में खोला है, इटावा में खोला है, इस तरह की और वर्कशाप्स खोल रहे हैं। काम की दृष्टि से आप देखें, काम बहुत बड़ा नहीं है । लेकिन इस दृष्टि के से आप देखें कि छोटी-छोटी चीजों को कैसे बढ़ाया जाय और लोगों के बीच में कैसे लोकप्रिय बनाया जाय, इस खयाल से यह प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा है और इसको लोग पसन्द भी कर रहे हैं।

अब जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यह जो ग्राम जन-सेवकों की तादाद है इस तरफ हमारा विशेष ध्यान है और इसीलिये हम अपने रूरल एरियाज के अन्दर यूथ क्लब, महिला मंगल योजनायें, हल्का सरदार और दलपति वगैरह को बढ़ा रहे हैं ताकि एक अच्छी खासी फौज सारे प्रदेश के अन्दर बन जाय और आपको इस बात से संतोष होगा कि अभी पिछले दिसम्बर में करीब-करीब २२ हजार ७०० यूथ क्लब हमारे बनें जिसमें करीब ४ लाख के मेम्बरशिप है । करीब ३ हजार हल्का सरदार, कोई २३ हजार के करीब दलपति और ७८ हजार के करीब टोलीनायक भर्ती हुये हैं । इस तरफ काफी दिलचस्पी लोग ले रहे हैं । इस जमात के जरिये तीन कामों की तरफ विशेष हमारा ध्यान है ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, विलेज डिफेंस और तीसरी शिक्षा । इसके साथ-साथ इनके जरिये से हमने यह कोशिश करायी है कि देहाती क्षेत्रों के अन्दर और भी काम कराये जायं । चूंकि हमारा जो खाना है, उसमें पौष्टिक पदार्थों की कमी है इसलिये हम यह भी चाहते हैं कि फल और सब्जी का भी प्रसार हो । यह कर्मचारी उस तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं । महिला मंगल योजना द्वारा भी इस तरफ ध्यान है । अभी छोटे पैमाने पर ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वह भी इस किस्म का काम जहां वह घरेलू चीजें सीखती हैं, बच्चों का पालन पोषण, उनको शिक्षा देना सीखती हैं वहां वह प्रोडेक्शन के काम में भी दिलचस्पी लें। इस तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है ।

मैं एक बात यह भी बतलाना चाहता हूं कि जहां तक गल्ले की पैदावार का मामला है मुख्तलिफ प्रोडक्शन के तरीके हैं । इन पिछले तीन सालों में हम आहिस्ता-आहिस्ता यह महसूस करते चले आ रहे हैं कि इस समय प्रधानता गल्ले की पैदावार की तरफ ज्यादा दी जाय और जो ज्यादा खर्च हम अम्युनिटीज के लिये करते हैं उसमें कम खर्च किया जाय । इसीलिये हमने इस प्रोग्राम के लिये १९६२–६३ में ३ करोड़ ६६ लाख रुपया उत्पादन के काम में मंजूर किया था और ४ करोड़ १३ लाख अम्युनिटीज के लिये दिया । फिर उसके बाद जब इमर्जेंसी आई तब १९६३–६४ में ३ करोड़ ७६ लाख रुपया पैदावार के लिये रखा और २ करोड़ ११ लाख अम्युनिटीज के लिये खर्च किया । इस साल के बजट में प्रोडक्शन के लिये ४ करोड़ २० लाख रुपया रखा गया है और अम्युनिटीज के लिये १ करोड़ ४० लाख रुपया रखा गया है । हमारी यह कोशिश है कि हम आहिस्ता आहिस्ता गल्ले के प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान दें और अम्युनिनिटीज के लिये बाद में सोचें, कि जब पैदावार अच्छी हो । जब ४ पैसे की आमदनी

[श्री राममूर्ति]

बढ़ जाती है तो बाकी काम उनको स्वयं ही आ जाते हैं । अपने प्रदेश में भी हम यह देखते हैं कि जो पश्चिमी इलाका है उनमें लोगों की हालत ज्यादा अच्छी है । पूर्वी इलाके में वह बात नहीं । पूर्वी इलाके के लोगों में उतनी रहने सहने की कुछ ऊंचे स्तर की बात नहीं है । पश्चिमी जिलों में पैदावार अच्छी है, कुछ उनकी आमदनी ज्यादा है । तो उन्होंने अपने यहां स्कूल भी खुलवा लिये हैं और उनका रहने सहने का स्तर भी अच्छा है । पूर्वी जिलों में जहां पर आमदनी की कमी है वहां पर सरकार कोई चीज बना देती भी है तो उसका रखरखाव नहीं हो पाता है । इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा हो और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय । इसलिये यह रकम हमने बढ़ाई है । एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिये इस साल हमने स्वायल टेस्टिंग लेबोरेटरीज का जाल बिछाने की कोशिश की है । जहां पर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके जरिये से और सरकार के जरिये से हम चाहते हैं कि हमारे किसानों के अन्दर इस बात में दिलचस्पी पैदा हो कि वह जमीन की जांच करायें । जमीन में किन पदार्थों की कमी है उनको पूरा करने के लिये यहां उनकी मालूमात और जिज्ञासा बढ़े । हमने यह भी कोशिश की है कि जहां पर पहले पैदावार नहीं हो सकती थी वहां पर कोआपरेटिव के जरिये से बजाय इसके कि कैश दिया जाय उनको फर्टीलाइजर दिए जांय । वह इसलिये दिया जा रहा है ताकि कुछ लोगों की दिलचस्पी पैदा हो और उसका इस्तेमाल लोग करें । यहां मुझे एक बात याद आई कि हमारे हिन्दुस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी आप जायं तो वहां पर भी किसानों की जमात को कुछ बैकवर्ड समझा जाता है और सही माने में वह होते भी हैं । उनको बहुत ज्यादा शहरी जिन्दगी से वास्ता नहीं होता ।

मैं अमेरिका की एक किताब पढ़ रहा था तो उसको पढ़कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । टिनैसी वैली स्कीम के मतहत जब बिजली के तार फैलाये गये तो रूरल एरिया में बहुत लोगों ने उसकी मुखालफत की । बंदूक से उन तारों को उड़ाने की कोशिश की और कहा कि "हम नहीं लगने देंगे" । जब सरकारी लोग वहां पर फर्टीलाइजर के प्रचार के लिये गये तो पूरा गांव मुकाबला करने के लिये खड़ा हो गया और कहा कि कोई फर्टीलाइजर नहीं डाल सकता । फिर आहिस्ता-आहिस्ता सरकार ने अपने डिमांस्ट्रेशन फार्म बनाये और उनमें जब खाद का इस्तेमाल हुआ तो थोड़े दिनों बाद उनका इस्तेमाल होने लगा और मैं तो वहां गया नहीं, जो गये हैं उन्होंने देखा होगा कि अब वहां एक-एक गांव में तमाम सुविधायें उपलब्ध हैं । हमारे प्रदेश और देश में भी शुरू में इन चीजों को लोग मुश्किल से लेते है, लेकिन जिस तरह से तरक्की हो रही है उसे देखते हुए आशा है कि चार, छः, दस साल में शीघ्र ही ऐसा समय आयेगा कि जितना फर्टीलाइजर हम बनाते है या इस तरह की जो चीजें हैं उनका उत्पादन हमें बढ़ाना पड़ेगा । एग्रीकल्चर के साथ-साथ एनीमल हस्बेंडरी, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, आदि हैं और इन की तरफ हमारा ध्यान है । जहां छोटे तालाब हैं वहां हरिजन तथा बैकवर्ड लोग मछलियां पाल कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और इस के लिये उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है । एग्रीकल्चर की तरक्की के लिये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी नये-नये किस्म के निकाले जा रहे हैं और वह ऐसे हैं कि जिनको छोटे-छोटे काश्तकार भी इस्तेमाल कर सकते हैं । जिनकी छोटी जमीनें हैं वे तो कोआपरेटिव फार्म बना सकते हैं, लेकिन अगर वैसा न भी करें तो चार, छः काश्तकार मिल कर सीड ड्रिल आदि जैसे औजार ले लें, नये किस्म के हल आदि लें तो उससे जमीन की जुताई आदि का काम अच्छा हो सकता है । प्रदेश के तराई इलाके में बहुत से प्राइवेट फार्म आदि ऐसे भी हैं कि जहां इन औजारों का इस्तेमाल हो रहा है और उनकी पैदावार इसके कारण बढ़ी है ।

जानवरों की रक्षा के लिये हम चाहते हैं कि हर ब्लाक में एक-एक अस्पताल खुल जाय ताकि उनकी बीमारियों का मुकाबला किया जा सके । चार, पांच लाख जानवरों का इस बार भी इनाकुलेशन हुआ, रिंडर पेस्ट आदि बीमारियों को ठीक करने के लिये । इसके साथ-साथ इस बात की भी कोशिश है कि यहां चारे की नयी-नयी किस्में पैदा की जायं जिनमें पौष्टिक पदार्थ ज्यादा हों । इसके लिये बीज बांटे जा रहे हैं और इसके साथ ही

चारे को रखने के लिये ध्यान दिया जा रहा है और ताकि लोग हरा चारा रख सकें और खुश्की के जमाने में जानवरों को खाने की दिक्कत न हो ।

इन सब चीजों के साथ एक जरूरी चीज है आबपाशी । जहां इर्रिगेशन के मुहकमे के द्वारा सिंचाई की बड़ी और मध्यम स्कीमें लायी जा रही हैं वहां सामुदायिक विकास में इस बात की कोशिश की जाती है कि हम गांव के अन्दर अपनी कोशिशों से कुयें बनवा कर, रहट लगवाकर, ट्यूबवेल लगा कर, बंधियाँ बना कर किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करायें। इसके लिये मैं अपने माननीय सदस्यों से विनय करूंगा कि इस प्रोग्राम में वे दिलचस्पी लें। वैसे तो हर जगह तकावी आदि दी जाती है, लेकिन हमारा इरादा है कि पूर्व और सेंट्रल रीजन में हम कोई दो ब्लाक छांट लें जिनमें से एक में तो मेसोनेरी वेल्स और दूसरे सिंचाई के साधनों से उसे सेचुरेट कर दें और देखें कि क्या नतीजा होता है और एक ब्लाक में हम पब्लिक को रुपया दे दें और सामान मुहैया कर दें और वे स्वयं अपना काम करें । मेरा अपना यह खयाल है कि मेसोनरी वेल्स या ट्यूबवेल्स या बंधियां अगर जन-समूह के जरिये से बनायी जायं तो उससे बड़ा भारी कल्याण होगा, क्योंकि जो सरकारी काम है एक तो उसका रख-रखाव, कहीं बिजली फेल हो गयी, ट्यूबवेल आपरेटर्स ने ठीक काम नहीं किया आदि, इसलिये उसमें दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है । और यह हमारा अपना काम है ट्यूबवेल की मरम्मत कुयें की देख-भाल आदि एक आदमी नहीं कर सकता । दो दो, तीन–तीन मिलकर बना सकते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है । प्रदेश में शीत लहरी आयी तो जिन इलाकों के अन्दर पानी नहीं लगा वहां ज्यादा नुक्सान हुआ बनिस्बत उन इलाकों के जहां पानी लगा।

एक सदस्य––

बशर्ते कि अगाही न बोई गयी हो।

श्री राममूर्ति––

अगाही-पिछाही तो लगी रहेगी, लेकिन जहां पानी लग गया वहां फसल अच्छी है । माइनर इर्रिगेशन की तरफ हमारे प्रदेश के लोगों को खास ध्यान देना चाहिये । पैसे की बिलकुल कमी नहीं है । जितने पैसे की जरूरत है वह इस प्लान के अन्दर मौजूद है । हम चाहते हैं कि कोई ऐसा गांव न हो जहां १०–५ कुयें न बनाये जायं । इस बात की शिकायत की जाती है कि पुराने कुओं की लीपा-पोती की गयी है, कुयें बने नहीं हैं दिखला दिये गये हैं । इस सब की वजह यह है कि ८७५ ब्लाक हैं, उनमें हर एक में ६०–६०, ८०–८०, १००–१०० गांव हैं । कितना कोलोसल काम है । आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक डी०डी०सी० या ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर उसको पूरा कर ले ? वह तो तभी हो सकता है कि जब हमारे जितने जन-सेवक और लीडर्स हैं वह दिलचस्पी लें। वह पता लगा सकते हैं कि ठीक रुपया इस्तेमाल हो रहा है या नहीं । इसलिये इस माइनर इर्रिगेशन के प्रोग्राम के ऊपर सारे माननीय सदस्यों को पूरा ध्यान देना चाहिये ।

एक बात और की गयी है। गांव सभा के लिये २०,००० रुपये देने का, सौ रुपये पर एकड़ के हिसाब से इन्तजाम किया गया है ताकि कोई सामूहिक योजना बनाना चाहे माइनर इर्रिगेशन की तो वह बनाई जा सके, कोई भी गांव सभा २०,००० रुपया ले सकती है और उस काम को चला सकती है ।

एक आइटम और जरूरी है, वह है रूरल मैन-पावर यूटिलाइजेशन का । इस प्रदेश की आबादी घनी है, पूरब में विशेष कर जो साल चल रहा है, ३१ मार्च तक इसमें करीब १३५ स्कीमें हाथ में ले ली गयी हैं जिन पर काम चल रहा है और अगले साल २१७ लेने को तैयार है । इसमें साढ़े १० करोड़ रुपये का कार्य होना है । इसी के साथ साथ हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को भी पाथमिकता देना चाहते हैं ताकि रूरल सर्विसेज में जिन चीजों की कमी है वह पूरी हो सके ।

[श्री राममूर्ति]

पूरब में, बस्ती और गोरखपुर में खास तौर से यू० एन० एस० एफ० डब्लु० एच० ओ० और एफ० ए० ओ० की संस्थाओं द्वारा कुछ लोग पहुंचे हुए हैं ताकि लोगों को बता सकें कि पौष्टिक पदार्थ खाने में कम आते हैं । एक स्पेशल स्कीम चलायी जा रही है जो शायद ६० ब्लाकों में चल रही है । विदेशों से भी रुपया आता है, हमारी सरकार भी देती है । मोटे तौर से हम कोशिश करते हैं कि हर घर में २–३ केले के एक दो पपीते के, एक दो अमरूद के, एक-दो नीबू के पेड़ लगाये जायं । इसके लिये बहुत जगह की जरूरत नहीं होती है । बच्चों को एवम् सभी की फलों द्वारा सेहत अच्छी हो सके छोटी चीज है, मगर इसका प्रभाव अगर देखा जाय तो सारे प्रदेश में बहुत अच्छा हो सकता है ।

एक और बहुत जरूरी चीज हमने की है और वह है स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था । करीब ७१ लाख रुपया बजट में रखा है । इस रुपये को विशेष कर हम पहाड़ी इलाकों में खर्चा कर रहे हैं । पहले तो हमारी यह स्कीम थी कि ५० फीसदी पब्लिक को देना पड़ता था और ५० फीसदी सरकार देती थी । अब हमने यह किया है कि पब्लिक को ५० की जगह १० फीसदी देना होगा और ९० फीसदी सरकार का होगा । पब्लिक को उस १० फीसदी को भी नगद नहीं देना होगा, बल्कि वे सीमेंट तथा सामान आदि पहुंचा दें इस तरह से जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पर पीने के पानी की कमी है, वहां पर स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो सकेगी ।

एक चीज और सामुदायिक विकास के संबंध में कहूंगा । इसके लिये हमारा एक प्लानिंग ऐन्ड रिसर्च इन्सटीट्यूट काम कर रहा है । यह एक नये किस्म का इन्स्टीट्यूशन है जिसका काम यह है कि फील्ड में जाकर लोगों की दिक्कतों को मालूम करना और उनको हल करना । कई आइटम्स हैं जिनको यह देखते हैं जैसे-रूरल इन्डस्ट्री, रूरल हेल्थ, पंचायत, सोशल एजूकेशन, वगैरह । इस संस्था ने विशेष काम किये हैं । जहां पर भी यह काम हो रहे हैं । जिन साथियों को उसको देखने का अवसर नहीं मिला, वे उसको लखनऊ में, चिनहट में, जाकर देख सकते हैं ।

एक सदस्य—

आप दिखा दीजिये ।

श्री राममूर्ति—

हम भी दिखा सकते हैं । वहां कुएं बनाने के लिये एक विशेष चीज निकाली गयी है । कुछ सर्किलें सीमेंट की बनायी जाती हैं । फिर गड्ढा खोद कर उसको पहना दिया जाता है । इस तरह से ४–६ घंटे में कुआं तैयार हो जाता है । उसके बाद बोरिंग आदि का काम होता है । इस तरह से जिस कुएं को बनाने में महीना दो महीना लगता था, उसको बनाने में अब ३–४ दिन का ही समय लगता है । हमारी यह भी स्कीम है कि हम इस चीज को अपने यहां के मिस्त्रियों और राजों को भी सिखायें ताकि वे उसको जान जायं और गांव में प्रयोग में लायें ।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि विकास कार्यों में कामयाबी तभी सम्भव है जब जनआन्दोलन की शक्ल लें और हर स्त्री पुरुष का सहयोग प्राप्त हो । वे लोग इसमें दिलचस्पी लें और सहानुभूति दें । अपनी हालत को देखते हुये, जो वस्तुस्थिति है उसको देखते हुये, अगर हम अपने इस काम में लगे रहे तो निश्चय ही जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको प्राप्त कर सकेंगे जिससे इस प्रदेश का कल्याण होगा । अब मैं ज्यादा न कह कर इस बात को जरूर मुनासिब समझता हूं कि आप लोगों के विचारों को सुनूं और मैं समझता हूं कि इस संबंध में जो आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, उनसे मैं और मेरे विभाग के लोग पूरा-पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अनुदान संख्या २५नियोजन और समन्वय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नियोजन मंत्री के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था । जितना नीरस और रंग विहीन (लाइफलैस ऐन्ड कलरलैस) उनका भाषण था ठीक वैसी ही प्रदेश की प्लानिंग और नियोजन व्यर्थ और नीरस है । उनका भाषण आज प्रान्त की जो प्लानिंग है उसका प्रतिबिंब है । आज १३ साल से यह राज्य एक नियोजित अर्थ व्यवस्था से काम कर रहा है,लेकिन १३ साल पहले जो इस राज्य की आर्थिक हालत थी वह इस १३ साल के सुनियोजित अर्थ व्यवस्था के बाद बदतर हुई है । अगर इस नियोजन की गति को, इसकी दिशा को, इसके मौजूदा ढांचे को, मौजूदा दृष्टिकोण में यदि आमूल परिवर्तन न किया गया तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आने वाले दस साल के बाद उत्तर प्रदेश सारे हिन्दोस्तान कि डेवलपिंग एकोनामी में एक बैकवर्ड पाकेट बनकर रह जायगा जो इस सूबे के लिये बदकिस्मती की बात होगी ।

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार के प्लानिंग कमीशन ने हमारी तीसरी प्लान का मिड टर्म एप्रेजल किया है । उससे हमारी प्लानिंग का वास्तविक रूप हमारे सामने आ जाता है । अच्छा होता यदि हमारे यहां भी इस तरह मिड टर्म अप्रेजल योजना का हो जाता । मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसको वह करना चाहिये क्योंकि बिना उसके हमें यह बिलकुल भी पता नहीं है कि हमारे सूबे में इस बीच में कितनी प्रगति हुई है । एक अज्ञान के अन्दर सब हैं । ऐसा न करना पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है । माननीय नियोजन मंत्री जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये और बड़े फख्र के साथ कहा कि सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले में हमारे प्रदेश में कुछ मदों में ज्यादा रुपया खर्च किया गया है । लेकिन रुपया खर्च करने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई है, इसका प्रमाण क्या है ? उन्होंने यह बिलकुल नहीं बताया कि रुपया खर्च करके क्या एचीवमेंट हुए । मुझे अफसोस है इस पहलू पर उन्होंने गौर नहीं किया ।

पिछले ११ सालों में जो बजट प्रस्तुत हुए हैं उनको अगर आप देखें और तीसरी योजना के आबजेक्टिव्स को देखें तो आपको ४ बातें मालूम होंगी ––१––प्रतिवर्ष ५ फीसदी आमदनी में वृद्धि होगी, २––खाद्य पदार्थों में अपना देश और प्रदेश आत्मनिर्भर हो जायगा, ३––प्रदेश की जनशक्ति का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जायगा, ४––धन और दौलत की असमानता जो हमारे नागरिकों में है उसको धीरे-धीरे कम किया जायगा । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य का प्लानिंग विभाग, हमारे राज्य की नियोजन व्यवस्था, इन तमाम उद्देश्यों को हासिल करने में असफल रही है। कोई भी उद्देश्य सूबे में हासिल नहीं हुआ है । इसी कसौटी पर हमें अपनी प्लानिंग को देखना पड़ेगा । पिछली तीन प्लानों में प्रदेश का करीब १० अरब रुपया खर्च किया गया है । इस रुपये को खर्च करने का एक उद्देश्य हो सकता है कि अपने प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर बढ़े । आप पूरे देश के मुकाबले में अपने देश को देखते कि आज क्या स्थिति है । पिछले १० वर्षों के अन्दर हमारे सूबे के अन्दर फीकस आमदनी सवा रुपये सालाना के हिसाब से बढ़ी जब कि सारे देश के अन्दर फीकस आमदनी साढ़े ५ रुपये सालाना के हिसाब से बढ़ी है यानी चारगुना बढ़ी है । इसी तरह से पिछले १० वर्षों में हमारे पूरे राज्य की आय २ प्रतिशत बढ़ी है जब कि सारे देश के अन्दर साढ़े ४ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मिड टर्म एप्रेजल जो केन्द्रीय सरकार की तरफ से निकला है उसके अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना में तीन वर्षों में सारे देश की आय ढाई प्रतिशत बढ़ी है जब कि इस सूबे की आय १ प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी है । यह हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है और सूबे के रुपये का सबसे बड़ा अपव्यय है । आपने इतना रुपया खर्च किया और इस सूबे की जनता को क्या सोशल एम्मेनिटीज दीं ?

जहां तक शिक्षा की बात की जाती है और जिस पर आपने बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमें जनरल शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, जनता की रुढ़वादिता को दूर करना है और हम समाजवाद की ओर आगे बढ़े हैं, उस शिक्षा पर आपने इस सूबे में फी व्यक्ति २.४ खर्च किया जब कि सारे देश में—शेष भारत में ४.९ खर्च हुआ ।

इस प्रदेश की सवा ७ करोड़ जनता के स्वास्थ्य के ऊपर १ रुपया फीकस के हिसाब से खर्च हुआ, जब की सार देश में २.५ रु० फीकस खर्च हुआ । तो आंकड़े की इस कसौटी पर आपका अपने प्रदेश की योजना को देखना पड़ेगा और इस पर जो इतना रुपया खर्च हुआ है उसको देखना पड़ेगा । यह बात सही है कि आपने जनता से रुपया वसूल किया है और करों का बोझ जनता के ऊपर बढ़ा है लेकिन आपने क्या इस पर गौर किया कि हमारे प्रदेश की जनता की आमदनी का जो भेदभाव है वह बढ़ा है। इस सूबे के अन्दर आज भी करोड़ों ऐसे इन्सान हैं जो चार-चार आने रोज की मजदूरी पर काम करते हैं । इस सूबे के अन्दर आज लेटेस्ट फीकस सालाना आमदनी २५३ रु० है जिसमें श्री पद्मपत सिंहानिया, जुग्गी लाल कमलापत, राम रतन गुप्त, आदि जैसे पूंजीपतियों की आय भी शामिल हैं तथा रिक्शा खींचने वाले व सड़क पर भीख मांगने वालों की आय भी शामिल है । आज इस सूबे की यह स्थित है कि जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा है और मोटे लोगों को आपने मजबूत किया है । मेरा तो चार्ज है कि जो प्लानिंग की दिशा है वह बिलकुल गलत है । आज हमारे सूबे में प्लानिंग की दिशा में गरीब आदमियों पर कर्ज का बोझ बढ़ा है और प्लानिंग का लाभ इस सूबे के अन्दर उन लोगों को मिला है जो पहले भी जनता का शोषण करते रहे हैं और आज भी शोषण कर रहे हैं ।

जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, उस दिशा में भी आपने जो कार्य किया है उससे कृषि की पैदावार बढ़ी नहीं है । जब तक इस सूबे के अन्दर कृषि की उन्नति नहीं होती, जब तक इस देश में कृषि की तरक्की नहीं होती तब तक इस सूबे की अर्थ व्यवस्था उन्नति नहीं कर सकती है । आप देखते हैं कि सूबे के अन्दर और देश के अन्दर ७५ फीसदी आदमी कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन खाने के लिये मुहताज हैं और आज लाखों टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है । पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि जब मैं पूरे हिन्दुस्तान के नक्शे को अपने सामने रखता हूं जहां के ७० प्रतिशत लोग खेती करते है और फिर भी इस देश को खाने की चीजों के लिये विदेश पर निर्भर रहना पड़ता है तो शर्म से हमारा सिर नीचे झुक जाता है । तो सारे देश में ७० प्रतिशत के मुकाबले में इस सूबे में जहां ७५ प्रतिशत लोग खेती करते हैं, आज लाखों टन गल्ला हमें बाहर से मंगाना पड़ता है तो हमारा भी सिर शर्म से झुक जाता है । श्रीमन् कृषि कि हालत हमारे सूबे के अन्दर आज क्या है ? हमारे सूबे की अर्थ व्यवस्था के अन्दर हमारे सूबे का जो पूरा एनुअल इनकम है, उसमें सामूहिक ७६ प्रतिशत योगदान कृषि का है । हमारे सूबे में जो इंडस्ट्रीयल मैनुफैक्चरिंग कंट्रिब्युशन है वह २.७ प्रतिशत है जब कि सारे देश का १८.३ प्रतिशत है । यह बात भी गौर तलब है कि जब तक यहां के किसानों को खाने के लिये बाहर के देशों का मुहताज रहना पड़ेगा और यहां गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे यहां की अर्थ व्यवस्था नहीं सुधर सकेगी । केवल यह कहने से कि हमने अपनी योजना में इतनी नहरें लगा दीं, या विकास खंडों में रबी अभियान या खरीफ अभियान चालाया और आम जनता को फर्टिलाइजर देकर इसका इस्तेमाल करना उन्हें सिखलाया, इससे कृषि की उन्नति नहीं होगी । आपको मौलिक तरीके से इस पर गौर करना होगा कि किस तरह से

देश के अन्दर कृषि की उन्नति हो सकती है। कृषि की उन्नति का नारा देने से न तो कृषि की पैदावार ही बढ़ी है और न इस सूबे के भूमिधर ही उसका कोई फायदा उठा सके हैं।

यह बात सदन के अन्दर कही गयी है कि जम्मू व काश्मीर में साढ़े ४ लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी गयी है और वेस्ट बंगाल में ५ लाख २० हजार एकड़ जमीन भूमिहीनों को दी गयी है जब कि इस सूबे के अन्दर कुल २४ हजार एकड़ जमीन ही भूमिहीनों को दी जा सकी है, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। इस सूबे के अन्दर जहां, करोड़ों भूमिहीन पड़े हों, जिस सूबे के अन्दर किसान ही सर्वत्र छाये हुये हों, वहां इस तरह से हमारी कृषि की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे यहां जो टार-जेट्स गल्ले के उत्पादन के पिछले दस साल में रखे गये थे उस के ५० प्रतिशत आल इंडिया बेसिस पर और केवल २५ प्रतिशत ही उत्तर प्रदेश में रह गये, जब कि यह प्रदेश देश का सब से बड़ा खेतिहर प्रदेश है और उसने सब से कम एचीवमेंट हासिल किये। तीसरी योजना के अन्त तक हमारी योजना का लक्ष्य १८२.८६ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का था जिस में से १९६१-६२ में जो खाद्यान्न का लक्ष्य १४४.१२ रखा गया था उस में से केवल १३८.३२ की पूर्ति हुई और १९६२-६३ में लक्ष्य था १५३.३४ और पूर्ति हुई केवल १३२.२७ की। इस तरह से तृतीय योजना के अन्त तक आप अगले सालों में भी और आगे कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। पिछले दस साल का तजुर्बा बताता है कि आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते।

प्रदेश में पानी के लिये सिंचाई की बात कही जाती है। इस संबंध में भी हमारे प्रदेश की योजनाओं में कोई सामंजस्य नहीं है। आज कृषि विभाग ४-५ विभागों में बटा हुआ है। केन का विभाग अलग है, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई कोआपरेटिव विभाग कर रहा है, कृषि का सुपरविजन कृषि विभाग कर रहा है, खरीफ और रबी अभियान ब्लाक्स के द्वारा होता है। कोई योजना एक स्थान से नहीं चलती है, सारा काम बिखरा हुआ है, कोई सामंजस्य नहीं है, कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, एक अजीब अनार्की फैली हुई है। कहां कमजोरी है? क्यों लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है? क्या उसका इलाज है? कैसे कमी दूर हो? कैसे आगे बढ़ा जाय इस तरह की कोई देख-रेख नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस प्रदेश में पिछले दस साल में ४.२३ मिलियन एकड़ इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ा जब कि ६० करोड़ रुपया खर्च हुआ लेकिन इरिगेटेड लैंड दस साल पहले जितना था वह उतना ही रहा। इरिगेशन पोटेंशियल होते हुये भी सिंचाई क्षेत्र का न बढ़ना हमारी सरकार पर सब से बड़ा स्टर है और उस का उन्हें जवाब देना होगा। वक्त पर लोगों को पानी नहीं मिलता, सिंचाई रेट्स मंहगे हो गये, नलकूप इंजीनियर सुपरवाइजर पर टालते हैं और सुपरवाइजर इंजीनियर पर, वह बन्द पड़े रहते है, बी० डी० ओ० कितना ही कहें, लेकिन वह खुलते नहीं। आज विभाग में एक अनार्की फैली है, पोटेंशियल होते हुये भी किसान को समय से पानी नहीं मिलता और करोड़ों रुपया जनता का व्यय हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इन तमाम बातों पर सरकार गौर करे कि हमारे यहां प्लानिंग की ऐसी दशा क्यों हो रही है और कहां कमी है और उसका इलाज क्या है।

सब से बड़ी बात यह है कि इस प्रदेश का प्लानिंग विभाग बहुत ही इनएफिशियेंट, काम में देर करने वाला है और एक हेपहेजार्ड वे में डिपार्टमेंट का वर्किंग चलता है। कोई समन्वय, कोई सामंजस्य नहीं है। कोई काम ठीक से नहीं चलता और आप चाहते हैं कि जनता का सहयोग हो। जो जनता आज सेचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच गई है जिस की जिन्दगी मुसीबत की जिन्दगी बन गई है, जिस की आय नहीं बढ़ रही है और मंहगाई के कारण उस को खाना, कपड़ा और तमाम जिन्दगी का जरूरी सामान नहीं मयस्सर हो रहा वह आज परेशान है और उस का और हमारा साहस खत्म हो जाता है जब हम देखते हैं कि प्लान का यह नतीजा होने वाला है। आप का प्लान के सिद्धान्तों में हमारा यकीन है, किन्तु इस में बुरजुआ प्लान की झलक है

[श्री चन्द्रजीत यादव]

लेकिन आज जब कि सारे प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं उनके उद्योग और पैदावार सब बढ़ रहे हैं तो हमें चिन्ता होती है कि यू० पी० ही क्यों पीछे जा रहा है। सिद्धान्त के रूप में हम प्लान की निन्दा नहीं करते, लेकिन जिस तरह से उस को चलाया जा रहा है वह चिन्ता का विषय है। सरकार के दिमाग में प्लान का एक साफ आइडिया होना चाहिये और उसके न होने का नतीजा यह है कि हमारी आशा और आवश्यकता के अनुरूप यह प्लान नहीं चल रही है। दूसरी बात यह है कि प्लानिंग का इतना बड़ा खर्चा इस सूबे के अन्दर है कि इसको मुस्तैदी के साथ काटना पड़ेगा। प्लानिंग ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा बराबर बढ़ रहा है। बजट में आंकड़े पेश किये गये हैं कि ब्लाक डेवलपमेंट की जो मशीनरी है उस पर १९६२-६३ में वास्तविक व्यय १ करोड़ १० लाख, ३० हजार ८७६ रु० था जो १९६४-६५ में बढ़ कर १ करोड़, ३६ लाख, ८१ हजार रु० होने जा रहा है। साढ़े २६ लाख की बढ़ोत्तरी ऐडमिनिस्ट्रेशन में हो गई जबकि एमरजेंसी है, एकोनोमी की बात सरकार करती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों इतना खर्च बढ़ रहा है? डेवलपमेंट कमिश्नर के आफिस में क्यों सवा लाख रुपया ज्यादा खर्च किया जा रहा है? जिला नियोजन कार्यालयों पर २ साल पहले के मुकाबले इस साल ढाई लाख रुपया क्यों ज्यादा खर्च किया जा रहा है? केवल बात कह कर इकोनामी नहीं कर सकते हैं। खर्चा निरंतर बढ़ रहा है। जब प्लानिंग के अन्दर अचीवमेंट्स न होते हों, लोगों को आय स्टेगनेट हो, उस समय ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ता है तो गुस्सा आता है और प्लानिंग के प्रति असंतोष की भावना बढ़ती है और जब यह असंतोष मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ जाता है तो मुझे डर है कि आज जो अव्यवस्था है यह प्लानिंग में अविश्वास न पैदा कर दे। अगर ऐसा हुआ तो यह बदकिस्मती की बात होगी और इसकी जिम्मेवारी उन पर होगी जो आज प्लानिंग को हमारे सूबे में चला रहे हैं।

तीसरी सब से बड़ी कमजोरी प्लानिंग की जो है, मुझे माफ करेंगे, ब्यूरोक्रेसी की बात बहुत कही गई लेकिन जो असलियत है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, सूबे की प्लानिंग ब्यूरोक्रेटिक बन गई है। आज प्लानिंग के अन्दर ब्यूरोक्रेसी और पोलिटिकल वर्कर्स में जो सामन्जस्य होना चाहिये वह नहीं है। कोई एम० एल० ए० अपने क्षेत्र की बात करता है, कहीं क्या होने वाला है उसके लिये न तो उसकी राय ली जाती है और न उसकी बात मानी जाती है। मुझे पता है ट्यूबवैल गांव में लगा दिया गया, गांव का किसान अपने सैकड़ों वर्ष के तजुर्बे से देख कर बताता है कि नाली किधर से जाना चाहिये जिससे उसके खेत में पानी पहुंच सके। लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती। और सरकारी टेक्निकल कर्मचारी, यानी ओवरसीयर आदि जो तजवीज पेश करते हैं उसको माना जाता है जिसका नतीजा यही होता है कि किसान के खेत को पानी नहीं पहुंचता और सारा पैसा बेकार जाता है। क्षेत्र के प्रतिनिधियों की बात नहीं मानी जाती, उनको पता तक नहीं कि कौन काम कहां होना चाहिये, किसको प्रायरेटी देनी चाहिये इस पर कोई तवज्जह नहीं है। जब तक प्लानिंग में पोलिटिकल लीडर्स, चाहे किसी हिस्से के हों, और इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी में समन्वय और कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक प्लानिंग सफल नहीं हो सकती।

इसके अलावा इवेलुएशन की मशीनरी हमारे सूबे में बननी चाहिये जो हर साल प्रापर चेक अप करे और उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये। यह रिपोर्ट जो आप पेश करते हैं कोई एप्रेजल नहीं है, कोई इवैलुएशन नहीं है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कितने एचीवमेंट्स हुए, कितना रुपया खर्च हुआ, क्या-क्या कमजोरियां हैं? हमारी प्रदेशीय सरकार को चाहिये कि एक मुस्तकिल इवैलुएशन कमेटी बनाये, जो प्लानिंग के सारे काम की जांच करे और सारी बातों को सदन के सामने रखे ताकि हमें एक सही पिक्चर मिल सके।

प्लानिंग मशीनरी का सबसे बड़ा इस्तेमाल, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रूलिंग पार्टी करती है। आज प्लानिंग के मिनिस्टर साहब दौरा करते हैं तो सारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग क्या ग्राम सेवक, क्या बी० डी० ओ० सब के सब मिनिस्टर के स्वागत में

लगे रहते हैं। आज अगर कहीं गोपाष्टमी, युवक मंगल दल के जल्से, या मंगल महिला योजना के जल्से किये जाते हैं तो उनके अन्दर भी ग्राम सेवकों से सभाओं का आयोजन कराया जाता है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री जी अभी आजमगढ़ गये थे। वहां पर १२ बजे रात तक ब्लाक के अधिकारियों ने जनता को रोके रखा। एक दूसरी जगह ब्लाक पर मेला था उसमें भी ११ बजे तक लोगों को रोके रखा। आज इस तरह से ब्लाक के कर्मचारी पावर पौलिटिक्स के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं। बनारसी दास जी जब दौरा करते हैं तो सारा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट गेट बनाने में लग जाता है।

विकास के संबंध में मेरा निवेदन है कि केवल कागजी योजनाओं से काम नहीं चल सकता है। अभी कुछ दिन हुए श्रम दान बैंक बनाये गये उसके अन्दर कोई काम नहीं हो रहा है। श्रम बैंक बना दिये। इन सब से आज जो व्यवस्था है उसके अनुसार देश उन्नति नहीं कर सकता है। उस पर ध्यान देना पड़ेगा।

आज हमारे प्रदेश के अन्दर उद्योगों की सबसे बुरी हालत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ करोड़ रुपया उद्योग के लिये रखा गया। उसमें यह बताया गया कि यह खर्च होगा। ७ १/२ करोड़ की जनता में ४ करोड़ में एक कारखाना भी नहीं लग सकता है। दूसरी तरफ जो कुटीर उद्योग है, आज न तो उनके लिये मार्केट ही मिल पा रहा है और न उनके लिये प्रोत्साहन ही मिल पा रहा है। आज जो लोन उनके लिये दिये जाते हैं वे केवल उनको ही मिल पाते हैं जिनकी सिफारिश हो जाती है। जिसके पास देने को पैसा नहीं है उसको वे लोन भी नहीं मिल पाते हैं। जो लोन दिया गया वह सारा व्यर्थ जाता है। ४२ प्रतिशत लोन जो उद्योग के लिये दिया गया गलत ढंग से प्रयोग हुआ। आज आपके इन्डस्ट्रीज अफसर एप्रूव्ड लिस्ट बना देते हैं कि यह यह फर्म एप्रूव्ड है। जिस फर्म ने ज्यादा पैसा दिया उसको लोन मिल गया।

कृषि से संबंधित आज पंजाब, पटियाला और लुधियाना से इम्पलीमेंट्स मगांये जाते हैं। अगर हम सूबे में, जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है, देखें तो मालूम होगा कि इस सूबे के अन्दर ही पूर्वी जिले में ११ सौ आदमी फी वर्ग मील रहते हैं। पूर्वी जिलों के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पटेल कमीशन बनाया। उसने दौरा किया। हालांकि मैं उसकी सारी सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हूं। असल में हमें फौरी काम करना है। मैं यह चाहता हूं कि एक दूसरा कमीशन बनाया जाय जो फौरी काम करे। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक दूसरा कमीशन बनाये जो मौलिक समस्याओं के समाधान के लिये, प्रदेश के पूर्वी अंचल में जहां १,१०० आदमी फी वर्ग मील रहते हैं उसकी गरीबी को दूर करने के लिये, वहां की यातायात की समस्याओं को हल करें, उस क्षेत्र में उद्योग कैसे बढ़े इसके ऊपर गौर करे, जो वहां के पुराने उद्योग हैं वे कैसे विकसित हों इसके लिये सुझाव दें। उस प्रदेश की आबादी जो इतनी घनी है वह कैसे ट्रांसफर हो इस पर भी गौर करे। मैं चाहता हूं कि पटेल कमीशन ने जितनी सिफारिशें की हैं उनको मुस्तैदी से हमारे योजना मंत्री घोषित करें कि उनको फौरी लागू करने के लिये कदम उठायेंगे।

अन्त में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे सूबे की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है और मैं जानता हूं कि हमारे सभी इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि हमारा सूबा पूरे देश की अर्थ व्यवस्था में एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ सूबा है। हमारे प्रदेश की कृषि, जिसको हम हर साल बजट भाषण में कहते हैं कि इसको उद्योग की दृष्टि से देखेंगे, उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। ये मौलिक बातें हैं जिन पर हमारी सरकार सोच कर के ऐसे कदम उठाये कि हमारा सूबा कम से कम उस तरह से तो बढ़े जिस तरह से देश के दूसरे हिस्से बढ़ रहे हैं वरना दस साल बाद हम सब से पिछड़े हुये होंगे। यह हमारी सब से बड़ी बदकिस्मती होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि वास्तविकता को देखते हुये सरकार फौरी कदम उठायेगी।

*श्री रामचन्द्र विकल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से आपका आभार मानता हूं कि इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे बोलने का आपने समय दिया है ।

मैं प्लानिंग की योजनाओं का बहुत बड़ा समर्थक समर्थक हूं । मेरा उनमें विश्वास भी रहा है और गांव में रह कर छोटे मोटे काम करने की कोशिश भी की है । अभी विकास मंत्री प्लानिंग के ऊपर लम्बी-चौड़ी करोड़ों की रकम खर्च करने के बारे में कह रहे थे और इधर व उधर के माननीय सदस्य भी करोड़ों रुपये खर्च करने तथा उनके परिणाम के बारे में कह रहे थे । मैं भी गांव में रहने के नाते कुछ जानता हूं और कुछ वास्तविक घटनाओं को जानता हूं । दुख के साथ गांव की एक कहानी मैं बतलाना चाहता हूं । एक गांव का लड़का नौजवान अपनी ससुराल गांव में गया तो वहां बड़ी तकल्लुफ बाजी में फंसा । जब खाना खाने बैठा तो बारीक-बारीक चपाती थीं । एक चपाती को एक ही बार में खाकर खत्म कर देता था । जिस लड़की से रिश्ता हुआ था उसने दूर से इशारा किया दो उंगली उठा कर कि कम्बख्त एक चपाती के दो टुकड़े कर ले, हमारी तौहीन हो जायगी कि किस गंवार के साथ शादी हुई है । उसने समझा लड़की बहुत होशियार है । उसने बजाय एक के दो, एक साथ खाना शुरू कर दीं । फिर उसने इशारा किया, कम्बख्त तूने दो-दो खाना शुरू कर दीं । जहां पहले था वहीं आ जा तो अच्छा है । विकास मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम योजनाओं से पहले थे वहीं आ जायं क्योंकि परिणाम भयंकर निकले हैं । जहां पहले थे वहां अच्छे थे । सम्मानित सदस्यों की बात कहता हूं, हर आदमी की बात कहता हूं, यही कहा जाता है कि सरकार पर असर नहीं होता चाहे जितनी भी शिकायत कर लो, चाहे जितने सुझाव दे दो । एक तरीका बन गया है कि जो अच्छा भाषण हाउस में और बाहर कर दे वह बहुत अच्छा मिनिस्टर और जो नोटिंग में होशियार हो वह बड़ा अच्छा अफसर, वास्तविक घटनायें चाहे जो हों । संकटकाल की योजना की बात मैं बताता हूं । हमारे यहां विधायक निवास में पुताई का काम साल भर से बन्द है । हमने कई दफा तकादा भी किया क्योंकि खटमलों से दीवार लाल हुई पड़ी है, लेकिन यह कह दिया जाता है कि देश में संकट काल है इसलिये हम पुताई नहीं करायेंगे और गाजीपुर में जो ५० गांव उजाड़े गये हैं वहां इस संकट काल में उनकी फसल खड़ी हुई थी जो उजाड़ दी गयी । पुलिस की टुकड़ियां वहां इतनी पड़ी थीं कि गांव की औरतों को टट्टी और पेशाब के लिये बाहर जाना मुश्किल हो गया । गांवों की फसल उजाड़ दी गयी । जिन गांवों की जमीन ली गयी, हमने कहा कि उपजाऊ जमीन है, इसमें आप विकास नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा जमीन है, इसमें आप मकान नहीं बना सकते, तो मकान तो उतने नहीं बना पाये मगर लान बनाये जा रहे हैं। क्यों ? क्योंकि इंजीनियर्स को रकम मिलती है मिट्टी डालने में, लान बनाने में । भवन नहीं बन रहे हैं, उपयोगी जमीन ले ली गयी बन्दूक की गोली के सामने । बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई मंत्री भी आप रह चुके हैं और एक इलाके को मैं उन्हें दिखा चुका हूं । हमारे यहां आगरा कैनाल है उसकी सांट ब्रांच है । सांट ब्रांच की नहरों को चौड़ा किया गया, उनके पुल तुड़वाये गये मगर पानी नहीं बढ़ाया गया । आप उन इंजीनियर्स को क्यों नहीं सजा देते जिन्होंने गलत सलाह दी ? और जो ९० ट्यूबवेल बनाये आपने, वहां फसल नहीं हो रही है, आप उनको बिजली नहीं देते और न वहां निजी ट्यूबवेल लगाने देते हैं । एक अजीब असमंजस में किसान को डाले हुये हैं । मैंने तो दिल खोल कर किसानों में कह दिया कि कमान्ड एरिया के अन्दर अगर गवर्नमेन्ट पानी न दे तो तुम सरकार के खिलाफ फसल को हानि का मुकदमा दायर करो । कोई वजह नहीं है कि आप कमान्ड एरिया बढ़ाते जाइये, पानी न दीजिये और निजी ट्यूबवेल भी न लगाने दीजिये ।

आपकी विकास योजनायें चल रही हैं । मगर हो क्या रहा है ? अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत छोटा स्टाफ है । मगर वह करता क्या है इसकी कभी आपने जांच

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

की ? बी० डी० ओ० साहब जो एक बड़ी तनख्वाह पाते हैं, जिनको एक जीप मिली हुई है वे या तो सीमेंट की परमिट काटते हैं या फिर जबरदस्ती किसानों को खाद देते हैं। जब पानी नहीं है तो खाद क्या काम करेगी, बल्कि नुकसान कर रही है। पैदावार घटी है जबरदस्ती खाद देने से। तो जबरदस्ती खाद दें और पानी न दें और कहें कि हम योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह बुरा दिन होगा इस प्रदेश के लिये जिस नौकरशाही की बात हमारी मुख्य मंत्री जी कर रही थीं कि हमारे कमजोर कंधे हैं और वह हम पर सवार है। लेकिन वह कमजोर कंधे हम लोगों के हुये क्यों, इसको भी कभी सोचा ? यह ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं यह हावी क्यों हुई? आज पुलिस भले आदमी को जब चाहे जेल भेज दे और कोई सुनने वाला नहीं होता। सरकारी अफसर जो चाहें योजना बना दें। अपने कान से सुनी हुई बात बताता हूं जिसे रबर स्टैम्प कहते हैं। मैं तो जानता भी नहीं कि यह क्या होता है। कहते हैं कि हमने तो दस्तखत करा लिये और गलत योजनाओं पर दस्तखत करा लेते हैं। प्रशासक वह अच्छा होगा जो कम से कम बोलेगा। स्वर्गीय पटेल और रफी अहमद किदवई दो उदाहरण हैं जो कम से कम बोलते थे, लेकिन ऐक्शन ज्यादा लेते थे और उनका असर जनता में होता था। किदवई साहब के लिये मशहूर था कि वे जहां जाना चाहते थे चुपचाप चले जाते थे और उसका असर जनता पर होता था। क्या हमारे मंत्रियों ने ऐसा किया है ? कभी उनका अनुसरण किया है और हर खोज को जांचने की कोशिश की है ? अगर आपको योजनाओं में और विकास में दिलचस्पी है तो कम से कम भाषण दीजिये और यह प्रदर्शन छोड़ दीजिये। जिलों में जाइये और समस्याओं को मौके पर देखिये। इससे अफसरों पर भी असर होता है, जनता पर भी असर होताहै और कार्यकर्ताओं पर भी असर होता है। कुछ लोगों ने इस बात का इशारा किया है कि हमारे मिनिस्टर्स टैक्नीकल हैन्ड्स नहीं हैं और अधिकारी लोग इसलिये कुछ चिंता नहीं करते और मिनिस्टर्स भी कुछ कह नहीं पाते। लेकिन यह टेक्नीकल राय हमको बहुत मंहगी पड़ रही है। टेक्नीकल न होने के नाते सब लोग मायूस हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते चाहे उनकी राय कितनी ही गलत और अव्यवहारिक हो। यह टेक्नीकल आदमी ऐसे हैं जिनका किसानों और गांवों से कोई वास्ता नहीं रहा है।

हमारे पूज्य बापू गांधी जी ने कहा है कि हर एक आदमी को गांवों में जा कर समस्याओं को समझना चाहिये। लेकिन आज न तो डाक्टर, न इंजीनियर और न कोई अधिकारी गांव में जाना पसन्द करता है। क्या यहां असेम्बली में बैठे-बैठे फाइलों से ही पैदावार बढ़ जायगी ? सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने कहा कि अब गांवों पर जाने का हमें मौका नहीं मिलता है। लखनऊ से जो चिट्ठी आती है उसके बारे में कागज भर कर भेज देते हैं। मौके पर इंजीनियर्स और अधिकारी नहीं जाते हैं इसीलिये आपकी योजनाओं से बजाय फायदे के नुकसान हो रहा है। मैं विकास मंत्री जी से कहूंगा कि वे मौके पर जाकर समस्या को समझें और फिर ऐक्शन लें। इस समय हमारा मुल्क बड़े संकट से गुजर रहा है। पश्चिमी जिलों की भी हालत अब पूर्वी जिलों से भी बदतर हो गई है। फिर कौन सी वजह है कि हम इन योजनाओं पर आपको रुपया दें ? आजकल नौकरशाही पर ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है बजाय योजनाओं के। इसलिये आपको अफसरों पर कम खर्च करना चाहिये जिससे योजनाओं के लिये रुपया मिले। किसान को तो आप पानी दे दीजिये और उसको कुछ नहीं चाहिये। गांव के लोग जो चाहते हैं वे योजना में आप देते नहीं हैं। जबरदस्ती बीज और खाद देते हैं। इससे जनता का हित नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि मौके पर योजनाओं को देखना चाहिये और जिन योजनाओं का रिजल्ट अच्छा न आये और गलत बना दी गई हों उन अफसरों को सजा देनी चाहिये। तभी सही योजनायें बन सकती हैं। अफसर क्या करते हैं ? सारी गलत योजनायें बना कर, तबादले पर चले जाते हैं। बाद में वह योजना दूसरे के जिम्मे पड़ती है। उसका नुकसान दूसरे अफसर पर पड़ता है। सिंचाई मंत्री जी ने एक बात का आश्वासन दिया था, जो आज विकास मंत्री हैं, कि ट्यूबवेल की जो गूल टूट जायगी, इंजीनियर कहीं भी चला जाय उसको वह सजा देंगे। आज हालत यह है कि गूलें छः महीने भी नहीं चलतीं, बीच में ही वह टूट जाती हैं। मैं एक घटना का जिक्र

[श्री रामचन्द्र विकल]

करता हूं। ट्यूबवेल में जितनी लागत लगती है उससे ज्यादा की गूल बनती है। मुझ को एक बार बताया गया कि तीस हजार रुपये का गूल का एस्टीमेट है। मैंने कहा कि इतने में तो ट्यूबवेल बन जायगा। लेकिन ट्यूबवेल नहीं लगेगा, गूल जरूर बनेगी, इस तरह की योजनायें हैं जिनसे न सरकार का हित है और न जनता का। योजनाओं को ठीक से बनाइये, किफायतशारी से योजनाओं को चलाइये, और सख्ती बरतिये तभी योजनायें सफल होंगी।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है इसके समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आज मंत्री महोदय के द्वारा जो लम्बे चौड़े आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं केवल उनके द्वारा यह बताया गया है कि इतना इतना रुपया खर्च किया और इतना खर्च करने जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि योजना का मूल ध्येय सरकार भूल रही है, योजनायें केवल साधन हैं, साध्य नहीं हैं। परन्तु जो दलील सामने प्रस्तुत की गयी है, उससे साफ जाहिर होता है कि योजना को साध्य मान कर सारे के सारे आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं। देखना हमें यह चाहिये कि पिछली योजना के समय हमने कितना खर्च किया है, किस प्रकार कितना खर्च किया है उसके परिणामस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ है। परन्तु आज उसको उल्टी तरह से देखा जाता है। राष्ट्र में जो भी साधन हैं उनका थोड़े से समय में अधिक से अधिक लाभ उठाना यह योजना का मुख्य ध्येय हुआ करता है। परन्तु उस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। योजना का निर्माण समाज की मर्यादा और सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिये। यह नहीं कि कितनी ही बड़ी योजना बना दें, कहां से पैसा आयेगा, क्या होगा, समाज कैसे वहन कर सकेगा, इसका कोई ध्यान नहीं है। जनता करों के भार से दबी जा रही है। परन्तु परिणाम कुछ नहीं। आज हम प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज इतनी बेकारी है, व्यक्तियों को हम काम नहीं दे पा रहे हैं, वह इस लिए है कि हम इतनी बड़ी जनसंख्या का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रथमतः सरकार ने काश्तकारी की ओर लक्ष्य किया। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी प्राथमिकता देने के बाद भी चूंकि योजना गलत है, दृष्टिकोण गलत है, इसलिए हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहले साल टार्गेट रखा १४४·१२ लाख टन गल्ले का, हम उसको देख रहे हैं कि तीसरी योजना का तीसरा साल भी समाप्त हो गया और हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

इसके अनेक कारण हैं। ऐग्रीकल्चर का एक विभाग जरूर खुला हुआ है लेकिन अलग-अलग कार्य अलग-अलग विभागों के पास हैं। काश्तकारी से सम्बन्धित कोई कार्य किसी के पास है कोई किसी के पास है। समन्वय न होने के कारण काश्तकारी की उपज घट रही है बढ़ नहीं रही है। आज जरा देखिये काश्तकारी के लिये क्या करना चाहिये और क्या हो रहा है। आज बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि हमारी नहरें इतनी बन गईं, इतने ट्यूबवेल्स बन गये, इतने पोखरे बन गये, हम लोगों को अनुदान दे रहे हैं। लेकिन आप देखिये कि जो ट्यूबवेल्स देहातों में आज बने हैं जब फसल का समय आता है तो कभी बिजली फेल हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ट्यूबवेल्स चलते ही नहीं हैं और उन काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है जिनके खेतों में पहले कुयें थे वे भी ट्यूबवेल बनने पर सरकारी ट्यूबवेल पर ही निर्भर हो गये। वह प्राइवेट ट्यूबवेल्स जो कि सरकार की बिजली से चलते हैं समय पर उनको बिजली नहीं मिल पाती है और वह चल नहीं पाते हैं। नतीजा यह होता है कि फसल सूख जाती है। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि हम प्राइवेट ट्यूबवेल्स को बिजली देंगे, उनको और फेसिलिटी देंगे, लेकिन जब कोई उसके लिए जाता है तो पहले no objection उसे दिखाना पड़ता है कि कम से कम १० एकड़ जमीन उसके पास होनी चाहिए। इस प्रदेश में काश्तकारों के पास दो-दो चार-चार बीघे जमीन मुश्किल से है। अगर वह ट्यूबवेल्स लगाना चाहते हैं तो उनको सुविधा नहीं मिल पाती। सरकार ने अपने ट्यूबवेल्स में कमांड एरिया इतनी लम्बी चौड़ी घेर रखी है कि जिसको वह सींच नहीं पाती है और उसमें कोई व्यक्ति ट्यबवेल लगाना चाहता है तो उसको अनुमति नहीं मिलती

इन्हीं कारणों से खेती की पैदावार बढ़ नहीं पाती है। फर्टिलाइजर्स की बात कही जाती है कि हम बहुत अच्छा फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं। लेकिन इन फर्टिलाइजर्स से बजाय फायदा होने के नुकसान हो रहा है। एक तो काश्तकार को समय से यह मिलती नहीं हैं और दूसरे ठीक-ठीक फर्टिलाइजर उसको नहीं मिल पाता। जो फर्टिलाइजर उनको दिया जाता है उसमें सैकड़ों बोरे नमक के निकले हैं। फर्रुखाबाद की क्रय समिति को जो फर्टिलाइजर दिया गया उसमें ४० बोरे नमक के पकड़े गये हैं। एक्सपर्ट के पास वह भेजा गया और उसमें नमक पाया गया। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। फर्टिलाइजर से जहां खेती को फायदा होना चाहिये वहां ऐसा फर्टिलाइजर डालने से जिसमें नमक मिला हो, खेत बरबाद हो जाता है और उसमें कई साल तक फसल नहीं होती है। स्वायल बरबाद हो जाती है।

कहा जाता है कि हम ब्लाक के जरिये बड़ा काम कर रहे हैं। इन ब्लाक्स के जरिये जहां वास्तविक रूप से सीमेंट उन काश्तकारों को वितरण किया जाना चाहिये जिनको कुयें बनाने के लिए उसकी जरूरत है, या मवेशियों के लिए शेड्स जिनको बनवाने हैं, वहां उनको न देकर सीमेंट का बड़ा दुरुपयोग किया जाता है। काश्तकारों को सीमेंट मिलता नहीं है। मंत्री महोदय के सामने मैंने एक ब्लाक का मामला रखा जिसमें ब्लाक की सीमेंट कमेटी ने ऐसे काम के लिये एक बोरी सीमेंट इश्यू किया। लेकिन बी० डी० ओ० ने उन दरख्वास्तों पर जो कि तीन बोरी के लिए थीं सात बोरी सीमेंट इश्यू किया। सारा केस मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखा, लेकिन पता नहीं किन कारणों से कोई कार्यवाही किसी पर नहीं हुई। कहा जाता है कि हम जनता के हित के लिये सारा कार्य करेंगे, लेकिन जब इस प्रकार के मामले रखे जाते हैं तो उन पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता। मैंने स्वयं इसके सारे तथ्य और सारे पेपर्स मंत्री जी के सामने रखे थे।

एक और दूसरे ब्लाक की बात है जहां पर स्वायल कंजर्वेशन के सिलसिले में हजारों रुपया खर्च किया गया, परन्तु एक भी कार्य कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार के कार्यों के चलते हुये हम यह सोचें कि हमने इतने लाख या इतने करोड़ रुपया खर्च कर दिया इससे प्रदेश का बड़ा हित होगा, प्रदेश की उन्नति होगी, लेकिन वह कमी होने वाली नहीं है। अगर हम काश्तकारी को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें उन्नति चाहते हैं तो हमें चाहिये कि हम काश्तकारों को अधिक से अधिक सुविधा दें। उनको सिंचाई के लिये ऐसा नहीं जैसा कि आज हो रहा है, आज इर्रीगेशन डिपार्टमेंट एक व्यापार कर रहा है उसके साथ। उसको उनके साथ पानी के मामले में व्यापार नहीं करना चाहिये। जो कास्ट पड़ती हो उसी पर काश्तकार को पानी देना चाहिये। एक खुशी की बात यह है कि ट्यूबवेल का कमांड एरिया घटा दिया गया है। इससे भ्रष्टाचार शायद कुछ कम हो जाय। आज तो ऐसा होता है कि काश्तकारों को पानी तब मिलता है जब आपरेटर एक-एक बीघे के लिए एक-एक दो-दो रुपये वसूल लेता है अन्यथा ट्यूबवेल्स बन्द रहता है। इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। कुयें बनाने के लिये उनको अधिक पैसा देना चाहिये। हम देखते हैं कि जो अनुदान दिया जाता है, जो सबसीडी दी जाती है उसका उपयोग भी लोग सही रूप से नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि कोई काश्तकार बांस की बोरिंग करना चाहता है तो उसको कोई अनुदान सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से यदि कोई सस्ती बोरिंग करता है तो उसको सरकार की ओर से सहायता देनी चाहिये क्योंकि थोड़ा पैसा लगाकर कुछ खेतों के लिये जो बोरिंग कर सकता है वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके देश के उत्पादन को बढ़ा सकता है। एग्रीकल्चर इम्पलीमेन्टेशन के लिये उसमें रोक लगाई जाती है। उनको एक हुंडी दी जाती है कि अमुक दुकानदार से खरीदो। इससे हमको यह दिखाई देता है कि उनको ५० फीसदी ज्यादा दाम देना पड़ता है उन दुकानों को जो कि सरकार के द्वारा खुलवाई गई हैं या एप्रूव की गई हैं। यदि वे कैश देकर दूसरी दुकानों से खरीदें तो उनको ५० फीसदी कम देना पड़ेगा। यदि इस रोक को हटा दिया जाय तो इससे काश्तकारों को सुविधा मिलेगी।

यदि कोई काश्तकार या दूसरा आदमी देहात में कोई कुटीर उद्योग बढ़ाना चाहता है तो उसे सुविधा मिलनी चाहिये। कुटीर उद्योग खोलने के लिये उनको बिजली मिलनी चाहिये और सस्ते

[श्री दयाराम शाक्य]

रेट पर उनको बिजली दी जानी चाहिये। यह सरकार मिलमालिकों को सस्ते दाम पर बिजली देती है पर छोटे उद्योगों को तेज दर पर। लेकिन यदि छोटे उद्योगों के लिये बिजली सस्ती दी जाय तो उनको कुटीर उद्योग बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिल सकता है और प्रदेश प्रगति कर सकता है। हम चाहते हैं कि सरकार नियम बनाये और उनको सस्ते दाम पर बिजली दे।

हम यह भी चाहते हैं कि काश्तकार जो चीजें पैदा करता है, उनके मूल्य निश्चित किये जायं और उनके उत्पादन की शक्ति को बढ़ाया जाय। प्रत्येक देहात के व्यक्ति को काश्तकार का जीवन स्तर बढ़ाने के लिये हमें अधिक से अधिक उनको सुविधा देनी चाहिये जिससे देश में पैदावार अधिक हो। सरकार को उनके लिये दाम भी निश्चित करने चाहिये। काश्तकारों से सहकारी सोसाइटी को नहीं खरीदना चाहिये बल्कि सरकार को खुद खरीदना चाहिये। इससे काश्तकारों का अधिक लाभ होगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा और देश प्रगति करेगा। इस प्रकार से यदि किया जाय तो वास्तव में आप देखेंगे कि देश में जिन उद्देश्यों को लेकर योजनाओं को चलाया गया है वह प्राप्त होंगे और देश प्रगति करेगा। हम सब लोग चाहते हैं कि काश्तकार खुशहाल हो, देहात खुशहाल हों। यह हमारे सामने लक्ष्य है और यदि हम इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी प्रगति होगी और देश को निश्चित लाभ होगा।

पशुपालन के सम्बम्ध में इतना ही निवेदन करता हूं कि जो पशु व्यर्थ में फिरते हैं उनसे खेतों का बहुत नुकसान होता है। सरकार ने इसका कोई प्रबंध नहीं किया

*श्री तमेश्वरप्रसाद (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप देखेंगे कि इस नये बजट में ३.२४ ट्यूबवेल्स बनाने का प्राविजन किया गया है और ११० ट्यूबवेल हमारे पूर्वी जिलों के लिये बनाने का प्राविजन इस बजट में किया गया है। इसके अलावा गूलों की हालत खराब है और सिंचाई की सुविधा का जिस प्रकार से उपयोग करना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। उसके लिये भी इस बजट में प्राविजन किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले सिंचाई के साधन, जो कोआपरेटिव के मेम्बर होते थे, उनको ही मिलते थे, लेकिन इस बजट में वे लोग भी तो कोआपरेटिव सोसायटी के सदस्य नहीं हैं उनको भी वे साधन मिल सकेंगे और दूसरे खेती का सामान मिलने की सुविधा उनके लिये रखी गई है। इसके लिये रकम को १२।। करोड़ से बढ़ाकर १७ करोड़ ८६ लाख कर दिया गया है।

इसके अलावा आप देखेंगे कि इस बजट में पैकेज प्रोग्राम भी रखा गया है। कहीं पर सरसों की खेती बढ़ाने के लिये, कहीं मूंगफली और आल के लिये और कहीं अरहर के लिये यह पैकेज प्रोग्राम शुरू हो रहा है। चीनी मिलों के आस-पास लगभग ४,००० एकड़ भूमि में इंटेंसिव केन की पैदावार को बढ़ाने के लिये प्रबन्ध किया गया है और यह पहले २५ मिलों में था जो अब बढ़ाकर ६६ मिलों में कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राम सभाओं, ब्लाक और जिले के स्तर पर कृषि उत्पादन को बढ़ाने और तरक्की देने के लिये तरह-तरह के प्राविजन किये गये हैं। प्रश्न यह है कि जो प्राविजन किये गये हैं उन का प्रयोग अच्छी प्रकार से हो और यह एक बड़ी बात है। कोई भी साधन रख दिया जाय लेकिन यदि उसका सदुपयोग नहीं होता तो उसमें लगा पैसा बेकार हो जाता है। सवाल यह है कि उसका सही उपयोग कैसे हो और कैसे इसको कामयाब बनाया जाय। यह काम तभी हो सकता है कि जब जनता, आफिसर्स और इस सदन के सदस्य सभी मिल कर इसकी कामयाबी के लिये प्रयत्न करें।

हम देखते हैं कि जनता में विकास कर्मचारियों द्वारा जितनी जागृति आनी चाहिये थी वह नहीं आ पायी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि गांव की गरीब जनता इससे फायदा

---

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं उठा पाती । बड़े लोग जमींदार लोग ही इसका फायदा उठाते हैं । जो गरीब हैं वे इसके फायदे समझ नहीं पाते और लाभ नहीं उठाते । इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि जो गरीब जनता है, जिसके पास बल है, शक्ति है, जो खेत में मेहनत कर सकती है, हल चला सकती है, उसे समझाया जाय और उसके लिये इन साधनों का उपयोग हो । उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि हमारे सरकारी कर्मचारी छोटे लोगों तक पहुंचने का प्रयत्न ही नहीं करते । वे बड़े लोगों से बात करते हैं कि गन्ना किस प्रकार डव्लर से बोया जाय, दूसरे अनाजों की खेती कैसे की जाय और उनको ही सुविधा देते हैं । यह प्रयत्न होना चाहिये कि जिनकी गरीबी दूर करना है जिनका जीवन स्तर ऊंचा करना है, उनके लिये मेहनत की जाय और उनको सुविधा दी जाय ।

इसके अलावा इंडस्ट्रीज को जो लोन दिया जाता है वह जिले की कमेटियों में दिया जाता है और वह ज्यदातर सही लोगों को नहीं दिया जाता । उसके लिये जिम्मेदार जिले की कमेटियां हैं हम लोग बहुत से उनके सदस्य हैं जो बिना समझे जाने लोगों को रेकमेंड कर देते हैं कर्ज देने के लिये और उनको जरूरत नहीं होती और वे उसका नाजायज ढंग से इस्तेमाल करते हैं । इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि जब जिलों में लोन की बात आवे तो जो उचित आदमी है जो उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल कर सके उसी को रिकमेंड किया जाय और कर्जा दिया जाय । आप देखेंगे कि जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है औद्योगीकरण का सवाल है, जब तक मुल्क में नये ढंग से खेती नहीं की जायगी तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी । विकल जी ने फरमाया है कि जहां से हम चले थे वहीं आ जाते तो अच्छा था । अगर ऐसी बात हो तो पहले हम बैलगाड़ी पर चलते थे, तो फिर मोटर पर चलना छोड़ दें और बैलगाड़ी से चलने लगें, यह तो बड़ा रिट्रोग्रेड स्टेप होगा । अगर हम प्रगति कर रहे हैं और कोई खामी है तो बजाय इसके कि उन खामियों को दूर करें हम यह कहें कि यह स्कीम ही खत्म कर दी जाय और विकास की कोई जरूरत नहीं है, यह कहां तक मुनासिब होगा ? इसका मतलब यह होगा कि हम अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी की बात करते हैं । हमको तो आगे बढ़ना चाहिए और जो कमजोरियां हैं उनको हमें ओवरकम करना है और जो शिकायतें हैं आफिसर्स क्लास में, चाहे प्रतिनिधियों के बीच में, चाहे ब्लाक के अन्दर, उनको दूर करना चाहिए और उसके लिए जिम्मेदार लोगों को तम्बीह करनी चाहिए । जबतक शिकायतें दूर नहीं होंगी तबतक स्कीम कितनी ही अच्छी बन जाय, कामयाब नहीं होगी ।

इसके अलावा आप देखेंगे कि खाद और पानी की बात आती है कि जब इतना अरबों रुपया नलकूपों पर और इरिगेशन की योजनाओं पर लगा हुआ है और पानी न दिया जाय खेतों को तो क्या कोई उसकी यूटिलिटी समझ सकता है ? मशीनरी का काम कभी कभी खराब होता है । ट्रेक्टर बहुत से लोगों के पास है वह भी खराब हो सकता है, उसमें मरम्मत करानी पड़ती है । नलकूपों पर जो कर्मचारी रहते हैं वह मनमाने ढंग से काम करते हैं । जिसको १० यूनिट पानी दिया गया उसको १० लिख दिया गया, जिसको ५ यूनिट दिया गया उसको भी १० यूनिट और १५ वाले को ७ कर दिया । जिससे पैसा पाते हैं उसका कम कर देते हैं और जिससे पैसा नहीं मिलता उसको ज्यादा । तो इस तरह के जो कर्मचारी हैं उनको सार्विस से दूर करना चाहिए ।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने ब्लाकों की बड़ी तारीफ की, ब्लाकों में जो हरिजनों की दुर्गति हुई है उसको बताया नहीं जा सकता । श्रीमन्, जितने भी ब्लाक आप देखेंगे, उनमें कहीं भी कोई हरिजन आपको ब्लाक प्रमुख के पद पर नहीं मिलेगा । इसके अलावा मैं जिस जिले से चुन कर आया हूं वहां पर भी हरिजनों की बड़ी खराब दशा है । माननीय मंत्री जी मेरे साथ मेरे यहां चलें, मैं उनको दावत दूंगा, जनता से स्वागत कराऊंगा और अपने यहां के हरिजनों की दशा को दिखाऊंगा । उन लोगों के पास एक मचाहना होता है, गांव में उसको मचाहना कहते हैं, उसमें

[श्री रतीपाल]

यह होता है कि ऊपर पिता लेटता है, नीचे उसकी औरत लेटती है, उसके नीचे लड़की लेटती है, उसके नीचे दामाद लेटता है। तो यह हालत है उनकी। यहां तो आप लोग नीचे भी ४ सेर रुई का गद्दा बिछाते हैं, ऊपर से भी ४ सेर रूई का लिहाफ ओढ़ते हैं। वे बेचारे पाल के ऊपर सोकर रात गुजारते हैं।

इसके अलावा श्रीमन्, हमारे यहां जो हरिजन हैं उनके पास जमीन नहीं है जिस पर वे खेती, अगर करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमारे यहां ४४ ताल्लुकेदार हैं। वहां पर, डा० लोहिया साहब ने तो ३ आने रोज की आमदनी बतायी, हरिजनों से अब भी ६ पैसा रोज पर काम करवाया जाता है, या तो उनको ६ पैसा रोज दिया जाता है या पांच पउए अनाज दिया जाता है, वहां पर इसकी अब भी प्रथा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हरिजनों को जो अनुदान देते हैं वह बन्द कर दीजिये। उसकी जगह पर आप यह करिये कि जो हरिजन जमीन लेना चाहें, और कोई रईस अगर कोई जमीन को बेचे, तो आप उस जमीन को खरीदने के लिये जितने रुपये की उसको जरूरत हो, वह आप उसे बिना ब्याज के दे दें जिससे कि वह कृषि आदि कर सकें। आप उनको व्यापार आदि करने के लिये पैसा दीजिये। उससे उनकी हालत में सुधार होगा। आज हरिजनों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे जमीन आदि खरीद सकें। (व्यवधान) डाक्टर सीताराम और चौधरी गिरधारी लाल तो हरिजन नहीं रह गये हैं, दुर्जन हो गये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी का जो यह नारा है कि आप १ और १० का अन्तर रखिये, उस हिसाब से बटवारा कीजिये, उसको आप अपनाइये। जिन लोगों के पास ४-४ हजार बीघे जमीन है, वह जमीन उनसे लेकर आप इन हरिजनों को दीजिये। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जिनके पास ३-४ हजार बीघे जमीन है, दूसरी ओर हरिजनों के पास नाखून बराबर भी जमीन नहीं है।

राममूर्ति जी तो नाम से ही राम हैं। उनके विभाग में जो सीता हैं, महिलायें हैं, उनकी शिकायतों की ओर आप ध्यान देने की कृपा करें। उनकी कई शिकायतें आपके पास आई हैं।

इसके अलावा एक बात यह कहना चाहता हूं कि आप ब्लाकों के जो भी चुनाव हों उसमें हरिजनों को भी मौका दें, जमीन का बटवारा करें।

हमारे यहां जो हरिजन कालोनी बनी है उसमें यह हुआ है कि वह बिलकुल बेकार हालत में है। कोई भी उसमें रहने वाला नहीं है। आपके अधिकारी सारा रुपया खा गये। इसकी आप जांच करायें।

एक बात और कहना चाहूंगा, हम लोग बी० डी० सी० के मेम्बर हैं। जब भी कमी उसकी मीटिंग होती है उसमें आपके नहर विभाग तथा पुलिस विभाग आदि के अधिकारी कभी नहीं जाते हैं। कोई अधिकारी उसमें नहीं आता है। आप अपने अधिकारियों को आदेश दें कि जब कभी भी बी० डी० सी० की मीटिंग हो, हर विभाग के लोग उसमें भाग लें ताकि हर चीज की जानकारी उनको होती रहे और इस चकबन्दी में जो लूटलूट मची है उसकी जानकारी वे लोग चकबन्दी अधिकारियों को देते रहें और यह बतायें कि कहां की जरूरत है। आज विकास विभाग के लोग चकबन्दी वालों से इतना दूर रहते हैं कि उनको कोई पा नहीं सकता है फिर हमारी ही कौन कहे? हमने भूख हड़ताल की तो आप लोगों ने माना, इसलिये जनता को राहत है। अब दूसरी तहसील में चकबन्दी जाने वाली है, वहां मंत्री जी ध्यान रखें।

श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सामुदायिक मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस राय का हूं कि योजनायें चलनी चाहिये और उनसे हमारा देश आगे बढ़ा है। इसके लिये विरोधी पक्ष के लोग होहल्ला करते हैं और कुछ लोग इधर के भी कहते हैं कि विकास से हमारा कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश में तो खेती खास चीज है। सरकार ने उसकी उन्नति के लिये बहुत-सी बातें सोची हैं और उसके विकास के लिये तरह-तरह के कार्य किये हैं। लेकिन जो कुछ जगह काम शुरू कर दिया गया लेकिन कर्मचारी उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिये। नहर निकाल दी गई है, इंजीनियर ने नक्शा बनाते समय तमाम बातों का ध्यान नहीं रखा। एक नहर मड़ियाहूं से केराकत तहसील में घुसती है तो उसका लेविल ऊंचा हो जाता है और वह बारबार टूटती है। यह भी शिकायत सरकार से कई बार की गई कि वहां एक गांव बरैछा के पचीसों मकान ध्वस्त हो गये। सरकार से कहा गया कि या तो नहर को मोड़ दिया जाय या पक्की नहर बना दी जाय जिससे वह टूटे नहीं और मकान ध्वस्त न हों। चीफ इंजीनियर साहेब ने भी उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट लगाई है, परन्तु आज भी वहां के किसानों के घर तबाह हैं उसे गोमती के किनारे की ओर न मोड़ा जाय।

ट्यूबवेलों की यह हालत है कि वहां बिजली नहीं मिलती है और सिंचाई सही ढंग से नहीं हो पाती। हमारे यहां एक ऐसा किस्सा हुआ कि ओवरसीयर ने अपने अहलकार को बुला लिया और ट्यूबवेल चलता रहा, जिससे उसमें आग लग गई और परिणाम यह हुआ कि एक आदमी की मृत्यु तक हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर कर्मचारी लोग ध्यान से काम करें तो विशेष लाभ हो सकता है।

वन महोत्सव या गोपाष्टमी के पर्व मनाये जाते हैं, लेकिन सचमुच क्या हमारे देश में कोई पेड़ बढ़े हैं? पेड़ों की संख्या कागज पर जरूर हर विकास खंड में बढ़ी है, लेकिन एक भी पेड़ ऐसा नहीं मिलेगा जो वन महोत्सव के मौके पर लगा हो और वह बड़ा हो गया हो। इसी प्रकार से गोपाष्टमी के सिलसिले में कुछ जानवरी के लिये इनाम दिये जाते हैं, लेकिन नसल को बढ़ाने के लिये कोई कार्य नहीं होता है। उसका अफसर या डाक्टर गांव में जाकर कुछ जानवरों की बीमारी को देख लेता है, लेकिन वह गांव वालों से उसका पैसा लेता है। बिना पैसा लिए हुए वे अपने क्वार्टर्स से निकलते नहीं हैं और अपनी ड्यूटी को नहीं समझते। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह उनको इस बात की महत्ता को समझावे और उनसे कहे कि वे गांवों में जा कर जानवरों की बीमारियों को देखें और गांव के लोगों की हर प्रकार से सहायता करें। तभी काम अच्छा हो सकता है और जानवरों की तरक्की हो सकती है।

इस के साथ ही साथ गांवों में ग्राम सेवक भी होते हैं। ऊपर के सभी अधिकारियों से ग्राम सेवक गांवों में अधिक सेवा का काम करता है क्योंकि वह छोटा कर्मचारी है लेकिन उस के पास काम बहुत होता है इसलिये वह बहुत परेशान रहता है। कभी-कभी बी० डी० ओ० के कहने के अनुसार उसको नक्शे तैयार करने पड़ते हैं और जितना वह काम करना चाहता है, नहीं कर पाता। बहुत-सी जगह ऐसी भी होती है जहां उसके रहने के लिये उसे जगह नहीं मिल पाती। इसलिये ग्राम सेवकों को रहने का स्थान दिया जाय और तब उससे काम लिया जाय तो वह अधिक अच्छा काम कर सकता है।

ब्लाकों के अन्दर हरिजन विभाग का रुपया कुछ दिनों से दे दिया गया है। मैं इसके कतई खिलाफ हूं। हरिजनों का रुपया जितना अच्छा जिले की जिला कमेटियों के द्वारा और हरिजन अधिकारी के द्वारा मिलता था, ब्लाकों में नहीं मिल पाता। मेरा विचार है और मैं बड़े अदब के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि हरिजन फंड को फिर से जिला कमेटियों को दे दिया जाय तो उससे हरिजनों को बड़ा लाभ होगा। ब्लाक में रुपया देने से यह होता है कि प्रधान अपने किसी आदमी का नाम लिखा देता है और सचमुच में वह रुपया उसको न मिलकर प्रधान की जेब में चला जाता है। अतः यह रुपया जिले की कमेटियों को दे दिया जाय और हरिजन अफसर ही इसकी देखभाल करें तभी अच्छा होगा क्योंकि जब सुपरवाइजर ब्लाक

[श्री रामसमझावन]

में जाता है और उस से कहा जाता है कि इसको देख लीजिये कि काम हुआ है या नहीं तो ए० डी० ओ०, या ग्राम सेवक समझता है कि हरिजन विभाग का काम उसका काम नहीं है और हरिजन विभाग का सुपरवाइजर समझता है कि उस रुपये पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से देर भी लगती है और हरिजनों को लाभ अधिक नहीं पहुंच पाता है।

इसके अलावा जहां तक नहरों का ताल्लुक है, नहरों का कमांड एरिया बहुत ही ज्यादा रख दिया गया है। जितना कमांड एरिया दिखाया जाता है उसकी बहुत सी जमीन बिना सिंचाई के बच जाती है, जहां तक पानी ही नहीं पहुंच पाता है। फसलों में तरक्की करने के लिये हमें समय पर पानी की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे भी स्थान हैं जहां नहरों का कमांड एरिया तो हैं लेकिन पानी नहीं पहुंचता है और वहां के लोग कहते हैं कि यहां ट्यूबवैल लगा दिया जाय तो अफसरान कहते हैं कि यह तो नहर कमांड एरिया में है, यहां ट्यूबवैल नहीं लग सकता। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसका फिर से सर्वे कराया जाय और जितनी सिंचाई हो सकती है, उतना ही कमांड एरिया रखा जाय और बाकी जमीन के लिये सिंचाई का कोई न कोई प्रबन्ध किया जाय ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके और हमारे प्रदेश की तरक्की हो सके।

एक बात की सभी लोगों को शिकायत है कि मिनिस्टर लोग जब दौरे पर जाते हैं तो पहले से ही सूचना दे दी जाती है कि फलां-फलां जगह फलां-फलां समय आयेंगे। परिणाम यह होता है कि जिले के सब अधिकारी फूलमाला लेकर वहां उनका स्वागत करने के लिये आ जाते हैं। यह मैं मानता हूं कि उनका स्वागत भले ही हो, लेकिन उससे वह आफीसर समझने लगता है कि मिनिस्टर साहब हमसे खुश हो गये। उनको उन स्थानों पर पहुंचना चाहिये और उनके काम को देखना चाहिये कि वे आफिसर अपने काम में लगे हुए हैं या नहीं और यदि नहीं लगे हुए हों तो उन्हें सजा मिले और यदि आवश्यक हो तो उनको उस स्थान से हटा देना चाहिये और उनकी जगह पर दूसरे को रखना चाहिये। यदि इस प्रकार से काम किया जाय तो तमाम जगह काम तेजी के साथ हो सकता है। अभी अखबारों में निकला था कि हमारे पुलिस मिनिस्टर साहब कुछ स्थानों पर चुपचाप पहुंचे और जब वहां के आफिसरों को ड्यूटी पर नहीं पाये तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसका काफी प्रचार हुआ और जब इसकी खबर चारों तरफ पहुंची तो तमाम लोग सचेत हो गये। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि यदि वे लोग चाहते हैं कि उनकी बदनामी न हो, या कहीं करप्शन न हो तो उनको बिना कोई सूचना दिये अपने-अपने क्षेत्रों में जाना चाहिये और उनके कामों की देखभाल करनी चाहिये ताकि अधिकारी लोग सतर्क हो जायं। हमारे यहां गांवों में एक किस्सा है कि "खेत चर गयी पड़िया और नाम भैंस का हुआ।" इसी तरह से जो अफसर लोग गलती करते हैं उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के लोगों की, सरकार की तथा एम० एल० एज० की बदनामी होती है। इसलिये आपको चाहिये कि इसकी तरफ आप खासतौर पर ध्यान दें जिससे हमारे देश का विकास आगे बढ़े और हमारे आफिसर, जिस डियूटी के लिये तनख्वाह पाते हैं; उसके प्रति अपना फर्ज भी अदा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि कई बार खड़े होने के बाद मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सका। मान्यवर, माननीय चन्द्रजीत यादव नें जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस राय का हूं कि किसी देश और प्रदेश की तरक्की तभी हो सकती है जब कि उस देश और प्रदेश की आम जनता का रुझान व उसका दिल व दिमाग और उसका बाहुबल उस तरक्की के लिये आहूत किया जाय, संगठित किया जाय और यदि सरकार बिना इसके ही तरक्की करना चाहती है तो वह उस में कामयाब नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश में जो योजना का काम चल रहा है उसको हमें इस तरह से देखना है कि तीन पंचवर्षीय योजना चलाने के बाद जो कुछ काम इस सूबे में हुआ, उसमें जनता का सहयोग यह सरकार कितनी कामयाबी के साथ हासिल कर सकी है और जनता

ने इस योजना के चलाने में कहां तक मदद दी है। आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि इस प्रदेश की तरक्की के लिये, योजना को चलाने के लिये सरकार की तरफ से वास्तविक रूप में जनता का सहयोग प्राप्त करने की पूरी कोशिश नहीं की गई। मंत्री जी ने जो यह कहा कि ब्लाकों में हमारी टुकड़ियां काम कर रही हैं लेकिन जो टुकड़ियां काम कर रही हैं उन्होंने भी जनता के सहयोग को प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की है और अगर उन्होंने कोई प्रयास किया है तो वह गांव सभाओं की गलतियों को पकड़ कर सभापतियों को मुअत्तल करना, उन को जलील करना, यही किया है। यही उन्होंने अपना मुख्य धर्म समझ रखा है।

हमारे प्रदेश की जनता का एक स्वभाव है कि वह जिस चीज को पहले सफल देख लेती है तभी उसको उस चीज पर विश्वास आता है और फिर वह उस को अपनाने को तैयार हो जाती है। हमारे यहां किसानों के पास छोटी-छोटी जोते हैं और इसलिये वह अपनी खेती में उन एक्स-पेरीमेंट्स को करने के लिये तैयार नहीं होते। पिछली बार भी जब प्लानिंग के विषय में मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला था तो मैंने इस बात को कहा था कि सरकार को चाहिये कि वह छोटे-छोटे डिमांस्ट्रेटिव फार्म्स स्थापित करे। जूनियर हाई स्कूल्स हैं या बड़े-बड़े हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उन से फार्म लेकर उन पर नये कृषि के वैज्ञानिक तरीके, नये औजार वहां इस्तेमाल किये जायं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाय और उन का प्रदर्शन इन छोटे छोटे डिमास्ट्रेशन फार्म्स पर किया जाय। किसान वहां जाकर देखें और उससे वह लाभ उठायें। इस से किसानों का जो पिछड़ापन है वह दूर हो जायगा और उन की हिम्मत अपने खेतों में इन चीजों के इस्तेमाल की होगी और नये वैज्ञानिक तरीकों को वह इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने अभी तक अपने ब्लाक्स में कहीं इस तरह के छोटे-मोटे डिमांस्ट्रेशन फार्म्स स्थापित नहीं किये जिन में किसान जाकर प्रेरणा ले सकें और तजुर्बों का लाभ उठा सकें।

मंत्री जी ने कहा कि प्लानिंग के सम्बन्ध में हम ने इतना रुपया खर्च किया, लेकिन उस से इतना तो जरूर हुआ है कि हर ब्लाक में एक वर्ग पैदा हो गया है जो हर अनुदान को लेने के लिये सबसे आगे रहता है। वह अनुदान लेने में बहुत होशियार है, वह सरकारी अधिकारियों से मिलने-जुलने और बी० डी० ओ० से सम्पर्क स्थापित करने में बहुत ही चतुर है और वह मुर्गी पालन, फल, उद्यान, खाद और कुएं सब चीज का अनुदान लेने के लिये आगे रहता है। ब्लाक का एक ही काम है कि जो अनुदान विभाग के लिये मंजूर हो वह उस के द्वारा ३१ मार्च तक किसी तरह बंट जाय और वह इन कामों के लिये स्वीकृत रुपया और तकाबी बांटना ही अपना काम समझता है, यहां तक होता है कि एक तकाबी मौजूद है और दूसरी तकाबी उसी को देना और इसी तरह से पैसा बांटना उन का काम है। इसकी देखभाल भी ठीक से नहीं होती है कि जो रुपया दिया गया है उसका उसी काम में ठीक से प्रयोग हुआ है या नहीं। मैं जिस मौजे का रहने वाला हूं कांग्रेसी दल के एक साथी वहां के हैं। उन्होंने मेसोनरी वेल के लिये रुपया लिया और उस रुपये से बन्दूक खरीद ली। उनके पास कृषि बीज का बकाया भी ९०० रुपया था, लेकिन फिर भी उन को नई तकावी दी गई। इस बात को जानने की कोई कोशिश नहीं की गई कि जो रुपया मेसोनरी वेल के लिये लिया गया है वह कुआं बनाया भी गया या नहीं। इस तरह से प्लानिंग का रुपया पानी की तरह बह रहा है और उसका कोई नतीजा पैदावार के बढ़ाने में नहीं निकल रहा है। इस तरह से लोग समझने लगे हैं कि अब ब्लाकों से रुपया लिया जा सकता है और उस का जैसे चाहें उपयोग करो। उसका दुरुपयोग करने से कुछ बिगड़ नहीं सकता। तकावी के बन्धनों को गरीब काश्तकार किसी तरह पूरा नहीं कर पाता जिसका नतीजा यह होता है कि जिसको वास्तव में आवश्यकता सहायता की है उसको नहीं मिल पाती। होली के मौके में मेरे गांव का एक काश्त-कार आया उसने कहा कि हम कुंयें के लिये तकावी चाहते हैं। ६, ८ महीने बाद कहा गया कि चूंकि आपने भूमिधर की जमानत नहीं दी है इसलिये रुपया नहीं मिल सकता, जब कि उसने सीरदार की अपनी हैसियत से ज्यादा की जमानत दी थी, फिर भी उसको तकावी का एक पैसा

[श्री होरीलाल यादव]

नहीं मिला । वास्तव में ब्लाक अधिकारी जिसको चाहते हैं उसी को पैसा मिलता है । वह जब पार्टीबन्दी में पड़ जाते हैं तब तो हालत और खराब हो जाती है । ब्लाक अधिकारी देहातों में रहना पसन्द नहीं करते । मैं जिस ब्लाक से आता हूं उसकी इमारत पहले देहात में साढ़े ७ हजार रुपये से बनी जो डेढ़ साल में खराब हो गई । अब दोबारा इमारत बनाने की कोशिश की जा रही है और वह अधिकारी शहर के किनारे बनाने की कोशिश कर रहे हैं । दूसरे ब्लाक के गांवों को तोड़कर इस ब्लाक में मिलाने की कोशिश की जा रही है ताकि ब्लाक की इमारत दुबारा शहर के पास बन सके । अगर इस तरह की साजिश की जायंगी तो देहात की कभी तरक्की नहीं हो सकती । मेरा सुझाव है कि जो ब्लाक हैडक्वार्टर कायम किये जायं वह ऐसी जगह पर कायम किये जायं जो ब्लाक के मध्य में हों जहां काश्तकार को जाने-आने में सुविधा हो सके । मेरे ब्लाक में आधी इमारत बन चूकी है और बाकी दूसरी जगह बनाने की कोशिश की जा रही है । इसलिये मंत्री जी ऐसा करने से अधिकारियों को रोकें और आदेश दें कि जहां पहले हेडक्वार्टर था वहीं बने । जिस इंजीनियर की गलती से ऐसी खराब इमारत बनी थी उसके बारे में मैंने आश्वासन समिति की रिपोर्ट में देखा कि उसको तम्बीह कर दी गई है । इस से जनता में उत्साह नहीं पैदा होगा । जो योजनायें बनाई जाती हैं उन में जनता का सीधा सम्पर्क नहीं होता । मंत्री और वी० एल० डब्ल्यू (ग्राम सेवक) अपने घर पर बैठ कर बना देते हैं और उस पर पंचायतों और प्रधानों की मोहर लगवा लेते हैं । योजनायें गांव सभाओं की तरफ से बनायी जायं तो जनता का पूरा-पूरा सहयोग सरकार को मिल सकता है, परन्तु ऐसा नहीं होता ।

ब्लाक अधिकारी जो दौरा करते हैं, नाइट हाल्ट करते हैं वे वास्तविक नहीं होते बल्कि दफ्तर में बैठ कर वहीं से लिख दिया करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त । माननीय रघुवीरसिंह कल बोलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ मार्च, १९६४ ।

नत्थी 'क'

[देखिये ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०० पर]

क्रमांक	विकास खंड का नाम	कार्यों का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	विवरण
१	२	३	४	५
१	फूलपुर ..	फूलपुर, 'सिकरौर' मार्टिनगंज रोड ४–४ मील । ..	२.९३	
२	मार्टिनगंज ..	फूलपुर सिकरौर मार्टिनगंज रोड ८ मील । ..	५.२०	
३	मिर्जापुर ..	४ गांवों को ऊंचा करना	०.३२	
		निजामाबाद, फूलपुर रोड	१.८०	
		(३ मील) नहर का पहरिया	०.११	
		नहर की गूल ..	०.५२	
			२.७५	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०४ पर]

मुरादाबाद जिले में ६ साल से अधिक से कार्य कर रहे सहकारी सुपरवाइजरों की सूची

नाम सहकारी सुपरवाइजर

सर्वश्री

१--देवराज सिंह

२--प्रताप सिंह

३--शिवचरन सिंह

४--राधेश्याम पाराशरी

५--राम प्रकाश मिश्रा

६--जगदीश प्रसाद

७--दलीप सिंह राजपूत

८--दिग्विजय सिंह

९--श्याम सुन्दर सिंह

१०--लाल सिंह

११--महेन्द्र सिंह

१२--शब्बीर रजा खां

१३--ज्ञान सिंह वर्मा

१४--सन्तोष कुमार

१५--खबीरउद्दीन

१६--रिछपाल सिंह

१७--ठाकुर दास सक्सेना

१८--श्रीपाल सिंह

१९--बनारसी दास कपिल

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे ६२८ पृष्ठ पर)

क्रम-संख्या	ब्लाक	सड़क का नाम तथा दूरी	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
१	२	३	४
१	मवई ..	मवई से मवई रोड क्रासिंग ४ मील ..	१.४०
	,,	रीछपाट रोड ७ मील	३.७८
२	पूरडलई ..	हयात नगर से भिलसर रोड १७ मील ..	४.९०
३	फतेहपुर ..	फतेहपुर–सूरतगंज रोड ४ मील ..	२.८०
४	बनी कोंडर	मिटरिया से दरियाबाद रोड २ मील ..	१.४०
	,,	बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर देवीगंज (२०–२३ मील) ..	१.४०
५	बंकी ..	बंकी सिन्डोला रोड ५ मील ..	१.७५
	,,	जैदपुर चिनहट रोड (१०–१४ मील) ..	१.७५
६	दरियाबाद	रामनगर भददोसराय दरियाबाद रोड (८–१८ मील)	३.८५
	,,	रामनगर सफदरगंज रोड (१०–१२ मील) ..	१.०५
७	सूरतगंज	फतेहपुर सूरत गंज रोड (५–१० मील) ..	४.२०
८	देवा ..	देवा कुर्सी रोड (६–५ मील) ..	२.२७
	,,	दैवा मवारा रोड ५ मील ..	१.७५
	,,	बंकी छिन्दोला रोड (६–८ मील) ..	१.०५
९	हारख ..	जैदपुर–चिन्हट रोड (९ मील) ..	३.१५
	,,	बैदपुर सफदरगंज रोड (४–६ मील) ..	१.७५
१०	मशौली ..	दैवा मवारा रोड (६–८ मील) ..	१.०५
	,,	बड़ा गांव सफदरगंज रोड (११ मील) ..	३.८५
११	राम नगर	रामनगर–भददोसराय–दरियाबाद रोड १ (मील) ..	०.३५
	,,	रामनगर सफदर गंज रोड ९ मील ..	३.१५
१२	सिद्धौर	बाराबंकी–जैदपुर सिद्धौर–देवीगंज रोड (१३–१९ मील)	२.४५
१३	निन्दूरा ..	लखनऊ–महमूदाबाद रोड १९ मील ..	६.६५
१४	हैदरगढ़	हैदरगढ़ बछरावां रोड ४ मील ..	१.४०
		हैदरगढ़-सुबैसा रोड १० मील ..	३.५०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३५ पर)

बस्ती जिले के गांजा, भांग तथा शराब के ऐसे ठेकेदारों, जिनके विरुद्ध सरकारी धन जैसे लाइसेंस फीस आदि बाकी है, के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण

नाम ठेकेदार	वर्ष	बकाया धनराशि	वसूली के लिये की गई कार्य-वाही का वर्णन
१	२	३	४
		रु०	
१—श्री सूरज प्रसाद, ठेकेदार शराब, विशुनपुर दूकान।	१९६०-६१	२३०	कार्यवाही नीलाम जारी है।
२—श्री सूरज प्रसाद ठेकेदार, शराब, चकवा दूकान।	१९६१-६२	१६५	उपर्युक्त
३—श्री सूरज प्रसाद, ठेकेदार भंग दुकान चकवा।	१९६१-६२	५५	उपर्युक्त
४—श्री दीपनारायण शाही व श्री रामनरेश, दूकान भंग, बस्ती, पुरानी बस्ती, पक्का बाजार।	१९६२-६३	१,२६५	बाकीदार जिला गोरखपुर का रहने वाला है इसलिये बकाया धन की वसूली के लिये जिलाधीश, गोरखपुर से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

नत्थी 'ङ'

[देखिए नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर]

सर्वश्री—

१—ओम् सिंह चौहान
२—कृष्ण देव
३—मोहम्मद जैनुल आबिद्दीन सिद्दीकी
४—ओश चन्द्र पचौरी
५—चन्द्र शेखर कौशिक
६—राजेन्द्र प्रसाद
७—ब्रज मोहन यादव
८—राज किशोर विश्वकर्मा
९—बाबूराम यादव
१०—राम प्रकाश शर्मा
११—प्रयागी लाल गुप्ता
१२—सुरेश चन्द्र त्यागी
१३—सुरेन्द्र सिंह श्रीवास्तव
१४—रमेश चन्द्र (प्रथम)
१५—पूरन चन्द्र खुलबे
१६—संत सागर बाजपेई
१७—सुन्दर लाल त्रिवेदी
१८—नगेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल
१९—कमला कांत
२०—जितेन्द्र कुमार
२१—राम महेश त्रिपाठी
२२—श्री प्रकाश चौबे
२३—हृदय नारायण लाल श्रीवास्तव
२४—ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे
२५—भूपेन्द्र नाथ श्रीवास्तव
२६—रामेश्वर प्रसाद (द्वितीय)
२७—विद्याधर शर्मा
२८—उमाकान्त पाठक
२९—शोभ नाथ सिंह
३०—विनय प्रकाश श्रीवास्तव
३१—सूर्य देव त्रिपाठी
३२—रामा शंकर लाल
३३—सुखराम दास
३४—जगत नारायण लाल
३५—बद्री प्रसाद
३६—मूंग लाल वर्मा
३७—मोहम्मद उस्मान गनी
३८—चन्द्र भान पाण्डे
३९—ओम प्रकाश शाह
४०—अवधेश चन्द्र ओझा
४१—बहादुर सिंह बोरा
४२—कुलोमनि तिवारी
४३—कृपा शंकर सिंह
४४—सतीश कुमार चतुर्वेदी
४५—जगमोहन लाल त्रिवेदी
४६—केदार नाथ
४७—हरीश चन्द्र पाण्डे
४८—रामचन्द्र शुक्ला
४९—जाकिर अली फारुकी
५०—राम शंकर शुक्ला
५१—प्रताप सिंह पुंडीर
५२—हरेन्द्र सिंह विष्ट
५३—सदा शिव शुक्ला
५४—वीरेन्द्र नाथ वकील
५५—राम बाबू अग्रवाल
५६—पूरन चन्द्र जोशी
५७—अमर नाथ तिवारी
५८—उमा शंकर अग्रवाल
५९—सुरेश चन्द्र सक्सेना
६०—शिव प्रसाद शुक्ला
६१—रमेश चन्द्र (द्वितीय)
६२—रमेश चन्द्र मित्तल
६३—सैय्यद अली हैदर रिजवी
६४—सोहन पाल सिंह
६५—कमल चन्द्र अहिरवार
६६—लछमन राम टाम्टा
६७—हृदय नारायन हरिजन
६८—श्याम लाल
६९—ले० एल० सत्यार्थी
७०—जै जै राम दोहरे
७१—सुन्दर लाल दोहरे
७२—काशी नाथ राय
७३—रघुबर दयाल
७४—लखपत सिंह सूर्या
७५—मेवा राम
७६—राम स्वरूप शर्मा
७७—प्रभू लाल
७८—महा सिंह
७९—धर्मपाल सिंह
८०—हरीश चन्द्र वर्मा
८१—दिनेश चन्द्र वर्मा
८२—बी० बी० शर्मा
८३—जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव
८४—उमा शंकर राय

सर्वश्री—

८५—रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव
८६—डी० के० जोशी
८७—मुरारी मोहन सिन्हा
८८—दया शंकर सिंह
८९—चन्द्र प्रकाश
९०—नगेन्द्र प्रसाद राय
९१—बलिराम मनि त्रिपाठी
९२—रवीन्द्र नाथ
९३—हेमचन्द्र मिश्रा
९४—सूरज प्रताप श्रीवास्तव
९५—यदुनाथ सिंह बईस
९६—जगदीश प्रसाद गैरोला
९७—शिवचन्द्र नाथ शुक्ला
९८—राजेन्द्र प्रसाद पाठक
९९—सर्वेश्वर नाथ शुक्ला
१००—देव मनि त्रिपाठी
१०१—कौशल किशोर पाण्डे
१०२—व्यास मुनी चतुर्वेदी
१०३—विश्वनाथ सिंह
१०४—अमर नाथ शर्मा
१०५—राजेन्द्र प्रसाद सिंह
१०६—शोभ नाथ सिंह (द्वितीय)
१०७—जगमोहन प्रसाद
१०८—विशम्भर दत्त थाप्लियाल
१०९—बृजपाल सिंह कनौजिया
११०—हैदर अब्बास हुसेनी
१११- माया शंकर श्रीवास्तव
११२—सुधीर श्रीवास्तव
११३—रामेश्वर प्रसाद सक्सेना
११४—रवीन्द्र नाथ तिवारी
११५—विनोद कुमार (प्रथम)
११६—आर० पी० सिंह
११७—गनीउररहमान हाश्मी
११८—एस० एम० मजहर एहसान
११९—यावर मिर्जा
१२०—मसूद मंजूर
१२१—राम खिलाड़ी शर्मा
१२२—घनश्याम कान्त
१२३—हरीश चन्द्र उप्रैती
१२४—वीरेन्द्र प्रताप वर्मा
१२५—एस० मोहम्मद हामिद रिजवी
१२६—सैयद जहीर उल-हसन
१२७—जगदीश प्रसाद गौड़
१२८—जोध सिंह
१२९—चिनागर सिंह
१३०—श्रीपाल सिंह
१३१—मुनव्वर अली
१३२—गनेश चन्द्र उपाध्याय
१३३—सभा बहादुर सिंह
१३४—बृजेन्द्र सिंह
१३५—नरेन्द्र कुमार सिंघल
१३६—कम्लेश्वर प्रसाद
१३७—अली हसन काजमी
१३८—नन्द किशोर चतुर्वेदी
१३९—कृष्ण देव मिश्रा
१४०—बंस नारायण सिंह
१४१—राम नगीना सिंह
१४२—मुर्तजा अली
१४३—महेश दत्त सिंह
१४४—राज मोहन लाल
१४५—मोहम्मद उल्लाह
१४६—महेश बहादुर सक्सेना
१४७—रास बिहारी
१४८—अनवर अली
१४९—हरीश चन्द्र जोशी
१५०—काजी सैय्यद रशीद उद्दीन अहमद
१५१—रवीन्द्र सिंह
१५२—पूरन चन्द्र पाण्डेय
१५३—चन्द्र सिंह रावत
१५४—मानवर सिंह
१५५—मजाहिर हुसैन नक्वी
१५६—अखलाक अहमद लारी
१५७—सैय्यद गुलाम हुसैन
१५८—पनेन्दु कुमार बाजपेई
१५९—स्वदेश कुमार
१६०—मजहर उल-हक
१६१—राजेन्द्र कुमार
१६२—अनवार मोहम्मद खां
१६३—योगेश चन्द्र
१६४—राम प्रकाश गुप्ता
१६५—राम प्रसाद शाह
१६६—विजेन्द्र सिंह रघुवंशी
१६७—मनि राम
१६८—गजेन्द्र सिंह
१६९—हरि शंकर अवस्थी
१७०—हरीश चन्द्र
१७१—शाहिद अली खां
१७२—विनोद कुमार चन्दोला
१७३—रियाज उल-हक हान्फी
१७४—तस्वीर इकबाल

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६४५ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण :

१—खंड ४ में प्रस्तावित नयी धारा ३—क में से कोष्ठक हटा दिये जायं ।

२—उक्त प्रस्तावित नयी धारा ३—क के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में शब्द "ऐसी" के स्थान पर शब्द "ऐसा" रख दिया जाय ।

३—खंड ४ में प्रस्तावित नयी धारा ३—ख में से कोष्ठक हटा दिये जायं ।

४—खंड ८ में मूल अधिनियम की धारा ७ की प्रस्तावित उपधारा (१) के भाग (ख) (२) की पक्ति ३ में "जप्त" के स्थान पर शब्द "जब्त" रख दिया जाय और इसी भाग की पंक्ति ४ में "जप्ती" के स्थान पर शब्द "जब्ती" रख दिया जाय ।

५—खंड १ में "१९६३" के स्थान पर "१९६४" रख दिया जाय ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२४३ एल० ए०—१९६४—८६० ।